राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या ५

शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

सचिवालय में उपस्थिति पंजीका की व्यवस्था

११३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा) : क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सेक्रेटेरिएट में हाजरी रजिस्टर रखा जाता है ?

(ख) उसमें किन किन श्रेणियों के ऑफिसर्स और कर्मचारियों की हाजरी होती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हाजरी होती है और असिस्टेंट सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार व एकाउन्ट्स आफिसर जो कि विभाग के इन्चार्ज है नियत समय पर हाजरी होने की बाबत हाजरी रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह पाबन्दी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर ही क्यों हैं; सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मिनिस्टर डिप्टी-मिनिस्टर आदि पर क्यों नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनसे तो यह आशा की जाती है कि वे समय पर आयेंगे और ज्यादा समय तक रहेंगे।

श्री . पी . के . चौधरी : Are the registers available on the counter for signatures throughout the day or are kept only for a specific period ?

यह जो रजिस्टर में सिगनेचर करते हैं, वह रजिस्टर क्या दिन भर अवेलेबल रहता है या स्पेसिफिक पीरियड के लिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I do not exactly know about it.

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आदि के लिये हाजरी करना आवश्यक नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that the registers are available for signatures for the whole day and whenever anybody comes, he puts his signatures in the register

Page No.2

श्री अध्यक्ष : He has said, he does not know.

जयपुर में बढ़ती हुई गुंडागर्दी

११४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशन पोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर शहर में बढ़ती हुई गुन्डागर्दी की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(२) सुरक्षा और व्यवस्था के कामों में जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) यह असत्य है कि जयपुर शहर में गुन्डागर्दी की घटनायें बढ़ रही हैं।

(२) पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं उदासीन नहीं है। जनता की ऐसी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देती है।

(३) जनता को ट्रैफिक सप्ताह द्वारा सड़कों के नियम से परिचित कराना, प्रदर्शनियों में पुलिस स्टाल लगाना आदि ऐसे साधन हैं जो जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयोग किए जा रहे हैं। जनता का सहयोग और अधिक प्राप्त करने के लिए क्या किया जाय, इस पर सरकार फिर से विचार कर रही है।

डॉ० चन्द्रकला : अगर उदासीन नहीं तो सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि जो केसेज़ आते हैं उनका चालान किया जाता है, उनको सजायें दी जाती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि कल एक जर्मन विदेशी के साथ यहां बाजार में गुन्डागर्दी की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि कल ही इस बारे में टेलीफोन से होम मिनिस्टर साहब से बात की गई और उनसे जवाब मिला था कि हम जानकारी कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास: मेरी कोई बात चीत नहीं हुई।

डॉ० चन्द्रकला : अब आप इस मामले में क्या कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल राजस्थान के लिये ही महत्व का नहीं है अपितु सारे हिन्दुस्तान के लिये महत्व का है कि एक विदेशी यहां आए और उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाय। उनके साथ महिलायें भी थीं जो उस स्थान पर बेहोश तक हो गईं और उस पर हमारे मंत्री महोदय फर्माते हैं कि मुझे मालूम नहीं !

श्री रामकिशोर व्यास : अगर वास्तव में यह बात सही है तो बहुत अफसोस है, मैं इस बारे में जानकारी करूंगा।

डॉ० चन्द्रकला : वे रामबाग होटल में ठहरे हुए हैं, इस बारे में उनसे सम्पर्क स्थापित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र : गत वर्ष इस प्रकार की कितनी घटनायें हुई थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५६ में ६ घटनायें हुईं और ५७ में तीन।

११५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि ऑर्डिनरी कॉल और ट्रन्क कॉल टेलीफोन पर फी कॉल दो आना लग चुके हैं ?

(ख) अगर हां, तो राजस्थान के मन्त्रियों और उप मन्त्रियों और सेक्रेटरीज़, कलक्टरों, कमिश्नरों के माहवारी कितना कितना बिल आता है ?

(ग) क्या इस नये परिवर्तन और पुराने में अन्तर रहा ? अगर रहा, तो कितना ?

(घ) मासिक कितनी कितनी कॉल्स हो जाती हैं तथा इसका रेकॉर्ड रक्खा जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : (क) यह सही नहीं है। स्थानीय कॉल की दर प्रति १२ काल पर एक रुपया है।

(ख) ट्रन्क कॉल की दर प्रति कॉल की दूरी, समय, जरूरी एवं साधारण कॉल पर आधारित है।

(ख) वान्छित जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों से जुटाई जा रही है।

(ग) उत्तर (ख) में वर्णित जानकारी उपलब्ध होने के उपरान्त बतलाया जा सकता है।

(घ) वान्छित जानकारी उपलब्ध की जा रही है। स्थानीय कॉलों के बारे में कोई रेकॉर्ड नहीं रक्खा जाता, ट्रन्क कॉलों के बारे में रजिस्टर व रेकार्ड्स रक्खे जाते हैं।

शिक्षित बेकारों की समस्या

११६. डॉ० चन्द्रकला : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर का देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में शिक्षित बेकारों की क्या औसत संख्या है ?

(२) शिक्षित बेकारी के सवाल को हल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किये तथा आगे क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

उप शिक्षा मन्त्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) राजस्थान में शिक्षित बेकारों की संख्या मालूम करने के लिये अभी कोई सर्वे नहीं हुआ है।

(२) राजस्थान में शिक्षित बेकारों की समस्या हल करने के लिये जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है हर साल नये स्कूल खोले जाते हैं और नये अध्यापकों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। इस तरह लगभग २००० शिक्षित व्यक्तियों को अलग अलग ग्रेड्स में भर्ती किया जाता है और इसी तरह आगे भी किया जावेगा। इसके अलावा सरकार ने मल्टी पर्पज़, हायर सेकन्डरी स्कूल्स, कृषि कॉलेज, वेटरिनरी कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज इत्यादि खोल रक्खे हैं जिनमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित रोजगार में लग जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार का शिक्षित बेकारों की सर्वे कराने का विचार है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां, ऐसी व्यवस्था करने की सोच रहे हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि वेटरनरी कोर्स के विद्यार्थी बेकार हैं ?

Page No.4

श्री पूनमचन्द : यह अलग प्रश्न है।

डॉ० चन्द्रकला : जो बताया वह अधिकतर शिक्षा विभाग की राहत स्कूलों में उनको रखकर बेकारों की समस्या हल की जाती है, यह बताया पर बहुत से ऐसे भी शिक्षित हैं जो किसी विशेष संस्था में शिक्षित हैं उनकी बेकारी को दूर करने के लिये क्या किया, जैसा कि वेटरनरी का है ?

श्री पूनमचन्द : यह तो शिक्षा विभाग के लिये कहा। जब द्वितीय योजना चल रही है तो इसमें सबको लगाने की गुंजाइश है।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा प्रश्न पूछने का आशय शिक्षा विभाग से नहीं था; शिक्षित बेकार किसी विभाग के हों, उनसे था, इसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : वेटरनरी शिक्षितों के बारे में पहली बार जानकारी मिल रही है, इसकी जांच करेंगे। पर फिर भी सरकार इन सब का सर्वे करने वाली है।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक कर लेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : निश्चित अवधि बताना मुश्किल है।

श्री पी० के० चौधरी : The question was not about the normal absorption or employment in the expanding departments but the question was, 'What Plan the Government has got for the educated un-employed ? The question was an specific one. The reply has been given in evasive manner. The reply given is, that was the normal expansion of the schools. The question was that whether the Government has got any scheme for providing employment to un-educated..............to educated un-employed.

एक माननीय सदस्य : Planning Minister may enlighten.

श्री अध्यक्ष : They have stated what steps they are taking relating to un-employment amongst the educated people. Is there any other reply ? Secondly, please suggest the steps taken, as well as to be taken for the ebucated un-employed.

श्री पी० के चौधरी : The whole question, the spirit of the question was.........

श्री अध्यक्ष : That is true. They have said what they are doing. Probably they have no other schemes which directly effect the problem.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : The information sought is really speaking for the number who are un-employed, for employment to educated un-employed and we have not got figures readily.

श्री मदनसिंह : गवर्नमेन्ट यह समझती है कि बेकारी है तो सही ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (अश्रव्य)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मिला है वह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मिला है।

Page No.5

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि शिक्षा विभाग से पूछा गया था, पर जवाब दिया जा रहा है वह जनरल है । आज के दिन भी हमें शिक्षा विभाग में कई जगह मेट्रीकुलेट टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है उनके लिये बहुत सी दर्खवास्तें नहीं आती हैं।

खातेदारी जमीन की उपज का वन विभाग द्वारा विक्रय

११७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि खातेदारों की जमीन का लगान तो तहसील खातेदारों से वसूल करती है और उस जमीन की उपज, पानी, पूला व लकड़ी जंगलात विभाग फरोख्त करता है ?

(ख) अगर हां, तो कहां कहां जंगलात वालों ने ऐसा किया और उससे कितनी कितनी आमदनी हुई ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान राज पत्र भाग १ (ख) दिनांक २६ । २ । ५७ में प्रकाशित विज्ञप्ति का पालन होता है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसकी कोई विज्ञप्ति नहीं निकली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : निकली है, वह विज्ञप्ति मैं पेश करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस तारीख की है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : २६ । २ । ५७.

श्री नाथूराम मिर्धा : २६ । २ । ५७ की कोई विज्ञप्ति नहीं है; आप पेश करें।

श्री अध्यक्ष : राजपत्र में निकली है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार की कोई विज्ञप्ति नहीं है ।

(रावराजा श्री सरदारसिंह ने एक मुद्रित कागज दिखलाया)

श्री नाथूराम मिर्धा : २६ । २ । ५७ कोई तारीख भी है क्या ? फरवरी २८ की होती है ।

श्री चन्दनमल वैद : ५६ में है ।

(हंसी)

(अल्प विराम के अनन्तर)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा यह निवेदन करना है कि यह विज्ञप्ति है, फरवरी ५७ में निकली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : आप यह देखें. २६ वीं तारीख भी फरवरी में थी या नहीं ?

(हंसी)

Page No.6

कन्या पाठशाला

११८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले में कितनी कन्या पाठशालाएं हैं जिनमें एक ही अध्यापिका रक्खी जाती है ?

(ख) ऐसी कितनी पाठाशालाएं हैं जिनमें नये सत्र से अब तक अध्यापिका पहुंची ही नहीं ? क्या ऐसी पाठशालाएं वन्द रहती हैं ?

(ग) एक अध्यापिका के स्कूल में अध्यापिका के छुट्टी पर जाने की हालत में स्कूल की क्या व्यवस्था रहती है ?

उप-शिक्षा मन्त्री (**श्री पूनमचन्द बिश्नोई**) : (क) ४२ कन्या पाठशालाएं हैं।

(ख) ऐसी कोई पाठशाला नहीं है।

(ग) एक मास से अधिक अवकाश पर जाने पर दूसरी अध्यापिका एवजी पर भेज दी जाती है। एक मास से कम के अवकाश पर जाने पर पास के स्कूल से, जिसमें एक से अधिक अध्यापिकाएं होती हैं प्रबन्ध कर दिया जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : यह पास का मतलब कितनी दूरी की अध्यापिका से है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पास की स्कूल से भेज दी जाती है। पॉच–पांच मील पर गांव हैं।

डॉ० चन्द्रकला : तो पांच मील से किस तरह से भेजते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां दूर दूर गांव हैं वहां पांच मील भी पास ही माना जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला : और अध्यापिका एक दिन की छुट्टी पर जावे तो ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फिर मुश्किल होता है।

डॉ० चन्द्रकला : फिर इसका मतलब है स्कूल बन्द रहती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बन्द रहती है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लालसोट में एक ही अध्यापिका है, ६०-७० लड़के वहां पढ़ते हैं। उसका गीजगढ़ ट्रान्सफर कर दिया गया। अब स्कूल बन्द पड़ी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी जानकारी पर जल्दी ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य : जयपुर जिले में मानवा नामक पाठशाला में नंवम्बर तक कोई अध्यापिका नहीं पहुंची ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना ले रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सरकार को जानकारी है कि सिंगल टीचर गांव में नहीं जाना चाहती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कहीं कहीं ऐसी शिकायत है।

श्री पी. के. चौधरी : तो फिर क्यों नहीं कपल्स का अरेन्जमेन्ट करती है सरकार, हस्बेन्ड और वाइफ का ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जनरल शोर्टेज है अध्यापिकाओं की।

श्री पी०के० चौधरी : शोर्टेज का मामला नहीं है, मैं जानता हूं वे जाना नहीं चाहतीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि फरवरी में २६ तारीख नहीं होती। पर आप अब तो मानेंगे कि ११६ के बाद में १२० आनी चाहिये प्रश्न संख्या, पर १५० इसमें लिखा है। तो यह प्रेस की गलती हो जाती है। सवाल नम्बर १५० लिखा है। यह तो प्रेस की गलती है।

श्री अध्यक्ष : (तारांकित प्रश्नों की सूची पेज संख्या २ को देखकर) यह तो डिवीजन नम्बर १५० लिखा है। प्रेस की गलती नहीं है।

(अट्टहास)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज तो मजाक का दिन है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : सवाल तो ११६ ही है।

(पुनः अट्टहास)

वन विस्तार

११६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या वन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों का विस्तार कहां कहां किया गया और उस पर कितना व्यय हुआ ?

(ख) क्या जागीरी जंगलों का भी पुनरुद्धार किया गया है ? अगर हां, तो कहां कहां ?

(ग) क्या डिस्ट्रिक्ट टोंक में भी कहीं वनों का पुनरुद्धार किया गया है; अगर हां, तो किस तहसील और ग्राम में ?

(घ) पुनरुद्धार किन आधारों पर किया जाता है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं, कहीं नहीं किया।

(ग) जी नहीं।

(घ) पुनरुद्धार के लिये वे ही जगह चुनी जाती हैं जहां जंगल बहुत नष्ट हो गये हैं और मजदूर आसानी से मिलते हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रारम्भिक पाठशाला

१२०. **श्री वेनाराम गहलौत** (खारची) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में पिछले तीन सालों में कितनी प्राइमरी स्कूलें खोली गई और वे कहां कहां पर हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इन स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्कूलों को कंटिन्जैन्सी नहीं मिलती है ? यदि दी गई, तो कौन कौन सी स्कूलों को ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस वर्ष सब स्कूलों को कॉन्टिन्जेंन्सी दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

यातायात दुर्घटनायें

१२१. डॉक्टर चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले छः महीनों में जयपुर शहर में कितनी यातायात दुर्घटनायें (रोड एक्सीडेन्ट्स) हुईं ?

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये, कितने आहत और कितने अपंग हुए ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि जयपुर शहर में सड़क दुर्घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ?

(घ) यदि हां, तो इनको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) पिछले छः महीनों में जयपुर शहर में १ जुलाई से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ६२ रोड एक्सीडेन्ट्स हुए।

(२) इन एक्सीडेन्ट्स में २ व्यक्तिमारे गये, ४ को गहरी तथा ६२ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(३) जयपुर शहर में रोड एक्सीडेन्ट्स में वृद्धि नहीं हो रही है।

(४) खास खास सड़कों पर वन वे ट्रैफिक कर दिया गया है। भारी गाड़ियों का, खास सड़कों से जहां सुबह शाम बहुत भीड़ रहती हैं, आवागमन रोक दिया गया है।

श्री गोकुलचन्द : इस प्रकार की दुर्घटनाओं में सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता दी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा कायदा नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि जिन ड्राइवरों से ये दुर्घटनाएं हुईं उनके पास लाइसेंस नहीं थे या फिर नये चलाने वालों को ड्राइवरी का लाइसेंस देते समय उनको ठीक तरह से पास करके उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिए गए ? क्या इसकी जांच की कभी आपने ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये तो आप अलग सवाल पूछें, या फिर आप किसी स्पेसिफिक मुकदमें के बारे में बतावें।

श्री मदनसिंह दांता : यह जो ६२ रोड एक्सीडेन्ट्स हुए इनके बारे में क्या आपने तलाश की कि ये क्यों होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : तलाश करने की जरुरत ही नहीं है। जिन ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं होता तो उनके खिलाफ कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : ड्राइवर लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, क्या इसका आपको पता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑफिशियली तो मालूम नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी जो ट्रेफिक पुलिस है क्या वह ट्रेन्ड है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, कुछ लोगों को ट्रेंड कराया गया है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या जनता की गलती से होते हैं ये एक्सीडेन्ट्स ?

श्री रामकिशोर व्यास: एक्सीडेन्ट्स होने में दोनों की मिली जुली गलती होती है।

श्री पी० के० चौधरी : ट्रेफिक पुलिस को कहां से ट्रेनिंग दिलाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बोम्बे से।

श्री मदनसिंह दांता : फिर तो मेरे ख्याल से इन एक्सीडेन्ट्स की इनक्वायरी भी मिली जुली होती होगी।

(हँसी)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह जानती है कि बाजार में जो पगडंडियां हैं उन पर रिक्शाओं के चलने से एक्सीडेन्ट्स होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसी कारण तो अब रिक्शाओं को सड़क के बीच में चलने की इजाजत दे दी गई है और अब एक्सीडेन्ट्स कम होते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या वन वे ट्रेफिक कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

वृक्षा रोपण

१२२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में डिविज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील व ग्रामवाइज कहां कहां नये पौधे और जंगल लगाये गये ?

(ख) इन पौधों के लगाने में कितना कितना सरफा हुआ ?

(ग) क्या इन कार्यों पर जो रकम खर्च की गई है उसकी जांच हो चुकी है ? अगर हां, तो किन किन ऑफिसर्स द्वारा ?

(घ) क्या यह सही है कि इस डिपार्टमेन्ट में घोटाला होने की शिकायत है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) सची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इन पौधों को लगाने में ६,५७,०००) का सरफा हुआ।। जीवित पौधों की सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक प्लान्टेशन क्षेत्र में बहुत से पौधे जीवित हैं लेकिन उनकी गणना कराया जाना संभव नहीं है।

(ग) पौधों की जाच सभी क्षेत्रों में संबंधित डिवीज़नल फोरेस्ट ऑफिसर व कुछ क्षेत्र में कन्ज़र्वेटर व चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स ने समय समय पर की है। खर्च के हिसाब की जांच महालेखापाल द्वारा की गई है।

(घ) जी सही।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या प्लान्टेशन करवाते समय हरे दरख्त कटवाये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो पुरानी झाड़ियां होती हैं उनको साफ करवाया जाता है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : इसकी सूची नहीं मिली है।

Page No.10

श्री लक्ष्मीचन्द : नये हरे दरख्त कट वाये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : झाड़िया कटवाई गई, वह हरी ही होती हैं। प्लान्टेशन भी फिट नहीं होते इसलिए उनको कटवाना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ने प्लान्टेशन स्कीम के अन्तर्गत इतना रुपया खर्च किया है तो इतना रुपया खर्च करने के बाद सरकार को कहां तक लाभ हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्लान्टेशन का काम अभी चालू किया गया है और कोई दो तीन साल की ही पौध हुई है और उनका लाभ जैसा भी होगा दस-पन्द्रह साल बाद मालूम होगा।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सरकार को मालूम है कि जितने भी दरख्त लगाये गये उनको बकरियां चर गई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से आपने प्लान्टेशन का काम कहीं देखा ही नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : प्लान्टेशन का काम बीकानेर के पास चल रहा है, उसका कहीं फायदा हुआ या नहीं ? बीकानेर के आसपास जो स्कीम चल रही है उसमें सरकार का लाखों रुपया लगा है; उसमें कहां तक सफलता मिली है, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो अलग प्रश्न है और इसे अलग से पूछें।

श्री लक्ष्मीचन्द: (अश्रव्य) जो प्लान्टेशन करवाया गया वह सकसेसफुल नहीं हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्कीम चालू हुई ही है, सक्सेसफुल होने की चीज ही नहीं है। वहां लोगों को उसके लाभ के बारे में समझाया है कि ऐसा करने से फायदा होगा।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह ६ लाख रुपया केवल समझाई में ही लगा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, एक्चुअल पौध लगने में खर्च हुए हैं, काम करने में लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अधिकारियों द्वारा कैदियों से गृह कार्य लिया जाना

१३२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि ए० आई० जी० जेल्स, राजस्थान, द्वारा बन्दियों से गृह का कार्य लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या आपने इसकी जांच भी की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां-हां, जवाब मंगाया, उसके ही आधार पर बता रहा हूँ।

श्री मदनसिंह दांता : आप कितनी दफा जेल गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके जवाब के लिये मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं है।

डॉक्टर चन्द्रकला : आपने जो अभी जवाब दिया है आप उसको सही मानते हैं या नहीं ?

Page No.11

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, मैं सही मानता हूं ।

उद्योग सम्बन्धी कार्यों के लिए रकम वितरण

१२४. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में पिछले दो साल में उद्योग सम्बन्धी किन किन कार्यों के लिये कितनी रकम वितरित की गई ?

(२) उपरोक्त रकम किन किन को कितनी कितनी दी गई :

(३) अब किन किन की एप्लीकेशन्स पेन्डिंग हैं और कितने समय से ?

(४) उपरोक्त दी गई रकम की वसूली की क्या स्थिति है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) पाली जिले में पिछले दो साल १९५५-५६ व १९५६-५७ में उद्योग कार्य के लिए वितरण की गई रकम का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	ऋण	अनुदान
१. उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ऋण रूप दी गई धनराशि	६८,०००	—
२. हाथ करघा विकास हेतु बुनकर सहकारी समितियों को ऋणरूप दी गई धनराशि	२६,२२०	—
३. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु खादी सर्व ग्रामोद्योग द्वारा अनुदान रूप में दी गई धनराशि		४५,२१८
जिसका विवरण निम्न प्रकार है		
तेल उद्योग में ९,९२३) रु०		
साबुन १३,३७५) रु०		
चर्म उद्योग ६,९२०) रु०		
अम्बर चर्खा उद्योग १५,०००) रु०		
४५,२१८) रु०		
	९४,२२०	४५,२१८

उपरोक्त रकम जिन जिन संस्थाओं को दी गई उसका विवरण तालिका ए. और बी. में दिया हुआ है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) २४ प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग हैं जिनमें सबसे पुराना तारीख २६-८-५७ का है। पूर्ण विवरण तालिका (सी) में दिया गया है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) कुछ पार्टियों की रकम वसूल हो चुकी है और कई एक की किश्तें वसूल होनी बाकी हैं, जिसकी कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : कितनी रकम वसूल हो चुकी है ?

श्री बेनाराम गहलोत : यह जो २४ एप्लीकेशन्स पेन्डिग हैं....

Page No.12

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दो दो सदस्य खड़े हुए हैं, किसका जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

श्री बेनाराम गहलोत : यह जो २४ एप्लीकेशन्स पेन्डिंग हैं उनको रकम कब तक अदा कर दी जायेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये एप्लीकेशन्स जो कि पेन्डिंग हैं इनके बारे में जांच की जा रही है और ज्यों ही जांच होकर आयेगी रकम अदा कर दी जायेगी।

श्री बेनाराम गहलोत : कितनी रकम वापसी सरकार के पास अदा हो चुकी है, इसके आंकड़े क्या हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तालिका नम्बर 'बी' में दी गई है। यह रकम जितनी भी होती है वह किश्तों में से चुकाई जाती है। ज्यों ज्यों किश्तें चढ़ जाती हैं वह रकम बाद में वसूल होती है तथा तालिका 'बी' के अन्दर जो दिया गया है उसमें से कुछ पार्टीज़ की प्रथम किश्त वसूल हो चुकी है और ४ की कुल रकम वसूल हो चुकी है। पांच से लेकर अखीर तक तो सन् ५८ में किश्तें चढ़ेंगी और फिर उसकी किश्तें वसूल होंगी।

श्री बेनाराम गहलोत : जांच करने में कितना समय लगेगा ? एक प्रार्थना-पत्र तो २६-८-५७ से पेन्डिंग पड़ा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह २६-८-५७ से जो एप्लीकेशन्स पेन्डिंग पड़ी हैं इसमें इन्क्वायरी हो रही है। यह १२ से १५ तक है; जो कि सूची 'सी' में दी हुई है और इनके बारे में कुछ बातें मालूम करनी हैं और जब बातें पूछ ली जायेंगी तो फिर उनके ऊपर विचार होगा लोन कमेटी में, जो कि आयन्दा होने वाली है।

विकास-खंड

१२५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या विकास-खंडों को खोलते समय पिछड़े हुए इलाकों की ओर भी ध्यान दिया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो क्या लालसोट, चाकसू, दौसा, और सिकराय के पिछड़े इलाकों में विकास खंड खोले गये हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-विकास मंत्री (श्री संपतराम) : (क) जी हां। ऐसे इलाको का ध्यान रखा जाता है जहां कि ज्यादा पिछड़े हुए लोग रहते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सब इलाके एक ही जिले में हैं। जयपुर जिले में ६ विकास खंड अब तक खोले जा चुके हैं जिससे कि जिले की ३७ प्रतिशत ग्रामीण जनता इन विकास खंडों में आ गई है। हर वर्ष खोले जाने वाले विकास खंडों की इतनी संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक जिले में विकास-खंड खोलना संभव नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या ऐसे कोई कांग्रेस के सदस्य हैं जिनके इलाके में अभी तक विकास-खंड नहीं खोले गये हैं ?

श्री रामकरणसिंह : (उत्तर आने से ही पूर्व) क्या जयपुर जिले में कोई कांग्रेसी

Page No.13

(श्री रामकरणसिंह)
सदस्य ऐसे हैं जिनके इलाके में विकास-खंड नहीं खोले गये हैं ?

श्री संपतराम : यह एक अलग से सवाल है, कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी के भेद का कोई सवाल नहीं है। कानून और कायदों के मुताबिक जो इलाके ठीक समझे जाते हैं वहीं खोल दिये जाते है।

श्री रामकरणसिंह : पिछड़े हुए इलाकों की आप क्या परिभाषा करते हैं ?

श्री संपतराम : पिछड़े हुए इलाके की परिभाषा आपकी और मेरी अलग अलग नहीं हो सकती।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि सरकार की ओर से पक्षपात हुआ तो इस सम्बन्ध में तो बताना चाहिए।

श्री संपतराम : कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

श्री मदनसिंह दांता : परिभाषा में फर्क नहीं है तो आप कह दें, अगर हम भूले हुए बैठे हों तो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

भूस्वामी आन्दोलन

१२६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालौर में भूस्वामी आन्दोलन में कुल कितने व्यक्ति गिरफतार किये गये थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस आन्दोलन में श्री कालूसिंह का देहान्त हुआ था तथा उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई ? क्या सरकार ने उनके कुटुम्ब की परवरिश के लिए प्रबन्ध किया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) २८४ व्यक्ति।

(२) तां० ११.२.५६ को लगभग शाम के ७ बजे ३०-४० भूस्वामी आन्दोलनकारी बस नं० ३६१ को, जो सुमेरपुर से जालौर जा रही थी, रोक कर ज़बरदस्ती चढ़ गये। थाना उम्मेदपुर पर इन आन्दोलनकारियों को उतारा गया किन्तु वे लोग फिर कुछ दूरी पर एकत्रित हो गये और जब यही बस वहां से गुजर रही थी तो इन आन्दोलनकारियों ने इसे रोकने का प्रयत्न किया। कालूसिंह ने चलती हुई बस में चढ़ने का प्रयत्य किया किन्तु गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उस ड्राइवर का चालान किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एन्क्वायरी हुई थी, उसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी।

ग्रो मोर फूड तकावी।

१२७. **श्री वेनाराम** (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में किन किन व्यक्तियों में ग्रो मोर फूड की तकावी की रकम कितनी कितनी और कितने कितने वर्षों से बकाया है तथा अब तक वसूल न किये जाने के क्या कारण है ?

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको जमीन नहीं होते हुए भी रकम दी गई है ? उनके नाम व रकम बतावें।

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर अभी उपलब्ध नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में दे दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सूचना चाही गई है वह बहुत लम्बी चोड़ी है । उसको एकत्रित करने में काफी समय और रुपया लगेगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम पर रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : एक जिले में कितनी रकम बकाया है that should not take much time.

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग से कलेक्ट करने में टाइम लगेगा ।

श्री अध्यक्ष : It concerns only one district.

लालसोट तहसील में पत्थर व बजरी का ठेका

१२८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) लालसोट तहसील के पहाड़ का पत्थर, बजरी आदि का ठेका जो ३–४ साल से दिया जा रहा है उसके ठेकेदारों में से किन किन में कितनी कितनी रकम कब से बाकी है ?

(२) उनके विरूद्ध पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई तथा क्या रकम वसूल हो गई है ?

(३) यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जिनमें रकम बाकी है उनका विवरण इस प्रकार है :

नाम	रकम	कब से बाकी है ।
जगदीश प्रसाद	२३२) रु०	सन् ५४-५५
दिनेश प्रसाद	२८०) रु०	सन् ५६–५७
शिव प्रसाद	१८७५) रू०	सन् ५६–५७

(२) पी. डी. आर. एक्ट के तहत सर्टीफिकेट जिलाधीश के पास फाइल कर दिये गये हैं । रकम अभी तक वसूल नहीं हुई है ।

(३) पी. डी. आर. में कार्यवाही जारी है ।

श्री गोकुलचन्द : इस तरह से पहाड़ का ठेका देते समय क्या को-ऑपरेटिव सोसाइटी को भी ध्यान में रखा जाता है ? को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई निश्चित रकम निर्धारित की जाती है या उनको भी बोली लगानी पड़ती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : को-ऑपरेटिव सोसाइटी का जहां तक सवाल है उन्हें प्रमुखता दी जाती है, लेकिन को-ऑपरेटिव सोसाइटी को भी अगर कोई ठेका लेना होता है तो उनको बोली लगानी पड़ती है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों भी यह क्वेश्चन रखा था तो माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया था कि तकमील वसूली की जा रही है लेकिन आज तक वह रकम वसूल नहीं हुई है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कार्यवाही वसूली की कलेक्टर के पास पी. डी. आर. के तहत दे दी गई है; सर्टीफिकेट जारी हो चुके हैं । उसके अन्दर बराबर तारीखें डालते रहे हैं । वहां से जब तक निर्णय नहीं हो जाय उसकी वसूली की कार्यवाही नहीं हो सकती । इसलिए इसके अन्दर विलम्ब हो रहा है ।

श्री रामकरणसिंह : बराबर तारीखें डालते रहे हैं तो तारीखें डालने का क्या कारण है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह तो जिलाधीश ही ठीक जान सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसे कानूनी एतराजात करते हैं कि उन के बारे में तारीखें डाली जाती हैं और कार्यवाही चलती रहती है। जो एक्ट है उसके अनुसार यह कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री रामकरणसिंह : जैसा कि अभी आपने बताया कि जिलाधीश की जानकारी में है, तो इसके बारे में आपने जानने की कोशिश नहीं की क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, पूरा पता है। यदि आपको विवरण चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या कार्यवाही हुई है और अभी वह किस स्टेज पर है ? सभी जानकारी दी जा सकती है।

श्री रामकरणसिंह : आपके डिपार्टमेंट ने जिलाधीश को कब लिखा है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : अलग अलग केसेज़ के बारे में समय समय पर बराबर लिखा जाता है और उसकी पैरवी की जाती है, और उसके बाद में जिन-जिन के सवालात उलझते है और कानूनी मसले पैदा होते हैं उनके बारे में तारीखें देनी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट क्वेश्चन।

श्री प्रभुलाल पुरोहित: पी. डी. आर. के तहत रिपोर्ट कब की गई ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यहां से ६. २. ५८ को रिमाइन्ड किया गया है व ६. २. ५७ को भी सूचना दी गई। इस तरह से हरएक केस में कार्यवाही चल रही है।

सिंचाई कर

११६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. तहसील मालपुरा, टोडा, दूनी, निवाई तथा उनियारा में फी बीघा क्या चार्जेज़ सिंचाई के वसूल किये जाते हैं ?

२. क्या यह सही है कि खालसा और जागीर गांवों की पिलाई में अन्तर है ?

३. अगर हां, तो कितना और क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सूचना इस प्रकार है

(१) सन् १६५२ के बाद बने हुए बन्धों पर निम्न लिखित सिंचाई की दर वसूल की जाती है :—

	नाम जिन्स	दर रु०	आ०	
१.	गेहूं	६	४	प्रति बीघा फी फसल
२.	चना	४	६	,,
३.	जौ	५	०	,,
४.	गन्ना	१३	१२	,,
५.	सब्ज़ी	७	८	फी आधा साल
६.	बाग	७	८	फी साल
७.	अन्य फसलें	४	६	फी साल
८.	शहराबी पिलाई	२	२	फी फसल (अन्य पानी न देने पर)

Page No.16

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) तहसील मालपुरा, टोडा, दूनी और निवाई से सन् १९५२ के पूर्व बने हुए बन्धों पर निम्न लिखित सिंचाई की दर वसूल की जाती है :

१.	गन्ना	५ ०	प्रति बीघा ६ पानी तक उपरान्त १५ आना प्रति बीघा प्रति पानी।
२.	रंजका	५ ०	
३.	नील	२ ८	प्रति बीघा ५ पानी तक
४.	तम्बाकू	२ ८	,,
५.	सिंघाड़ा	४ ०	(बैतादाद पानी)
६.	चावल	४ ०	,,
७.	अन्य फसलें	१ ४	प्रति बीघा पहले पानी का। अन्य पानी १० आने प्रति बीघा प्रति पानी

(३) तहसील टोंक में सन् १९५२ के पूर्व बने हुए तालाबों पर निम्नलिखित सिंचाई की दर वसूल की जाती है :—

१.	गन्ना	२ ४	प्रति बीघा (बैतादाद पानी)
२.	रंजका	२ ४	,,
३.	जि-अदना	१ २	,,

(२) नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामेश्वरदयाल : सिंचाई की दरें एक क्यों नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास जो नये वर्क्स बने हुए हैं उनकी एक है।

श्री मदनसिंह दांता : पहले के और नयों की दरों में कितना फर्क है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग जगह अलग-अलग हैं। ऐसे भी स्थान हैं जहां पहले वालों में १ रुपया ४ आने भी हैं और ४) रुपये तक बढ़ा है। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या इस प्रकार भूमि की उत्पादन शक्ति में अलग अलग जगह फर्क है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : भूमि में होगा। नये तालाबों में जो औसत पड़ता है उसके हिसाब से होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहले यह सवाल किया था मैंने तब रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि जिन जागीरदारों का रिज़म्पशन हो चुका है उनके तालाबों में और खालसा के तालाबों से एक ही पिवाई ली जाती है और जिनकी जागीर खालसा नहीं हुई है वहां पर डबल रेट ली जाती है यानी जिनकी खालसा हुई है उनसे डबल रेट ली जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास : अब नहीं ली जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या तहसील देवली गांवड़ी के अन्दर अब भी डबल पिवाई ली जाती है ?

Page No.17

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन करूंगा कि पहले ऐसा था कि खालसा और जागीर के गांवों में फर्क था। अब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी करके सबको एक सा कर दिया है। अगर किसी जगह पर उस पर अमल नहीं हो रहा है तो नोटिस में लाना चाहिए, वह ठीक हो जायगा।

श्री मदनसिंह दांता : ऑर्डर किस तारीख को जारी किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : १६-१२-५७ का है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार ने इस बात के जानने की कोशिश की है कि ऑर्डर की तामिल होती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : तामील होगी ही, इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि भूमि एक ही तरह की है तो एक ही भूमि पर अलग अलग रेट को ठीक करना क्या सरकार उचित समझती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, एक कमेटी बनाई है और वह मसला गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

आर. ए. एस. ऑफिसर्स का वेतन

१३०. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Is it true that the candidates selected by the R.A.S. Emergency Commission have been made senior to and given the starting salary of Rs. 275/- while those selected through regular Commission are given a start of Rs. 200/- only ?

(b) Has the Government received any representations from those who are adversely effected ?

मुख्य-मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(a) 1. Yes, so far as seniority is concerned, except those who come within Rule 23 (c) of the R.A.S. Emergency Recruitment Rules.

2. Among those appointed by emergency recruitment the majority have been given the initial pay of Rs. 275/-; some have been given more, but they are all of higher age groups.

3. Those recruited by competitive examination get the initial pay of Rs. 250/- and not Rs. 200/-.

(b) No.

(c) No.

श्री अनोपसिंह : On what basis is it decided that they should get their salary ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : There is a special selection committee set up for this purpose, and the members are:—Chairman of the Public Service Commission, the Acoountant General is also in that committee, and besides them Chief Secretary and Additional Chief Secretary and Mr. Adige who was a Member of the Public Service Commission was also a Member on the Committee. They have

(श्री सुखाड़िया)

recommended that because they are senior persons, they should be given this extra increment. This is done in I.A.S. also.

श्री अनोपसिंह : Regular commission persons have been given lower pay and they are lesser in seniority than the emergency commission persons; then how can the regular commission people be as efficient as those of the emergency commission who are given higher start ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I don't follow.

They have been fixed senior to others also in seniority list.

श्री अनोपसिंह : On what basis is it decided that the emergency commission persons are better and those who are by regular commission are not better ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : On the basis, as I said before, of the experience and generally this has been for those whose age is over 32 years.

श्री अनोपसिंह : The emergency persons have not to appear in so many papers as the regular commission persons, but even then they are given more salary.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I don't exactly follow. It is as recomended by the Committee.

श्री अनोपसिंह : मेरा मतलब यह अर्ज करने का है कि जिनको ज्यादा पेपर्स अटेन्ड करने पड़े हैं, जिनको ज्यादा पेपर्स में एग्ज़ामिनेश्न्स देने पड़े हैं उनको कम तनख्वाह मिली है और उनकी सीनियोरिटी मारी गई है और जिन लोगों को इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट के अन्तर्गत कम पेपर्स में एग्ज़ामिनेशन देना पड़ा है और जो इन्टव्यू के बेसिस पर आ गये हैं उनको २७५) रू. क्यों दिये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री : यह इस वजह से, रेगुलर रिक्रूटमेन्ट में एक बार का प्रश्न आता है इसलिये जिनको एक्सपीरियेन्स होता है वे उसमें नहीं आ सकते। जिनको एक्सपीरियेन्स होता है उनको कंसीडर करने के लिये इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट होता है। यह आई. ए. एस. में भी होता है और यहां भी होता है। इनमें आने वाले कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली इससे भी ज्यादा सेलेरी मिलती है या ज्यादा ड्रॉ करते हैं, तो क्या उनको लोवर सेलेरी पर फिक्स किया जाय ?

श्री अनोपसिंह : इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट में एक्चुअली कई मास्टर या टीचर थे, तो क्या उनको भी एक्सपीरियन्स ज्यादा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिलेक्शन कमेटी ने सब बातों को कंसीडर करके तय किया होगा।

पाली जिले में बीज वितरण

१३१. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में पिछले साल कितना बीज वितरित किया गया था ?

Page No.19

(श्री बेनाराम गहलोत)

(ख) उपरोक्त बीज में से कितना बीज किस किस काश्तकार में बकाया है ?

श्री दौलतराम सारण : (उप मंत्री) (क) पाली जिले में कुल २६००० मन बीज वितरित किया गया ।

(ख) निम्न लिखित है :

वसूली	बकाया	कैश बिक्री
११६६६ मन	४६३८ मन	६३६६ मन

मन्त्री मण्डल की बैठकें

१३२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) Will be Chief Minister the pleased to state:—

(a) What are the reasons for holding the Cabinet meetings in rotation of various District Headquarters ?

(b) Is it also correct that the Ministers attending these cabinet meetings had to hold Darbars to satisfy local public demands ?

(c) What extra expenditure has been incurred on T.A. and D.A., drawn by the Ministers and other Secretariat staff in connection with the last two cabinet meetings held at Hanumangarh and Kotah ?

(d) In what other States the Cabinet Meetings are held in rotation in various District Headquarters ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(a) Cabinet meetings were held at two places outside headquarters with a view to reviewing the over-all progress of the area and to discussing important problems with the local people and officers.

(b) No. The Ministers attending the Cabinet meetings met individuals and deputations who approached them and sought redress of grievances or removal of difficulties.

(c) Rs. 1,755.10 N.P. and Rs. 489.48 N.P. were paid towards T. A. and D.A. of Ministers, Secretariat Officers and staff in connection with the Cabinet meetings at Hanumangarh and Kotah respectively.

(d) No information on this point is available with the Government.

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon. Chief Minister please try to collect the information from other States ? Was effort made to collect information from other States ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not necessary.

श्री पी. के. चौधरी : I "say, was any effort made ?" that is what I ask, "whether any effort was made to collect the information?"

Page No.20

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not necessary that because other States have not done a thing, we should not do it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then why do you say that you have not got the information ? You can say that we refuse to collect the information altogether.

श्री अध्यक्ष : Next.

कृषि संबंधी औजारों का वितरण

१३३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने कुछ उत्साही किसानों को खेती के सुधरे हुए औजार दिये हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या उन किसानों ने उन औजारों से फायदा उठाया है और नये औजार बड़े पैमाने पर अपनाये हैं ?

(३) यदि हां, तो किस किस तहसील में किस किस के द्वारा ? यदि नहीं, तो न अपनाने के क्या कारण हैं ?

उप-कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : कृषि विभाग की ओर से कोई औजार नहीं दिये गये । उत्साही किसानों को औजार मंगाने की सलाह दी जाती है और मंगाने में मदद दी जाती है ।

(२) जी हां, औजारों की मांग बढ़ती जा रही है ।

(३) लेखा नहीं रखा गया है ।

सरकार आगामी वर्ष में औजार खरीदने, 'न लाभ न हानि' के आधार पर किसानों में वितरण करने और उनको आर्थिक सहयोग देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

श्री रामकरणसिंह : अभी उत्पादन के बारे में जवाब दिया, उसमें बताया गया कि किसानों को 'अधिक अन्न उपजाओ' के सिलसिले में इस प्रकार की सहायता दे रहे हैं, लेकिन यहां जो खास पोइन्ट है कि उनको अच्छे इम्प्लीमेन्ट्स दिये जांय और उनको हर प्रकार की मदद दी जाय, इसमें कमी अभी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : 'अन्न अधिक उपजाओ आन्दोलन' के सिलसिले में कई स्कीम्स हैं और उनमें अलग अलग तरह से किसानों की मदद की जाती है । कृषि-औजारों के मामले में उनकी मदद एडवाइज़री तौर पर की गई है । आगे आर्थिक तौर पर उनको क्या मदद दे सकते हैं, यह आपको बता दिया है ।

मुस्लिम कर्मचारियों को शुक्रवार को एक घन्टे का अवकाश

१३४. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

Is it correct that the Muslim employees of the State Government are not granted one hour's leave at noon on Fridays to attend to prayers ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : Yes, Sir.

श्री पी. के. चौधरी : Any instructions issued ? I could not follow the reply.

Page No.21

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I have said, "Yes, Sir."

श्री पी. के. चौधरी : They are not granted. Any instructions issued in this connection; if so, when it was issued.

श्री अध्यक्ष : Instructions not to grant this "time"?

श्री पी. के. चौधरी : No Sir, my question was whether they are granted or not this prayer time? Whether Muslim employees of the State Government are not granted one hour's leave at noon on Fridays to attend to prayers.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I have said, "Yes."

श्री अध्यक्ष : Yes, he is correct.

श्री पी. के. चौधरी : Is the Government aware that in other States they allow this prayer time?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Workers are allowed, but then they make up their time.

श्री पी. के. चौधरी : Not for workers, even for office clerks in Bombay and Madras they are allowed this prayer time.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not to my knowledge. I will try to find out.

कृषि उत्पादन के साधन

१३५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कृषि उत्पादन के साधन भली भांति जुटाने में सरकार असमर्थ रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों में प्रेक्टिकल अनुभव और ईमानदारी की कमी भी इसके कारण है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या साधन जुटाये और उनमें कितनी सफलता मिली ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस विभाग द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कुए खोदने, पम्प व रहट लगाने तथा ट्रेक्टर खरीदने इत्यादि के लिये कर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्नत बीज, रसायनिक खाद इत्यादि बांटे जाते है। फसलों की कीड़ों व बीमारी से रोक-थाम करने के लिये भी आवश्यकतानुसार उपचार किया जाता है। गत वर्ष इस सम्बन्ध में जो कार्य हुआ उसका व्योरा संलग्न तालिका में है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : अभी जो प्रश्न पूछा गया था कि क्या कृषि उत्पादन के साधन भली-भांति जुटाने में सरकार असमर्थ रही है, उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा, "नहीं"। प्रश्न संख्या १३१ का जो जवाब दिया गया, उसमें बताया गया कि सरकार की तरफ से नये इम्प्लीमेन्ट्स कृषि के लिये नहीं दिये जाते हैं। अभी जो जवाब दिया गया है कि असमर्थ नहीं रही है, इसका क्या कारण हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : औजार सरकार की तरफ से नहीं दिये जा सकते, लेकिन खरीदने के लिये राय हम दे सकते हैं।

Page No.22

श्री रामकरणसिंह : हर किसान खुद के पैसे से इम्पलीमेन्ट्स नहीं खरीद सकता। उत्पादन बढ़ाने में उसको सहायता दी जायगी तभी वह नये इम्पलीमेन्ट्स खरीद सकता है। आपने उत्तर दिया कि मदद करने में सरकार असमर्थ नहीं रही और पहले जवाब कुछ और दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) **:** १० काम करने को बताया और एक काम आप चाहते हैं, वैसा नहीं हुआ तो क्या सरकार असमर्थ रह गई ?

प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स की स्थापना

१३६. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बीकानेर में सन् १९५७-५८ में कहां कहां प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स खोले गये तथा उनमें से कितने स्कूल जिला विकास समिति की सिफारिश के बिना खोले गये व क्यों ?

(२) क्या बीकानेर शहर में खोले जाने वाले स्कूल किराये के मकानों में चलते हैं ?

(३) सन् १९५८–५९ में कितने व कहां–कहां प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग अब तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल्स को टेक ओवर करने की मांग कब की गई एवं सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इसकी सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें केवल २ मिडिल स्कूल जिला विकास समिति के बिना सिफारिश पर खोली गई थीं क्योंकि जब सुझाव प्रस्तुत किये गये थे उस समय समिति की बैटक नहीं हो पाई थी।

(२) जी हां।

(३) इसकी सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) दिसम्बर १९५७ में की गई। १९५८–५९ में खोली जाने वाली पाठशालाओं के नामों के साथ इनके नाम भी जिला विकास समिति की सिफारिश प्राप्त करने हेतु भेजे जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में प्राइमरी स्कूल खोले जाने के लिये जिला विकास समिति ने सिफारिश की थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर दिया कि सिवाय दो स्कूलों के सब प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स जिला विकास समिति की सिफारिश पर खोले गये।

श्री भीमसेन : चार स्कूल्स खोले गये, उनके लिए जिला विकास समिति ने सिफारिश नहीं की है, यह सूचना गलत है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना आप दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे।

डा० चन्द्रकला : क्या शहर भी जिला विकास समिति के क्षेत्र में आता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्कूल खोलने के मामले में आता है।

श्री अध्यक्ष : १३७.

सड़क-निर्माण

१३७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) लालसोट से गंगापुर की सड़क अब तक पूर्ण क्यों नहीं हुई जो कि बीस साल से बन रही है ?

(२) यह सड़क कब तक पूर्ण होगी ?

(३) इस सड़क की मरम्मत का ठेका कब दिया गया था ?

(४) क्या यह ठेका पूर्ण हो गया ?

(५) यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण होगा ?

(६) क्या लालसोट से दूदू जाने वाली सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल थी ?

(७) यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण का काम क्यों नहीं हुआ ?

(८) यह सड़क कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(९) बस्सी से तूंगा होती हुई लालसोट तक की नई सड़क राज्य सरकार द्वारा पूर्ण करायी जायेगी या नहीं ? यह सड़क यदि पूरी कराई जायगी तो कब तक ?

(१०) लालसोट से माधोपुर तक की रोड की क्या हालत है ?

(११) कब तक ठीक हो जायगी ? कब से ठीक नहीं हुई ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) लगभग पूर्ण हो चुकी है, केवल कुछ कॉज़वे और साइफन बनाने का कार्य चल रहा है।

(२) मार्च सन् १९५८ के अन्त तक होने की आशा है।

(३) अक्टूबर सन् १९५५ में।

(४) जी नहीं।

(५) इस साल के अन्त तक होने की आशा है।

(६) जी हां।

(७) व (८) सड़क पूर्णतया तृतीय योजना-काल में पूर्ण होगी।

(९) जी नहीं, भविष्य के लिए निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(१०) सामान्य हालत है।

(११) प्रश्न नहीं उठता। आवश्यक मरम्मत समय समय पर कराई जाती है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : १० मील का टुकडा ऐसा पड़ा हुआ है कि वहां जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं, नाले खराब हो गये हैं, टूट गये हैं। मैंने पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन पुट अप किया था, आज भी पूछा है लेकिन काम आज तक नहीं हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौनसी सड़क के १० मील के टुकड़े की बात कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह बात ठीक है कि यह सड़क पिछले २० साल से बन रही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.24

विश्वेश्वरदास डागा साइन्स कॉलेज, बीकानेर

१३८. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर शहर में विश्वेश्वरदास डागा साइन्स कॉलेज की नींव कब डाली गई तथा इसके लिए सरकार की ओर से कितनी जमीन दी गई ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। अगले दिन उत्तर दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मंत्री मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोरमेशन, सर, अध्यक्ष महोदय, एक अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है लेकिन सरकारी बेंचेज़ के सदस्यों द्वारा इधर की बेंचेज़ पर आकर मेम्बरों पर दबाव डालने की चेष्टा जा रही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि क्योंकि वे दबाव डाल रहे हैं, उन्हें विरोधी बेंचेज़ से तुरन्त हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष : दबाव मानने वाले तो दीखते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक तो सरकार और दूसरी सत्ता, दोनों हैं। इस तरह की कोशिश तो कर रहे हैं।

श्री अर्जनदास : कम से कम कोशिश तो की जा रही है।

सड़क-निर्माण

१३६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील सिकराय में सिकन्दरा गीजगढ़ की सड़क का ठेका किस व्यक्ति के नाम किस वर्ष दिया गया है ?

(२) सड़क की मंजूरी किस साल हुई ?

(३) क्या ठेके की मियाद पूरी हो गई है ?

(४) अब सरकार उपरोक्त सड़क को कब से बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) तीन मील का ठेका युनाइटेड बिल्डर्स बयाना के नाम मंजूर हो चुका है।

(२) १६५६ में।

(३) १६५७ में, मियाद पूरी नहीं हुई।

(४) कार्य आरम्भ हो चुका है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कार्य आरम्भ हो चुका हैं।

राष्ट्रीय विकास खण्ड

१४०. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि खारची राष्ट्रीय विकास खंड में विकास अधिकारी तहसीलदार का कार्य भी करते हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि वहां पर एडीशनल तहसीलदार भी कार्य करता है ? यदि हां, तो उन दोनों के बीच कार्य किस प्रकार बंटा हुआ है ?

Page No.25

उप सामुदायिक विकास योजना मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। तहसीलदार व एडीशनल तहसीलदार के बीच कार्य का बंटवारा विकास विभाग के आदेश संख्या ३ (३६) डी. डी. ५४। १६२१–७८ दिनांक २१ जनवरी सन् १६५५ के आधार पर किया गया है जिसकी प्रतिलिपि सदन सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : यह बंटवारा किया गया है लेकिन प्रेक्टिस में नहीं आता है।

श्री सम्पतराम : यह इतला आप दे रहे हैं। इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री बेनाराम गहलोत : आप जांच करवा लीजिये।

श्री सम्पतराम : आप स्पेसिफिक इन्सटान्स दीजिये।

श्री तेजाराम : रेवेन्यु का काम कौन करता है, एडीशनल तहसीलदार या बी. डी. ओ ?

श्री सम्पतराम : तहसीलदार का काम बी. डी. ओ. करता है।

श्री तेजाराम : आपके बंटवारे के हिसाब से किनको करना चाहिए।

श्री सम्पतराम : I said that there was a decision regarding distribution of work in which it was decided that Tehsildar will do some of the work and B. D. O. will also dispose of some of the cases according to the distribution of the work.

ओवरसियर, सुल्तानपुर (त० दीगोद)

१४१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम सुल्तानपुर, तहसील दीगोद में ओवरसियर का हैडक्वार्टर होते हुए भी ओवरसियर वहां नहीं रहता ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) - (क) ओवरसियर वहीं रहता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामनारायण वर्मा : गलत सूचना मिली है, वहां पर ओवरसियर नहीं रहता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सही है कि १५–२० दिन पहले वह आदमी वहां नहीं रहता था, जब यह बात नोटिस में आई तो स्ट्रिक्टली वहां रहने के ऑर्डर्स कर दिए। आज तक वहां क्यों नहीं रहते थे, इसके लिए पूछा गया है कि वहां क्यों नहीं रहते थे ?

डाइरेक्टर. जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा सांचे बनाने का ठेका

१४२. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): Will the Home Minister be pleased to state :

Is it correct that the Hind Block Makers, Jaipur, who were on the approved list of the Government were given work worth Rs. 400/-only by the Director, Public Relations, during the year 1956-57 while the Jubilee Block Works, Jaipur which was not on the approved list of the

Page No.26

(श्री पी. के. चौधरी).

Government was given work worth Rs. 15,000/-during the same year ? If so, will the Government state reasons for doing so ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : It is correct that against the tenders invited by the Director of Public Relations, the rates quoted by M/s. Hind Block Works were cheapest and were approved. The work was entrusted to them on a trial basis on the clear understanding that they would have to guarantee both promptness and quality of work, but the firm totally failed to satisfy in both these respects. The work with the Directorate of Public Relations is of such technical nature that the quality and timeliness of a particular work cannot be sacrificed only for the consideration of price and on the inability of the firm to turn out work in time as also for a particular quality of work, the Director of Public Relations had to go to the other firm.

श्री पी. के. चौधरी : The firm which was unable to supply the work properly, they were put on the approved list ?

श्री रामकिशोर व्यास : The tenders submitted by the firm were the lowest and we accepted it, but when the work was given to it, it did not comply with it neither in quality nor in time.

श्री पी. के. चौधरी : My question was, when the firm could not do the work either in time or in quality, why it is maintained on the approved list, while the other firm which does the work according to quality has not been kept on the approved list ?

श्री रामकिशोर व्यास : We will take notice of what you have suggested.

श्री पी के. चौदरी : It is a specific question; the firm which was not able to do the work is still on the approved list of the firms, but the firm from which the work is being done is not on the approved list even today.

श्री अध्यक्ष : But he has promised to correcrt the matter.

Next.

ब्लॉक सलाहकार समिति

१४३. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कलेक्टर का ब्लॉक सलाहकार समिति की हर मीटिंग में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) जनवरी १९५७ से आज तक देसूरी, खारची व सोजत ब्लॉक की कुल कितनी मीटिंग्ज़ हुई तथा उनमें से कौन कौन सी मीटिंग में कलेक्टर पाली व अन्य डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर्स उपस्थित थे ?

Page No.27

उप-मंत्री सामुदायिक विकास योजना (श्री सम्पतराम) : (क) जिला विकास अधिकारी का ब्लॉक सलाहकार समिति की हर मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु उनसे आशा की जाती है कि जहां तक सम्भव हो वे ब्लॉक सलाहकार समिति की अधिक से अधिक बैठकों में भाग ले सकें। इन समितियों की बैठक हर माह होना अनिवार्य कर दिया है, साधारणतया ये मीटिंग्ज़ नियत तिथियों पर होती है। ऐसा हो सकता है कि जिला विकास अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहने से भाग न ले सके हों।

(ख) यह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्रीअध्यक्ष : १४४।

डाइरेक्टर जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा छपाई के आदेश

१४४. श्री पी के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that printing orders worth thousands of rupees were placed by the Director, Public Relations with two local Presses, namely Ajmera Printing Works and Jaipur Printers, Jaipur, without obtaining inability certificates from the Government Presses ?

(b) Is it also correct that these two firms were paid 50% extra as 'Urgent Charges' for completing the work within a stipulated time, even though these firms failed to do so ?

(c) Is it also correct that these two firms were asked by the D. P. R. to submit revised bills charging 100% extra as 'Urgent charges ? If so, what actuated the D. P. R. to make this gesture to these private firms ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) :

(a) It is incorrect that printing orders were placed by the Director of Public Relations with the two presses without obtaining inability certificates from the Government Press. In all the cases, the Government Press was approached first to undertake the work and the printing was entrusted to the presses only when it was found that the work could not be done at the Government press in time. The payments were made either after the verification by the Director of Printing and Stationery or at the rates approved by them.

(b) No urgent charges were paid if it was found that the work was not done within the specified time by any Press,

(c) This is not correct.

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon Minister place before the House the nature of urgent work which was carried out in question ?

श्री रामकिशोर व्यास : Could not follow.

श्री पी. के. चौधरी : जो अर्जेन्ट चार्जेज़ किसी किसी केस में पे किया है....

(श्री पी. के. चौधरी)

time laid down by the Government and the time of the delivery, will you please................

श्री अध्यक्ष : For the whole year, you put up a separate question.

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप अलग से पूछेंगे तो बता दूंगा

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon. Minister please indicate the date on which the order was placed and the date on which the non-availability certificate was received ?

श्री रामकिशोर व्यास : You will please ask another question. and we will reply.

श्री श्रीमान सिंह : But this is Covered by the question.

श्री अध्यक्ष : No.

श्री श्रीमानसिंह : वे डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं, तभी तो ओनरेबल मेम्बर ने क्वेश्चन पूछा है।

We want to know whether the non-avail-ability certificate was received before the orders were placed or after the orders were placed ?

श्री अध्यक्ष : He did not ask for the date on which one thing was done and one thing was received.

श्री श्रीमानसिंह : It is a supplementary, Sir.

श्री अध्यक्ष : It is not a valid supplementary.

उप तहसील इन्द्रगढ़ में कृषि कार्य हेतु जमीन का अभाव

१४५. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उप तहसील इन्द्रगढ़ के चान्दा खुर्द, चान्दा कलां, डोबरली, खेडली आदि ग्रामों के कृषकों के पास खेती योग्य जमीनें बहुत कम हैं ?

(ख) क्या यह सही है की उक्त ग्रामों में खेती योग्य जमीन के अभाव का एक मात्र कारण जमीन का कटाव है ?

(ग) क्या इस भूमि—कटाव पर रोक करने से ३,००० बीघा जमीन खेती योग्य और निकल सकती है तथा आबाद जमीन भी उपजाऊ हो सकती है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस भूमि-कटाव पर रोक का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इन गांवों में किस किसान के पास कितनी जमीन है, इसके सर्वे का काम कृषि विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अलबत्ता सोइल कन्ज़र्वेशन के बारे में आपने सूचना दी है, वह सोइल कन्ज़र्वेशन का काम उन गांवों में किस स्टेज पर शुरू किया जा सकता है इस पर विचार किया जायगा। वह कब शुरू किया जायगा, यह अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री रामनारायण वर्मा : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : Could you please repeat it ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (उपरोक्त उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

सड़क निर्माण

१४६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सागर से रिड़मलसरवास सिपाहियान जिला बीकानेर तक एक मील एप्रोच रोड बनाने की मांग कब से चल रही है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कार्य योजनानुसार सन् १६६०–६१ में प्रारम्भ होने की आशा है ।

श्री भीमसेन : क्या इस छोटे से टुकड़े को सरकार जल्दी ही शुरू नहीं करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मील का एप्रोच रोड का टुकड़ा है उसको जल्दी करने की कोशिश की जायगी । जो मेन सड़क है उसे तो उसी साल में शुरू किया जायगा ।

(शेष प्रश्न प्रश्न-काल की अवधि की समाप्ति के कारण नहीं पूछे गए)

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

१२. ३ म.प.

राजस्थान में चेचक के प्रकोप सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब इतने ही प्रश्न लिए जायेंगे ।

एक स्थगन प्रस्ताव श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल का है जो इस प्रकार है :

"गत कुछ दिनों से सम्पूर्ण राजस्थान में चेचक का भीषण प्रकोप हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों व्यक्ति अब तक मौत के शिकार हो चुके हैं । राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है । राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम अभी तक नहीं उठाया है और राज्य के कोने कोने में इस भयंकर रोग का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है जिसके कारण राज्य की सम्पूर्ण जनता अत्यन्त भयभीत है और यदि यह उदासीनता इसी प्रकार बनी रही तो परिणाम बहुत घातक होंगे; अतः सार्वजनिक हित की दृष्टि से यह मामला बहुत गम्भीर है और सरकार का ध्यान इस ओर तुरन्त आकर्षित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । अतः सदन की आजकी कार्यवाही स्थगित की जाकर पहले इस प्रश्न पर विचार किया जावे ।"

यह प्रश्न इतना जरूरी नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय । इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य सोमवार, १७ तारीख को दिया जायगा ।

१२. ४. म. प.

सहकारी मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न सम्बन्धी पूरक प्रश्न का गलत उत्तर देने विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

एक प्रिविलेज मोशन श्री भैरोंसिंह डिवीजन संख्या १४ ने पेश किया है, जो इस प्रकार है:

"श्री नाथूराम मिर्धा, सहकारी मन्त्री, राजस्थान ने प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को इस सम्बन्ध की गलत सूचना दी कि उक्त मामले में गबन करने वाले अपराधी व्यक्ति

(श्री अध्यक्ष)

के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा बन गया है और वह जमानत पर है और इस प्रकार जान-बूझ कर सदन को गलत सूचना देकर सदन का सरकार के प्रश्नों द्वारा सही सूचना प्राप्त करने का जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन किया है, अतः सदन की सम्मति है कि उक्त प्रश्न विशेषाधिकार समिति को उचित कार्यवाही हेतु दिया जाय ।"

इस विषय पर एक पत्र आया है मन्त्री महोदय का जो इस प्रकार है:

"I have seen the proceedings of the debate dated 12/2/58. In answer to question No. 53 I seem to have stated that the case has already been registered with the Police. This statement was made under an impression of one other case wich has been given to the Police. In this matter, the case was not handed over to the Police because it took a long time for completing the departmental enquiry. The answer may kindly be corrected and it may be recorded that the case was not given to the Police. The incorrect reply was given on accouut of my impression regarding the other case and it is regretted. I also desire to make a statement in the House on this point.

इस पत्र के बाद विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है और मन्त्री महोदय इस बारे में और वक्तव्य भी देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : माफी मांग लें साहब ।

श्री अध्यक्ष : First hear what he has to say.

(विराम)

He has already regretted in the matter,

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस से मुझे माफी मांगने में कोई एतराज नहीं है । मैं इतना अर्ज करना चाहता था कि इस प्रश्न के बारे में जो जानकारी उस समय उपलब्ध थी वह दी गई । ऐसा था कि दो-तीन महीने पहले आवश्यक समझ कर डिप्लिकेशन और मिसप्रोप्रियेशन के केसेज़ की लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मंगाई गई थी और इस बारे में विभागीय चर्चा की थी कि ये केसेज़ ज्यादा अर्से तक पेंडिंग नहीं रखे जायं, इनकी इन्क्वायरी डिपार्टमेंट लेवल पर करनी हो तो वह की जाय और पुलिस एक्शन लेना हो तो पुलिस एक्शन जल्दी लिया जाना चाहिए । इन केसेज़ को ज्यादा पेंडिंग रखने से विभाग का काम भी अच्छा नहीं चलता और केसेज़ पुराने होने से खराब भी हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं । उस वक्त बहुत से केसेज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था । इस केस के बारे में पुलिस के चालान की जो बात कह दी थी वह एक दूसरे केस का ध्यान रह जाने से, जो बात एक दूसरे केस के बारे में थी वह इसके सम्बन्ध में कह दी थी । बाकी सदन को गलत सूचना देकर माननीय सदस्यों का प्रिविलेज है, उसको हनन करने के उद्देश्य से नहीं कही थी । मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, इस इच्छा से वह कार्य नहीं किया था, मुझे इतना ही सदन को कहना है ।

Page No.31

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपने विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया था उसके लिये इस कारण से खेद नहीं है कि आपके द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है, पर इस बात की खुशी है कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के कारण माननीय मन्त्री महोदय को यह सूचना मिली कि सदन, उनकी ओर से कोई गलत सूचना भी दी जाय तो उसको पकड़ने में सतर्क है । लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें मन्त्री महोदय के इन्टेन्शन के बारे में जांच करनी पड़ेगी । यदि इन्टेन्शन यह है कि यह किसी दूसरे केस की सूचना के गलत इम्प्रेशन के कारण ऐसी सूचना दी तो हो सकता है कि उसे करेक्ट करें । पर मन्त्री महोदय को प्रिविलेज मोशन की सूचना मिली और यह सूचना मिलने पर उन्हें यह ज्ञान हुआ कि मैंने सदन में गलत बात कही है, वह पकड़ी गई, तब उन्होंने एक पत्र अध्यक्ष महोदय को पेश किया कि मैंने गलत सूचना दूसरे केस के इम्प्रेशन में दे दी वह पकड़ी गई, इसलिए इसे करेक्ट कर दिया जावे । तो इससे स्पष्ट है कि मन्त्री महोदय द्वारा यह करेक्ट करने की गरज से सूचना नहीं थीं, बल्कि विशेषाधिकार के प्रश्न से बचने के लिए इस प्रकार की सूचना दी, यह इन्टेन्शन है । माननीय अध्यक्ष, प्रश्नों का उत्तर देते समय मन्त्रियों का जो रवैया रहता है वह खेदजनक है और ऐसा करते हुए कभी कभी मन्त्री महोदय ऐसे मामलों में पकड़े जाते हैं ।

उनको अधिकार है ऐसे मामलों में उत्तर देने का, लेकिन हमें उनके इन्टेन्शन को देखना पड़ेगा और जहां तक मेरी जानकारी इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में है आपने यह पत्र इसी कारण से लिखा है कि सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा न हो । सदन सर्वोपरी है, सदन सुप्रीम ओथोरिटी है । अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर किसी प्रकार का वाद–विवाद न हो, उसके लिए माफी मांग लें कि उन्होंने जो इस प्रकार की सूचना दी है गलत है और आयन्दा इस प्रकार की गलत सूचना नहीं दूंगा और जो काम किया है उसके लिए माफी मांग लें । मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जब माननीय सदस्य खड़े होकर माफी चाहें तो सदन के माननीय सदस्य उन्हें उदारता पूर्वक माफ कर दें और कोई इन्कार न करें ।

श्री अध्यक्ष : I think he has already expressed his regret.

श्री भैरोंसिंह : माफी मांगे तब ।

श्री अध्यक्ष : But I agree with the honble member's observation that correctness is necessary on behalf of the Treasury Benches because sometimes these questions come up and they are replied in a casual and cavalier fashion.

(हर्ष–ध्वनि)

And I hope the hon'ble members on thr Treasury Benches will give correct replies and if they do not have information, they can ask for more time, but what even they say that must be reliable and must be correct.

श्री भैरोंसिंह : माफी मांगने पर माफी दे दी जावे, वे खड़े होकर माफी मांग लें । एक मिनिट लगेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पत्र में लिख दिया है और हाउस के सामने रख दिया है । जब हाउस के सामने रख दिया है तो आपके सामने है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं समझता हूं कि आपको माफी मांगने में हर्ज ही क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पत्र में लिख दिया है और पत्र सदन के अध्यक्ष महोदय के पास है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा माफी दीजिये ।

१२.११ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

(१) श्री नाथूराम मिर्धा, वि० सं० ११६--दिनांक १३. २. ५८ से १७ २. ५८ तक ।

(२) श्री रामचन्द्र, दिनांक १४. २. ५८ के लिये ।

(३) श्री श्रीराम आसोतिया, वि० सं० १६०- दिनांक १०. २. ५८ से १४. २. ५८ तक ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

वर्तमान मंत्री-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्तावों की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : अब दो और प्रस्ताव मेरे पास आये हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"Sir, I hereby give notice under Section 76 of the Rules of procedure and conduct of business in the Assembly of the following motion:

'Looking to the general inefficiency, prevalance of corruption and favouritism this House resolves that it no longer has confidence in the present Council of Ministers.

Your faithfully,
'Raja Man Singh'

इसी तरह का एक और प्रस्ताव श्री भैरोसिंह, वि० सं० १४ द्वारा मेरे पास आया है जो इस प्रकार है:

"इस सदन की सम्मति है कि इस सरकार (वर्तमान मत्री-मंडल) के प्रति सदन का अविश्वास हो चुका है ।"

श्री भैरोंसिंह : जो माननीय सदस्य इस पक्ष में हो कि यह प्रस्ताव विचारार्थ लिया जाए वे कृपया खड़े हो जाएं ।

(माननीय सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

३८ माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए ।

यह प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकार किया जाता है । जब इसके बारे में बहस होगी, उसकी सूचना माननीय सदस्यों को आयन्दा दे दी जावेगी ।

(१२. १४. म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री सतीशचन्द्र (जोहरी बाजार, जयपुर) माननीय अध्यक्ष, ...

श्री अध्यक्ष : आज इस बहस का आखिरी दिन है । पहले यह तय किया गया

(श्री अध्यक्ष)

था कि आज दो बजे तक बहस होगी और उसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दिया जायगा। मगर सरकारी पक्ष की तरफ से यह मांग की गई है कि दो बजे के बजाय डेढ़ बजे ही बहस समाप्त कर दी जाए ताकि उसके बाद सरकारी पक्ष की तरफ से सब बातों का जवाब दे दिया जाए।

राजा श्री मानसिंह : There are many honourable members who want to take part in the debate. Can the Government give the reply tomorrow ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष, हमेशा इस सम्बन्ध में जितना समय देते हैं उससे एक दिन और ज्यादा दिया गया है; आगे भी कार्यक्रम है उसमें दिक्कत न हो।

श्री अध्यक्ष : That will actually delay our work. There will be budget Session and the Hon'ble members will have ample opportunity to speak.

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषण छोटे दें ताकि ज्यादा सदस्य भाग ले सकें। कल तक १५ मिनट की अवधि नियत की गई थी, अब उसके बजाय १० मिनट की अवधि कर दी जाए या माननीय सदस्य ही अपने भाषण को १० मिनट या १५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री सतीशचंद अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में गत ती। दिन से चर्चा चल रही है। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार गत दो दिनों में प्रकट किये, मैं समझता हूं, उनके विचारों में जो भावना थी और जो भावना माननीय सदस्यों ने व्यक्त की वे एक रूप से एक ही थीं।

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जहां एक ओर राज्य में चलने वाली विकास योजना का जिक्र किया और गत वर्ष में इस कार्य में मिली सफलताओं का जिक्र किया है वहां दूसरी ओर शांति और सुव्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, गत तीन दिनों के विचार-विमर्श से, जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में, जहां से वे आये हैं, राजस्थान के कोने-कोने के बारे में, अपने अनुभवों के आधार पर, समाचार पत्रों के आधार पर अपनी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से और माननीय गृह मंत्री की तरफ से जानकारी जो दी गई है और जिन चोरों को काबू में करके चोरियों का माल बरामद किया गया है, डाकुओं को पकड़ा और मारा है उससे शांति और सुव्यवस्था में सफलता मिली है, उस पर प्रकाश डाला है। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं हो सकता है कि हमारे राज्य के छोटे-मोटे डाकुओं को पकड़ लिया हो और हजार या दो हजार, पांच-पचास हजार की चोरी करने वालों को पकड़ लिया हो और उनको जेल के सीखचों में बन्द कर दिया हो। मैं बताना चाहता हूं कि जो शांति और सुव्यवस्था के बारे में संतोष माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रकट किया उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको आज उनके बारे में विचार करना है जिनसे राजस्थान में आम शिकायत है, शांति को और सुव्यवस्था को खतरा है, राज्य की जनता को खतरा है और १॥

Page No.34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करोड़ लोगों को खतरा है। हमको ५० हजार की चोरी करने वालों से व प्रोफेशनल डाकुओं से इतना खतरा नहीं जितना कि माननीय अध्यक्ष, उन लोगों से है जो आज राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे, खून और पसीने की कमाई के पैसे, हजारों और करोड़ों की संख्या में डकार जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में आपका ध्यान अभी हाल ही में पिछले महीने में हुई घटना की तरफ आकर्षित करता हूं। हमारे राजस्थान में नाथद्वारा का एक धार्मिक मंदिर है। उस मंदिर में २५ दिसम्बर को, ऐसा कहते हैं कि गहनाघर में खजाना मिला, लाखों की सम्पत्ति मिली, जिसके बारे में किसी प्रकार की इन्फोर्मेशन नहीं। आज बम्बई के बड़े बड़े सेठ वहां पर आते हैं और लाखों व करोड़ों की वहां पर सम्पत्ति है। माननीय अध्यक्ष, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बोर्डर पर, सीमा पर होने वाले सोने और अफीम के अवैध व्यापार की रोक-थाम की बात कहते हैं। हमारे यहां राजस्थान में, राजस्थान की पुण्य भूमि उदयपुर में, धार्मिक मंदिर नाथद्वारा में लाखों और करोड़ों रुपयों का डाका पड़ा, उसका आज तक कोई हिसाब भी दिखाई नहीं देता।

माननीय अध्यक्ष, मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पांच साल पहले इस पवित्र मंदिर का प्रबन्ध करने के लिए जो अन्न दाता था, जो धर्मदाता था, जो दान देने वाले दान-दाता थे उनमें से २१ लोगों की एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के बनाने के बाद में सारा मन्दिर का प्रबन्ध उसको सौंप दिया गया। वह कमेटी मंदिर के महन्त गोविन्दलालजी को पसन्द नहीं आई। चूंकि वह उनको पसन्द नहीं आयी इसलिए उस कमेटी को तोड़ दिया गया, उस कमेटी को माननीय अध्यक्ष, भंग कर दिया गया और उसके बाद ११ लोगों की कमेटी मुकर्रर कर दी। माननीय अध्यक्ष, फिर क्या हुआ, ११ आदमियों की कमेटी मुकर्रर कर दी उससे असंतोष हुआ। गोविन्द लाल जी ने किया, पुजारी ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ११ आदमियों की कमेटी २१ आदमियों की कमेटी को भंग करके बना दी गई और उसकी स्वीकृति राजस्थान सरकार ने प्रदान कर दी, उसकी गजट में एप्रूवल नोटीफाई कर दी। फिर क्या हुआ ? हुआ यह कि अव्यवस्था हुई, मंदिर की जायदाद लूटी गई लाखों की संपत्ति का घोटाला, हुआ। लोगों ने इसकी शिकायते कीं, पत्रों में समाचार उस सम्बन्ध में छपे, लोगों ने गृह मंत्री पंत के पास शिकायते कीं, लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष ढेबर भाई के पास शिकायतें कीं। जब समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार देखे, लोगों की शिकायते आई और गृह मंत्री के पास वे पहुंचीं तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ी सतर्कता के साथ देखा और इसमें गहरे षडयन्त्र का हाथ देखकर दूसरी कमेटी मुकर्रर की। उस कमेटी में उस पुजारी के ३ व्यक्ति रह गये, मुख्य मंत्रीजी के ३ आदमी मुकर्रर हुए और इस प्रकार से ११ आदमियों के हाथ में उस मंदिर का इन्तजाम आ गया। लोगों के ऊपर इस प्रकार से प्रबन्ध के नाम पर एक कमेटी को थोपना था, लोगों के साथ यह एक कोम्युनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। इस चीज़ को अखबारों ने छापा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में अखबारों में तो छपा सो छपा, राजस्थान की इस विधान सभा में भी माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये। इस राजस्थान की विधान सभा में सवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उठाये गये कि इसमें घोटाला है, मन्दिर की संपत्ति को लूटा जा रहा है तो राजस्व मन्त्री जो देवस्थान के मन्त्री थे उन्होंने इसी विधान सभा में वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य के दौरान में उन्होंने कहा कि इस मन्दिर की सारी संपत्ति की इन्वेन्टरी तैयार की है, इस मन्दिर की सारी जायदाद की इन्वेन्टरी तैयार की है, सारी जायदाद की लिस्ट बनाई गई है। जब जायदाद का हिसाब बन जाने के बाद, संपत्ति की लिस्ट बन जाने के बाद इस विधान सभा के सदस्यों का भी यह ध्यान नहीं जा सकता था कि इस प्रकार इन्वेन्टरी बन जाने के बाद २५ दिसम्बर को कोई गड़ा हुआ खज़ाना मिलेगा । मैं नहीं कह सकता कि उनका भी इस ओर कोई ध्यान था या नहीं ? माननीय अध्यक्ष, इन्वेन्टरी बन गई, विधान सभा के सदस्यों को संतोष दिला दिया, अखबारों में समाचार छप गये। लेकिन माननीय अध्यक्ष, आपने और सब ने भी अखबारों में समाचार देखे होंगे कि नाथद्वारा, इसके पवित्र मन्दिर में २५ दिसम्बर, १९५७ को जबरदस्ती जखेरा मिला, सम्पत्ति मिली और कहा यह जाता है कि केवल ३।। लाख का ही खजाना मिला। यह तो समय ही बतायेगा, इस सम्बन्ध में जांच ही बतायगी कि वास्तव में कितना खजाना मिला था। ३।। लाख के खजाने के समाचार छपे, अखबारों में छपे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि १ करोड़ का खजाना मिला है और यह २५ दिसम्बर, १९५७ को मिला है। लेकिन माननीय अध्यक्ष, सब से बड़ा घोटाला, जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे मन में संशय पैदा करता है, उस २५ दिसम्बर को मिलने वाले खजाने के १५ दिन के बाद में १० जनवरी को इन्वेन्टरी बनाई जाती है। यह सब हमारे मन में संशय पैदा करते हैं। २५ दिसम्बर से पहले जो घटनायें घटीं, जो सामाचार पत्रों में सामाचार छपे, जो जो आक्षेप लगाये गये, मुख्य मन्त्री के ऊपर भी आक्षेप लगाए गए थे उन सब का आज दिन तक कोई प्रतिवाद नहीं आया। विधान सभा में जरूर इसका उत्तर दिया गया था। यदि भूतकाल की पृष्ठभूमि में क्या घटनायें घटीं थीं, उन सब की ओर दृष्टिपात करके देखा जाय तो वास्तव में ये सब बातें बड़ा भारी संशय पैदा करती हैं कि इसके पीछे कोई षडयन्त्र है। २५ दिसम्बर को खजाना मिलता है और १४ दिन के बाद उसकी इन्वेन्टरी बनती है, तो यह एक इस बड़ी भारी घटना की द्योतक है, यहां मुख्य मन्त्रीजी स्वयं २ जनवरी को पुजारी से मिलने के लिए जाते हैं।

(विरोध पक्ष द्वारा "शेम–शेम" की आवाज)

जब २५ तारीख को खजाना मिलता है तो सवाल यह पैदा होता है कि जब इन्वेन्टरी बन चुकी थी तो यह छिपा हुआ क्यों था ? कहते हैं कि किसी कमरे के पास आलमारी रखी थी और कमरे में यह खजाना मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कमरा है, यदि इसके सामने कोई आलमारी रखी हुई हो तो कोई कहे कि हमारे कमरे में खजाना मिला है; माननीय अध्यक्ष, कमेटी रूम कोई छिपा हुआ नहीं है कि आलमारी रख देने से इतना बड़ा खजाना उसमें मिल जाय और इन्वेन्टरी के समय वह उस अलमारी के कारण हिसाब में न आये। यदि खजाना था, हिडन ट्रेज़र; तो मुख्य मन्त्रीजी और राजस्व मन्त्रीजी इस बात का जवाब दें कि जब खजाना २५ दिसम्बर को मिला था तो १० जनवरी को क्यों उसकी इन्वेन्टरी १५ दिन के बाद बनाई गई ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसमें क्या घोटाला था, इसमें क्या षड्यन्त्र था कि जिससे इतने दिन के बाद उस मिले हुए खजाने की इन्वेन्टरी हुई। खजाना मिला, लेकिन मेरी सूचना के अनुसार मुझे पता चला है कि कहते हैं कि वहां से, नाथद्वारा से जीप में हजारों, लाखों का सामान भर कर जयपुर के एक अधिकारी द्वारा लाया गया। कौन व्यक्ति था वह, वे यह बतावें? लेकिन एक जीप में एक अधिकारी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा सामान भर कर लाया गया, ऐसा कहा जाता है। २४ तारीख को मुख्य मंत्री नाथद्वारा गये मन्दिर के पुजारी से मिलने के लिए। उनसे उनका पुराना सम्बन्ध है और उनकी पढ़ाई–लिखाई भी नाथद्वारा फन्ड से हुई। उनकी माताजी वहां रहती हैं और धार्मिक भावना है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन सारे प्रसंगों के साथ इन सारी चीजों को देखें। और फिर २ जनवरी को तशरीफ ले जाते हैं और ३ तारीख को वापिस आते हैं। १५ दिन के बाद इन्वेन्टरी बनाई जाती है और कहते हैं कि ३॥ लाख का ही माल मिला। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यदि इस पृष्ठभूमि में इस सारी घटना को देखा जाय तो मालूम होगा कि लाखों और हजारों की सम्पत्ति का घोटाला हुआ है। अमृतलाल और अन्य जंगलों में फिरने वाले बर्बर हब्शी डाकू राजस्थान की जनता का लाखों रुपया डाका डाल कर ले जाते हैं; उन घटनाओं से यह घटना कम नहीं है। इसलिए राजस्थान के भाग्यविधाता, राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्रीजी, सुखाड़िया इसका उत्तर देंगे, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। सदन के माननीय सदस्यों को, जो इस सम्बन्ध में संशय पैदा हो गया है, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता को जो संशय पैदा हो गया है, जो घटना घटी है उसका स्पष्टीकरण करेंगे, निराकरण करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो एक घटना घटी है, जिस पृष्ठभूमि में घटी है, इन सारी बातों का उत्तर मुख्य मंत्रीजी से चाहते हैं। इन सारी घटनाओं के आधार पर और पिछले दफा सदन में और भी घटनायें रखी गई थी, उस वक्त उनके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी के भाषण हुए थे और उन पर बाकायदा विचार हुआ है। उस समय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया था और मुख्य मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ बताया था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम बॉम्बे वाले आई. जी. पी. को नियुक्त कर रहे हैं। बॉम्बे वाले आई. जी. पी. साहब आ भी गये, लेकिन उन्होंने आज तक क्या किया है, यह सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है। उन्होंने कुछ नहीं किया। खुद उस बोर्ड का पुनर्गठन करके सभापति बन बैठे। मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, उन शब्दों को याद करें। तीन दिन पहले हमारे जन संघ के नेता ने इस सदन में कोई पत्र प्रस्तुत किया था। पानरवा कान्ड के सम्बन्ध में गत सत्र में जिक्र किया था कि लाखों रुपये के जंगल इस प्रकार दे दिये जाते हैं। एक पानरवा जंगल ही नहीं है, कई ऐसे जंगल हैं। इस पानरवा जंगल को, ४५० वर्ग मील में फैले हुए जंगल को केवल १८००० में दे दिया गया। जंगलों का ठेका खत्म हुआ ही नहीं कि उससे पहले ही मियाद बढ़ा दी जाती है और फिर वन मंत्री लिखते हैं कि आगे से काट काट कर दिया जावे। जिस जंगल से लाखों की आमदनी सरकार को हो सकती थी उसको इस प्रकार से दिया गया। सन् १९५४ में उसका ठेका खत्म हुआ नहीं उससे पूर्व ही उसकी मियाद बढ़ा दी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गई। यदि ठीक तरह से दिया जाता तो लाखों की आमदनी हो सकती थी, लेकिन उसकी मियाद तीन साल के लिए बढ़ा दी। कुछ भी हो, जांच की बात अलग है। सन् १९५७ के सितम्बर महीने में वह ठेका समाप्त होता था लेकिन उस समय चुनाव का कार्य था, जरूरी था वह। शायद पैसों की जरूरत हुई होगी, भगवान जाने क्या था, भूतपूर्व वन मंत्री ने दस महीने उसके और बढ़ा दिये। क्या यह घटना उनकी घोषणा को याद नहीं कराती ? मुख्य मंत्रीजी पिछले वक्त घोषणा कर चुके हैं कि राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। इसके लिए बॉम्बे वाला आई० जी० पी० को बिठाया है, निश्चित कदम उठाने जा रहे हैं। आज स्वयम् वे इस भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड के सभापति हैं। यदि वे इस पानरवा कांड की जांच करायेंगे, इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि पानरवा कांड की जांच करायेंगे, नाथद्वारा के मंदिर की संपत्ति की जांच करायेंगे; जिस प्रकार भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में जस्टिस छागला को नियुक्त करके जांच कराई है और इस कान्ड में ४०-५० लाख का घोटाला मिला है और इसी कारण उच्च कोटी के नेता को त्याग पत्र देना पड़ा है, इसमें आगे क्या होगा, यह तो भगवान जाने लेकिन यदि पानरवा कान्ड भी जीवन बीमा निगम की तरह ही है, उसकी जांच करायेंगे, नाथद्वारा में खजाना मिलने और उसकी पृष्ठभूमि में जो घटनायें घटी हैं उनके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या घोटाला हुआ है ? मैं मुख्य मंत्रीजी को चुनौती देता हूं सदन में कि वे इसकी एक जुडिशियल इन्क्वायरी बिठायें, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में बिठायें दूसरों की नहीं। उन्हीं के शब्दों को, जो उन्हें याद होंगे कि इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की सजा मौत भी हो तो कम है। मैं फिर कहता हूँ कि उन्हें ये शब्द याद होंगे कि भ्रष्टाचार की सजा मौत भी हो तो कम है। वे अपने इन शब्दों को याद करें। जनता की यह माँग है।

आज सदन मुझे इसके लिये माफ करे, अगर मैं आपको यह कहूं कि राजस्थान के अन्दर इतनी बड़ी नहरें बनती हैं या सड़कें बनती हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। एक छठी क्लास का विद्यार्थी जो सारे साल कुछ भी पढ़ता नहीं है, इतिहास का अगर उसे प्रश्न पूछा जाय तो वह यह लिख सकता है कि फलां राजा के समय में इतनी सड़कें बनीं, इतने पुल बने, इतनी नहरें बनीं। जिस छात्र ने साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा वह भी इतना तो जवाब लिख सकता है और दस में से ६ नंबर तो हासिल कर ही सकता है; तो मेरा यह निवेदन है कि सड़कें बनाना, नहरें बनाना यह कोई महत्व की बात नहीं है। आने वाली संतति यह जरूर कह सकती है कि सुखाडियाजी के मंत्रि मंडल में इतनी मील लंबी सड़के बनीं, इतनी नहरें बनीं। लेकिन भावी संतति उनके नाम पर थूकेगी कि उनके शासन-काल में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा, पानरवा जैसे कांड हुए। इसलिये माननीय अध्यक्षजी, मेरा माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन है और हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने कहे हुए शब्दों को याद करें और यदि वे चाहते हैं कि इसकी सही मायने में जांच हो तो हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायधीश श्री वांचू की अध्यक्षता में एक जुडिशियल बोडी इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कांड की जांच के लिये बिठाये तो मैं समझता हूं मुझे सन्तोष होगा, हमारे यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा और राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता को सन्तोष होगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

सब से पहले राज्यपाल महोदय ने शान्ति और सुरक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाला है, उसको देख कर हार्दिक खुशी होती है । माननीय अध्यक्ष, कई महानुभावों ने यह कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसी बातों का समावेश होता जिससे हमें राजस्थान की सही स्थिति मालूम होती तो ज्यादा अच्छा था । अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी आशायें बताना जो कि पार नहीं पड़े, ऐसी बातें बताना उचित नहीं था । जो राजस्थान का सही नक्शा था वह उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया । सब से पहले उन्होंने शान्ति और सुरक्षा की समस्या को हाउस के सामने रखा । कई सदस्यों ने बताया कि राजस्थान के अन्दर शान्ति और सुराज्य नहीं है । आज से पांच वर्ष पहले के आंकडे अगर वे उठा कर देखेंगे तो माननीय सदस्यों को विदित होगा कि उस समय राजस्थान की क्या हालत थी, उस समय राजस्थान किस हालत में गुजर रहा था ? आज धीरे-धीरे चल कर राजस्थान में यह स्थिति पैदा हुई । आज यहां का नागरिक सुख की सांस लेने लगा है, यह हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है । समाज और शासन की सुव्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि उस राज्य में शान्ति कायम हो । वह शान्ति राजस्थान में स्थापित हुई है....

श्री मदनसिंह (दांता) : केवल बंगलों में हुई होगी ।

श्री सोहनलाल भटनागर : बंगलों में ही नहीं झोपड़ियों में भी हुई है । आज यहां शान्ति का साम्राज्य कायम है । जब से समाज का निर्माण हुआ है; चोरियां, डकैतियां बराबर चली आरही हैं ? इस प्रकार की छोटी मोटी बातें तो सदा से हुआ करती हैं । एक माननीय सदस्य ने यह भी फरमाया कि जो कुछ भी वारदातें होती हैं उनकी ठीक तरह से रपट दर्ज नहीं होती । मैं भी यह अनुभव करता हूं कि अगर राज्यपाल महोदय के भाषण में यह भी होता कि जिस प्रकार डाकुओं को खत्म करने के लिये नये नये अस्त्र दिये जा रहे हैं उसी तरह से आज के युग में चोरियों आदि के पकड़ने के लिये नये नये तरीके अपनाये जाने चाहिये, पुराने तरीकों का खात्मा होना चाहिये और नये तरीकों का निर्माण होना चाहिये, वैसी हालत में इन्वेस्टीगेशन के लिये साइन्टिफिक तरीकों से चोरियां बरामद की जायं । गांवों के अन्दर यह जरूर स्थिति है कि पुराने तरीके चल रहे हैं........

श्री मदनसिंह (दांता) : क्या औजार मंगाये जा रहे हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर (जारी रखते हुए) : साइन्टिफिक तरीकों का अगर पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाय तो गांवों में अपराधों की संख्या कम हो सकती है ।

दूसरी बात हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है इसलिये कृषि प्रधान होने के

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कारण यहां की जो अर्थ-व्यवस्था है वह कृषि से ज्यादा संबन्ध रखती है । इसका मुख्य आधार भूमि सुधार है और उत्पादन बढ़ाना है । आज सारे देश के अन्दर दो बातें मुख्य रूप से चल रही हैं । हमारे राजस्थान में भूमि-सुधार इतने हुए, इस बारे में क्या क्या प्रगति हुई क्या क्या कामयाबी हुई उसका राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र कर दिया है ।

सबसे पहले भूमि सुधार के अन्दर राजस्थान काफी प्रगतिशील रहा है; प्लानिंग कमीशन ने और दूसरों ने भी माना है । अब हमें देखना यह है कि भूमि-सुधार-कानून जो भी पास हुए हैं उनके अनुसार अमल हो रहा है भी या नहीं । छोटे राजस्थान के अन्दर ऐसा हुआ था कि २०० रुपये तक की जागीर भी जब्त हो गई, परन्तु जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि में ऐसा नहीं हुआ है । जब बड़ा राजस्थान बना उसमें ५०० तक की जागीरों को समाप्त किया गया । इसलिये मेरा निवेदन है कि दो सौ रूपये तक की जागीरों को भी समाप्त कर दिया जाय ।

हमने यहां काश्तकारी कानून भी पास किये, वे प्रगतिशील होते हुए भी हमें यह देखना है कि जो मशीनरी हमें विरासत में मिली है वह इस पर ठीक ढंग से अमल कर रही है या नहीं ? हमने यहां जो पास किया, सरकारी भूमि पर जिनका कब्जा था और जिस तौर पर जो काश्त करते थे उनको बिना किसी मुआवजे के खातेदारी अधिकार दे दिये गये । ये सारी बातें हमने कानून में पास की हैं लेकिन उनका अमल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है । माननीय सदस्यों को मालूम है कि केरल में आज कम्युनिस्ट सरकार है, वहां की सरकार ने भूमि सुधार को प्रमुख स्थान दिया है । वहां जो भूमि सुधार का बिल बन रहा है और जो उन्होंने पास किया है उसके प्रावधान अपने यहां के प्रावधानों से कम प्रगतिशील हैं । राजस्थान ने कई वर्ष पहले एक ऐसा कानून—कायदा पास किया और केरल सरकार वैसा ही कानून अब पास कर रही है । कानून कायदे पास करने के बाद हमें यह देखना चाहिये कि उसको इम्पलीमेन्ट कराने वाली मशीन ठीक है या नहीं ? मैंने यह जरूर देखा है कि इन कानूनों का ठीक ढंग से अमल नहीं हो पाया है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी मशीनरी को देखें, उसको ठीक करें ताकि गांवों के अन्दर भूमि सुधार की जो चीजें हैं, जो कानून-कायदे पास किये हैं उनका अमल ठीक तरह से हो सके ।

दूसरी बात राज्यपाल महोदय ने जो कही वह है सीलिंग के बारे में । इसके लिये सीलिंग कमेटी कायम हुए तीन-चार वर्ष हुए, बहुत दिनों से हम सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट की इन्तजारी कर रहे थे । वह रिपोर्ट हमारे सामने पेश कर दी गई, और उसको हमने देखा भी है लेकिन यह बात जरूर है कि सीलिंग की बातें करते करते बहुत समय निकल चुका और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है अब भी इसको कार्यान्वित करने में दो वर्ष का समय और लग जायगा । सीलिंग इतनी देरी से किया जायगा कि सीलिंग करने के लिये भूमि नहीं बचेगी । जहां भूमि की अधिकता है उसके लिये तो मैं नहीं कह सकता किन्तु उदयपुर डिवजन के लिये मैं खास तौर से निवेदन करूंगा । वहां भूमि की कमी है, वहां की भूमि पर ज्यादा दबाव है; अगर यह कानून जल्दी अमल में नहीं लाया गया और जो

(श्री सोहनलाल भटनागर)

भूमि का हस्तान्तरण हो रहा है वह नहीं रोका गया तो सीलिंग का महत्व भी बहुत कुछ खत्म हो जायगा।

लेन्ड युटिलाइज़ेशन बिल जो चार साल पहले हमने पास किया था और उस एक्ट को लागू करने का प्रयत्न भी किया था, जिसके कारण जो भूमि हीन किसान हैं सीलिंग न होते हुए भी उनकी कमाई के लिए जमीन मिल सकती है।

दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें इसमें मिलती है वह है इर्रिगेशन की। भाखरा, नांगल, राजस्थान कैनाल, चम्बल बांध की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी दो शब्द कहे हैं। हमें खुशी है कि जब ये सब पूरी हो जावेंगी तो राजस्थान सारे हिन्दुस्थान की ग्रेनरी बन सकेगी।

पर साथ ही लघु–सिंचाई योजना पर जितना ध्यान देना चाहिये राजस्थान सरकार ने वह नहीं दिया है। फूड इन्क्वायरी कमीशन ने भी इस ओर ध्यान दिलाया है। मैं निवेदन करूंगा कि अब इस ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये, इसका भी बहुत महत्व है। इस प्रश्न को लेकर कई माननीय सदस्यों ने एक आवाज उठाई है कि इस मामले में ज्यादातर रुपया उदयपुर में खर्च किया गया। मैं इस बारे में एक ही बात निवेदन करूंगा कि जो आयोजन किया गया उसमें कई जिलों में बराबर हिस्सा नहीं बांटा गया। बराबर हिस्सा बांटने का सवाल करना ही ठीक नहीं है, क्योंकि जो जगह जिस काम के लिये उपयुक्त होगी उस काम के लिये रुपया वहीं खर्च किया जावेगा। राजस्थान कैनाल बीकानेर और जोधपुर डिवीजन में ही बन सकती है, उसका रुपया वहीं खर्च होगा। इसमें ६६ करोड़ का खर्च होगा। अब इसके लिये उदयपुर डिवीजन कहे कि इसका हिस्सा हमें मिलना चाहिये तो यह भी उचित नहीं होगा, इसी तरह चम्बल बांध का फायदा कोटा डिवीजन और जयपुर डिवीजन को होगा, उसका रुपया वहीं खर्च किया जावेगा, भाखरा का खर्च करने का रुपया वहीं खर्च किया जावेगा। उसका लाभ उधर के हिस्से को ही मिलेगा। रसायनिक खाद का कारखाना बीकानेर डिवीजन में ही बनेगा, अमोनियम सल्फेट का कारखाना सांभर में ही बनेगा। तो जो जहां उपयुक्त है उसका खर्च वहीं किया जावेगा। लघु सिंचाई योजनाओं के लिये पहाड़ियां और घाटियां उदयपुर डिवीजन में अधिक हैं, उनके पानी को वहीं बांधा जा सकता है, जोधपुर और बीकानेर के रेगिस्तान में यह योजना नहीं चल सकती। तो इस तरह की बात माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे मन की भावनाएं बताने वाली है।

दूसरा प्रश्न है हमारे यहां के फेमीन का। आज राजस्थान के आधे हिस्से में अकाल है। पर जिस तहेदिली से और सतर्कता से राजस्थान सरकार ने इस समस्या को हल किया है उसके लिये मैं उसको मुबारिकवाद देता हूं। पर एक बात का डर है, पार्लियामेन्ट में जो इस समस्या पर बहस होती है उसमें राजस्थान का कहीं नाम नहीं मिलता, तो इससे जरूर यह शक होता है कि क्या सही स्थिति उन लोगों को यहां की बताई भी जाती है या नहीं ? इससे यह होगा कि जितनी रुपयों की आवश्यकता हमें इस समस्या को हल करने के लिये हो सकती है उतना रुपया केन्द्र से हमें मिल सके।

दूसरा प्रश्न है जिंक स्मैल्टिंग प्लान्ट का। इसकी जरूरत अगर उदयपुर में है तो वह

(श्री सोहनलाल भटनागर)

प्लान्ट वहीं लगाया जायगा । खाद का कारखाना बीकानेर में ही लगेगा । तो यह प्रश्न भी उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर की दृष्टि से सोचने का नहीं है । इसलिये ऐसी भावना का त्याग कर देना चाहिये । हम हर वस्तु को राजस्थान के रूप में देखें ।

श्री चन्दनमल वैद : घर से शुरू करिये ।

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर : तो मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इस जिंक स्मैल्टिंग का प्रस्ताव पांच साल पहले का रक्खा हुआ है और वह मैंने ही यहां रक्खा था जिसे सदन ने सर्व सम्मत्ति से पास किया था । आज खुशी की बात है कि वह अमली रूप में लाया जा रहा है । पर इसमें भी एक बात है । यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ किया जा सकता था । अब यह प्राइवेट क्षेत्र में क्यों दिया गया ? हो सकता है, सरकार के सामने आर्थिक कठिनाई हो । पर अगर सरकार अधिक प्रयत्न करती तो यह समस्या भी हल हो सकती थी । इससे सरकार को काफी लाभ होता और काफी बेरोजगारी भी मिट सकती थी ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रदेश के विकास की योजनाओं पर जो प्रकाश डाला है उससे ऐसा तो अभी जरूरी नहीं है कि राजस्थान स्वर्ग हो गया, उसमें काफी खामियां भी हो सकती हैं । पर यह सही है कि जो कुछ उन्होंने तस्वीर रखी है, वह हमें प्रगति के पथ पर ले जाने वाली अवश्य है ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के भाषण को सुनने के बाद मेरे दिमाग में यह चीज आई कि मैं इस भाषण में कौन सी ऐसी चीज ढूँढूँ कि जिसमें सच्चाई हो और कहां के लिए यह लागू होती है ।

मैं गंगानगर जिले पर इसे लागू करूँ तो कह सकता हूं कि कोई सच्चाई नहीं है इसमें । यह भी देखूँ कि इस भाषण के पक्ष में इस सदन में कितने सदस्य बोले और उस पर ही देखूं कि विधान सभा को इस पर कितना सन्तोष है, तो वह भी स्पष्ट है । सिर्फ तीन सदस्य, जो उदयपुर को बिलोंग करते हैं इसके हक में बोले हैं ।

राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या इस समय भूमिहीन किसानों को बसाने की भी है । पर इतनी बड़ी समस्या का जिक्र तक इस भाषण में नहीं आया, यह देख कर मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई । यह उन गरीब किसानों पर एक तरह का जुल्म है । हमारे ये मिनिस्टर लोग जब गांवों में जाते हैं तो बड़ी शेखी बघारते हैं कि हम हिन्दुस्तान में भूमिहीन किसान नहीं रहने देंगे । हमारी सरकार भूदान यज्ञ को भी बड़ा गौरव प्रदान करती है । इसके साथ कल एक सदस्य ने तो बहुत ही भावुकता में कहा कि हम समाजवादी समाज कायम करेंगे और हरएक भूमिहीन किसान को भूमि देंगे ।

पर मैं थोड़ा नक्शा उस भाखरा क्षेत्र का बताना चाहता हूं जहां कि आज ३० हजार भूमिहीन किसान तीन साल से पड़े हैं और तब से उनकी २० हजार दर्ख्वास्तें सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं, पर आज तक सरकार को समय नहीं मिला उनके बारे में कोई निर्णय लेने का । सरकार के मन्त्री वहां जाकर

(श्री श्योपतसिंह)

ऐलान करते हैं कि किसान को, हर किसान को २५ बीघा जमीन देंगे इसके बाद सुखाड़ियाजी ने कैबिनेट की मीटिंग की। हनुमानगढ़ एरिया में काफी असन्तोष है, इस पर विचार किया। वे वहां पर गये, पर फैसला नहीं बताते। कुछ फैसला किया, वह मैं बताता हूं। मैं गंगानगर की बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ तीन तहसीलों की हालत बता रहा हूं। ५० हजार भूमिहीन किसानों के मसले का फैसला हमारे मिनिस्टर महोदय ने यह किया कि जो जमीन सरकारी वहां पड़ी है उसमें से पचास फी सदी नीलाम कर दी जावे। यह समाज-वादी समाज का नारा देने वाले हमारे ये भूमिहीन किसानों के हितों के ठेकेदार फैसला करते हैं। यह राहत पहुंचाई उन्होंने। यह कैबिनेट का बाद का फैसला है। पहला फैसला तो था कि २५ बीघा दी जावेगी। इसके बाद यह फैसला इस कैबिनेट ने किया कि २५ की जगह १५ बीघा दी जावे और इसके बाद सरकार ने क्या किया, यह भी मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं तो ठीक होगा। हमारे भाखरा क्षेत्र के अन्दर लाखों बीघा जमीन गवर्नमेन्ट की पड़ी थी, उस जमीन में से सरकार ने सोचा कि यह तो भूमिहीन किसान ले जायेंगे क्योंकि वे रात-दिन नारा लगाते हैं कि भूमि-हीन किसानों को भूमि मिलेगी और इस भूमि पर भी सही माने में किसानों का ही हक है। कहते हैं कि २५ बीघा की सीलिंग लागू करेंगे, बेशक लागू करेंगे। लेकिन वह २५ बीघा की सीलिंग क्या फिक्स करेंगे जब कि गवर्नमेन्ट ही खुद अपनी जमीन को नीलाम कर रही है? गवर्नमेन्ट तो खुद ही एक जमींदार बनी हुई है और वह जमीन कहीं गरीब भूमिहीन किसानों के पास न चली जाये, इस कारण वह उसको नीलाम करती है, जब कि येन-केन प्रकारेण सवा लाख एकड़ भूमि हनुमानगढ़ में नीलाम की है। सरकार सीलिंग फिक्स करने का हमेशा नारा लगाती है, मगर मेरा ख्याल है कि सीलिंग कभी लागू नहीं करेगी। अब मैं आपको बताऊं कि यह सवा लाख एकड़ भूमि किस तरह से ली है? हमारे यहां पचास हजार बीघा तो ऐसी जमीन है जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा फर्टाइल है। मैं उसके थोड़े से आंकड़े आप लोगों को सुनाऊं तो आप आश्चर्य करेंगे। पचास हजार बीघा जमीन सूरतगढ़ में ली गई। वहां के किसानों ने जो कुर्बानी की वह वास्तव में बहुत बड़ी कुरबानी की। उनसे कहा गया कि यहां एशिया के अन्दर सब से बड़ा फार्म बना रहे हैं। वहां के किसानों ने सोचा कि जब इतना बड़ा काम होने जा रहा है तो अगर हम पचास हजार बीघा जमीन इसके लिए दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। हमारी सरकार को इस पर भी रहम नहीं आया और वह जमीन जो कि भूमिहीन किसानों को मिलनी चाहिए वह ३० हजार बीघा भोमियों और जागीरदारों को दी हुई है। मुझे जागीदारों और भोमियों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे यहां जयपुर और जोधपुर के लोग थे, उनको यहां से डिस्प्लेस्ड किया और वहां के लोगों को जैसलमेर में डिस्प्लेस करने का सोचा है। यहां के आदमियों को २५ बीघा जमीन वहां पर दी। यहां के किसानों को ही केवल बेदखल नहीं किया गया बल्कि वहां के किसानों को भी बेदखल किया गया। जो कि सैकड़ों वर्षों से यह सोचते थे कि हमारा देश आजाद होगा, राजस्थान बनेगा और उस समय हमें सब कुछ मिल जायेगा। हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें तो जमीन बेचनी है। आप कहते हैं कि सरकारी ही जमीन भोमियों को

(श्री श्योपतसिंह)

दी है, हमने किसी दूसरे की जमीन तो नहीं दी है। अब आप बताइये इस प्रकार की बातें वह करते हैं। सही माने में पूछा जाय तो उस भूमि के ऊपर पहले हक भूमिहीन किसानों का था और वह भूमि भूमिहीन किसानों की ही थी, वह न तो किसी मिनिस्टर साहब की थी और न किसी दूसरे आदमी की थी, उस पर हक तो भूमिहीन किसानों का ही था। इसके बाद में यह किया कि इन्होंने कम से कम दस हजार बीघा जमीन एक्स-मिलिट्रीमैन को दी, वहां के भूमिहीन किसानों के हकों पर कुठाराघात किया। इस पर भी इन्हें सब्र नहीं हुआ और इसके बाद इन्होंने दस हजार बीघा जमीन जंगलात के लिए रखी। हनुमानगढ़ के अन्दर पहले जो जंगलात थे उनको काटा गया और जहां कि जंगलात शुरू से ही नहीं हैं वहां के लिए कहते हैं कि हम तो यहां जंगल लगायेंगे। इस तरह से वहां के भूमिहीन किसानों का हक मारा गया, उनके हकों पर घोर कुठाराघात हुआ है। इसके बाद में बागान की जमीन ली गई। पता नहीं यह बागान की जमीन क्यों ली गई है। क्या वहां पर किसान लोग जाकर अंगूर खायेंगे ? कौन उनको अंगूर खाने देता है। यह कभी नहीं होगा। मैं कहता हूं कि उन किसानों को दर दर भटकना पड़ेगा। अब इसके आगे मजा यह है कि गाड़िये लुहारों के लिए हक रखा था और जब वह नहीं बसे तो उनके बाद में उस जमीन के ऊपर भूमिहीन किसानों को दी जानी चाहिए थी। मगर उस भूमि के लिए भी फैसला किया कि यह जमीन बेच दी जावे और इसका ऑक्शन कर दिया जाय और वह भी यहां के लोगों को मालूम नहीं पड़ने दिया। इसका माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबूत दे सकता हूं, इसका प्रचार पंजाब में जाकर कराया कि १० तारीख को नीलाम की जायेगी और वह गंगानगर भाखरा क्षेत्र के लोगों के एरिया में नहीं किया गया। आखिरकार हमने मीटिंग की और एलान किया कि अगर सरकार नीलाम करेगी तो हम सत्याग्रह करेंगे। सरकार जानती थी कि यहां की जनता कैसी है और अपने हकों पर मर मिटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने देगी; सरकार जानती थी कि हम कुरबानी कर सकते हैं। और अब भी मैं चेलेंज करता हूं कि अगर फिर दुबारा सरकार ने इसको नीलाम कराने का हौसला किया तो हम मजबूर हो जायेंगे और एक जबरदस्त बावेला खड़ा कर देंगे। तो मैं बता रहा था कि वहां के भूमिहीन किसानों की आज यह हालत है ! तो इस तरह से पचास हजार बीघा भूमिहीन किसान उस भाखरा एरिया में हैं। जैसा कि मेरे अभी एक दोस्त ने कहा कि भरतपुर और कोटा में लाखों भूमिहीन किसानों की हालत चिन्ताजनक हो रही है। जिस समय यहां भूमि नीलाम कर रहे थे उस समय हम यहां आये और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिले। तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि साहब, आप तो भाखरा की बात कर रहे हो हमें तो सरकार को पैसे देने हैं, पर सेन्टर हमें इजाजत नहीं देती है। आप ही सोचिए कि क्या सेन्टर भूमिहीन किसानों को भूमि देने की इजाजत नहीं देती तो फिर वह यह इजाजत कैसे दे दी कि हिन्दुस्तान भर की सबसे ज्यादा फर्टाइल भूमि को रिज़र्व कर लें ! मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज यह जानता के ठेकेदार बनते हैं। हो सकता है कि इस चीज को आप आज महसूस न करें, किसानों की तकलीफों को आज आप न समझें। अगर आप मेरी

(श्री श्योपतसिंह)

जगह होते या फिर किसानों की जगह होते तो महसूस करते। जैसे एक आदमी बीमार हो जाता है और वह फिर बाद में सोचता है कि हां, उस दिन सरदी लगी थी और उसी दिन अगर संभल जाता तो हो सकता है कि बीमार न होता। इस समय आप इन तकलीफों को नहीं जानते, जब आप कभी हमारी जगह होंगे तो महसूस करेंगे, तब आपको हमारी तरह ही पैदल चलना पड़ेगा। यह कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है, कभी आप भी हमारी तरह सड़कों पर चलोगे तो उस रोज महसूस करोगे कि हम इसी वजह से मरे कि हमने उन दिनों दूसरों की तकलीफों को महसूस नहीं किया। आखिर ये राजा व जागीरदार लोग क्यों मरे? अगर वे लोग जुल्म नहीं ढाते तो कौन सी ताकत थी कि जो उन लोगों को उनकी जगह से हटाती? थोड़े दिनों बाद आपके साथ भी वही हालत होगी जो कि इन जागीरदारों और राजाओं की हुई।

(करतल-ध्वनि)

एक चीज और बयान कर दूं। यह तो भूमिहीन किसानों की हालत के बारे में बात हुई। अब आगे राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा कि हमारे यहां शांति और सुव्यवस्था है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं अर्ज कर दूं तो बुरा नहीं होगा। कहते हैं कि गंगानगर जिले के अन्दर भ्रष्टाचार नहीं हैं और हमारी पुलिस ने इतना काम किया है, मगर मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को मालूम भी होगा कि गंगानगर में कत्ल के केसेज़ और मर्डर के केसेज़ हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होते हैं। १०० आदमियों में से १० को मुश्किल से सजा होती है और ९० आदमी छूट जाते हैं। यह किसका दोष है? यह सब पुलिस की ही महरबानी है। पुलिस अगर सजा भी दिलवाना चाहे तो नहीं मिले। क्या कारण है कि इतने ज्यादा लोग कत्ल करके भी छूट जाते हैं? आप देखेंगे कि गंगा नगर में रिश्वत का नंगा नाच हो रहा है; जहां कि हमारी सरकार एलान करती है कि हमने एन्टी-करप्शन बोर्ड बना दिया है और उसमें एक नये आई० जी० पी० रख दिये हैं। इन सब के रखने से क्या, जब कि आज हमारे यहां के मिनिस्टर हीXXXX

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : Sir, I have an objection to the use of these words, I want that these words should be expunged.

श्री श्योपतसिंह : हां, मैं इसकी सबूती दे सकता हूं, जहां कि मिनिस्टरXXXX

श्री उपाध्यक्ष : Order! order please!! What are the expressions used by the Hon. Member?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : He said XXXX

श्री श्योपतसिंह : मैं सच्चाई कह रहा हूं। मैं इसका सबूत करने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that the words are unparliamentary and hence the Hon. Member should withdraw them.

एक माननीय सदस्य : It is a question of fact. Is a question of fact also to be disallowed?

XXXX उक्त अभिव्यक्ति श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्य-विवरण में से पृथक की गई।

श्री अर्जुनदास : He alleges a particular factum on the Cabinet and throws aspersion on their sincerity. That is not un parliamentary. If he uses abusive words, unparliamentary words, of course that can be challenged. It is a question of fact.

श्री श्योपतसिंह : XXXXX

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that the expressions are unparliamentary and that the Hon. Member will please withdraw these words.

श्री श्योपतसिंह : मैंने कहा है वह मैं सबूत कर सकता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने XXXX के लिए कहा और उसके बाद में जो कहा कि XXXX हैं, उसका भी मैं विरोध करता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा समझता हूं कि कोई भी मेम्बर इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते।

श्री श्योपतसिंह : मैं आरोपों को साबित कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : There is no question of proving or disproving. It is a question of parliamentary language to be used in the House, and therefore the Hon. Member will please withdraw the expressions.

श्री श्योपतसिंह : नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने गुस्से में आकर कोई ऐसी बात कह दी तो कोई बात नहीं है, मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Proceed on please.

श्री अर्जुनदास : On a point of order, for future guidance, Sir, I would like to ask a question whether......

श्री उपाध्यक्ष : To whom would you like to ask the question?

श्री अर्जुनदास : For future guidance only, Sir .....

श्री उपाध्यक्ष : I am not in a position to give any guidananee in anticipation of the facts that may come forth afterwards.

The hon. member will proceed.

श्री श्योपतसिंह : भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कहा, लेकिन भ्रष्टाचार की डैफीनिशन क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

(हंसी)

रिश्वत लेना भ्रष्टाचार है।

श्री उपाध्यक्ष (माननीय सदस्यों के परस्पर में बात करने पर) : No direction to the members. You will address the Chair. You will not give any direction to the hon. members.

श्री श्योपतसिंह : भ्रष्टाचार की डेफीनिशन क्या है? नाजायज रिकमन्डेशन करते हैं, नाजायज किसी की सिफारिश करते हैं,

---

XXXX उक्त अभिव्यक्ति श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्य-विवरण में से पृथक की गई।

(श्री श्योपतसिंह)

और जो रिश्वत लेते हैं वह एक बड़ा भ्रष्टाचार है।

एक माननीय सदस्य : समय का भी ध्यान रखा जाय कि दूसरे बोलने वाले हैं।

श्री श्योपतसिंह : मैं कोशिश कर रहा हूं, आप चुप रहिये।

इसकी एक थोड़ी सी मिसाल आपको बता दूं। उचित तो नहीं होगा कि किसी ऑफिसर के खिलाफ कहूं, लेकिन हमारी परिस्थिति हमें मजबूर कर देती है, हमारी हालत ऐसी है कि किसके आगे दिखायें, लेकिन कहना भी हमारा फर्ज है। (समय--समाप्ति सूचक घंटी) एस. डी. एम. हनुमानगढ़ के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो दिन-रात शराब के अन्दर मस्त रहता है। यह बिल्कुल सच्चाई है, और जो आदमी जुआरी हैं उनके खिलाफ हमने १५ मई को एक एप्लीकेशन दी, उसके बाद में ३० मई को एप्लीकेशन दी, उसके बाद में दो जून को एप्लीकेशन दी और फिर एक २७ अगस्त को एक एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बारे में आज तक कोई जांच नहीं की। जांच नहीं करते तो तबादला कर देते और तबादला नहीं करते तो जांच करते। (समय -- समाप्ति सूचक घंटी) मगर आज तक उसके खिलाफ कोई जांच, कोई बात नहीं की गई है। जब १५ मई के बाद जून के महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला तो उसका वहां से ट्रांसफर किया गया। मगर जब उनके ट्रान्सफर का मालूम हुआ तो हमारे शाही खानदान वाले लोग दौड़े आये और यहां आकर उनका ट्रान्सफर रुकवाया। (समय–समाप्ति सूचक घंटी) आज तक उसके खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। (समय–समाप्ति सूचक घंटी) इसका सुबूत यह है कि हम भृष्टाचार के अन्दर दबे हुए हैं। (समय–समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs. The Hon. member will kindly. I am sorry. Unpleasant is the duty imposed on the chair.

श्री श्योपतसिंह : टाइम बहुत थोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम।

श्री परसराम (ओसियां) : माननीय उपाध्यक्ष, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया और उस अभिभाषण के परिणाम स्वरूप जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि जितनी विस्तारपूर्वक सरकार की समस्याओं का लेखा-जोखा और आगे की जो सरकार की भावी नीति है उसका प्रतिपादन इस भाषण में मिलता है। मैं कहता हूं कि पिछले ६ साल में इस सदन में जितने भाषण हुए हैं उन सब अभिभाषणों से ज्यादा इसमें ब्यौरा है।

उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण को इसलिए शून्य बतलाया कि सरकार का काम मास्टरों का ट्रान्सफर रह गया है या डॉक्टरों का ट्रान्सफर रह गया है। किसी एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि चूंकि किसी अमुक पार्टी के किसी म्युनिसिपेलिटी में जो अध्यक्ष थे उनका टाइम लिमिट खत्म होने के बाद में एक्सटेन्शन नहीं किया गया इसलिए अभिभाषण शून्य है। उन्होंने ही आगे कहा कि किसी राजा के भाई ने किसी पंचायत के चुनाव में हिंसा अपनाई

[redacted]

(श्री परसराम)

है, इसलिए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शून्य है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य, जो यहां के माने हुए पार्लियामेन्टेरियन हैं, और वे श्री माधोपुर से पधार रहे हैं, उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने के बाद में इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता कि सरकार की भावी नीति क्या है? जहां तक सरकार की भावी नीति का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा की सरकार की भावी नीति स्पष्ट है। वह नीति आज नहीं, आज से करीब २, २।। साल पहले से ही, तमाम हिन्दुस्तान को उसकी जानकारी है कि सरकार की भावी नीति समाज में समाजवाद लाना है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

श्री अर्जुनदास : on a point of order, has he referred to the policies of Govt. of Rajasthan or Government of India? He has referred to the policy of Government of India. I think he is not entitled for that.

श्री परसराम : वही पॉलिसी गवर्नमेंन्ट ऑफ राजस्थान की है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. member will resume his debate.

श्री परसराम : परम्परा के अनुसार इस अभिभाषण में सरकार की भावी नीति का प्रतिपादन हुआ है। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को एक दफा नहीं ४ दफा पढ़ा। इसको बार बार पढ़ने के बाद में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि सरकार का क्या क्या कार्यक्रम है, इसका पूरा लेखा–जोखा है, लेकिन यदि माननीय सदस्यों को इसमें मास्टरों का ट्रान्सफर ही लगता है तो यह जनतन्त्र का दुर्भाग्य है।

श्री मदनसिंह दांता : सब का है।

श्री परसराम : अभिभाषण में सब से पहले शान्ति और व्यवस्था का जिक्र किया गया है। उसके बारे में माननीय सदस्यों ने कई दलीलें पेश कीं। अध्यक्ष महोदय, शान्ति और व्यवस्था के संबंध में जो संतोष का संकेत राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, अगर आज से ६ साल की स्थिति और आज की स्थिति का मुकाबला किया जाय तो हम मुकम्मिल तौर पर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपराधों में कमी हुई है, डकैतियों में कमी हुई है और उसके अलावा चोरियों में भी कमी हुई है। ऐसा तो मान कर नहीं चल सकते कि तमाम अपराध खत्म हो गये हैं, तमाम डकैतों के गिरोह जो थे वे सब के सब खत्म कर दिये गये हैं, लेकिन यह निश्चित् बात है कि जो आंकड़े अभिभाषण में रखे गये हैं या उससे पहले रखे गये थे समय समय पर, मैं समझता हूं उन आंकडों में तथ्य है। एक माननीय सदस्य ने तो यह भी कहा कि सरकार ने सतर्कता बरती है सिर्फ आंकड़ों को इक्ट्ठा करने में। उन्हीं महानुभाव ने यह बात सदन में कही कि ५० पर्सेन्ट जो जुर्म होते हैं उनका तो थानों में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, उनके पास में कौन से स्टेटिस्टिशियन बैठे हुए थे कि जिसने तमाम आंकड़ों को निकालने में इतनी सतर्कता बरती है। इसलिए मैं खास तौर से जो कानून और व्यवस्था की पहले हालत थी और जो आज है उसका जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। अध्यक्ष

(श्री परसराम)

महोदय, हमारे डिवीजन का इलाका राजस्थान का जो बहुत बड़ा इलाका सीमा पर आया हुआ है वह इलाका है। ज्यादातर तस्कर व्यापार और डाकेजनी के किस्से हुए हैं वे उस ओर हुए हैं, लेकिन पिछले तीन-चार साल में १, २ को छोड़कर जितने डाकुओं के गिरोह थे वे खत्म कर दिये गये हैं। जितनी चोरियों की पहले तादाद थी वह शून्य मात्र रह गई है। जोधपुर जिले में एक गिरोह अभी तक सक्रिय है और उस गिरोह को भी खत्म करने में सतर्कता सरकार ने बरती है, उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्यों को करवा देना चाहता हूं। उस गिरोह को खत्म करने के लिए राजस्थान की पुलिस फोर्स के ६०० आदमी लगे हुए हैं। हर पुलिस पोस्ट वायरलेस से फिट किया गया है, जितनी भी वेहिकल्स पुलिस फौर्स के पास में हैं सब की सब वायरलेस से इक्विप्ड है। तीनों तहसीलों में ३-३, ४-४ या ५-५ मील के फासले पर पुलिस आउट-पोस्ट लगे हुए हैं। तो यह कह देना कि पुलिस के अधिकारियों और सरकार में आपस में असंतोष है, और सरकार की छोटे कर्मचारियों के साथ में सहानुभूति नहीं है, इसका संकेत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिलता है, गलत है। जो सुविधाएं समय समय पर पुलिस के छोटे कर्मचारियों को दी गई हैं वे आप सबको विदित हैं।

श्री मदनसिंह दाता : संघ बनने के बाद में।

एक माननीय सदस्य : खड़े होकर बोलिये।

श्री मदनसिंह दाता : संघ बनने के बाद।

एक माननीय सदस्य : क्या जन-संघ बनने के बाद ?

श्री परसराम (जारी) : लेकिन जो छोटे कर्मचारियों के साथ सहानुभूति आपने दिखाई है और यह कहा है कि भूखे सिपाहियों से बेगार ली जाती है वह इस कारण से कहा है कि आपके दिमाग में एक बात चल रही है और वह यह कि पुलिस यूनियन को जायज माना जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पुलिस फोर्स में भी मिलिट्री डिपार्टमेन्ट है जो असेन्शियल सर्विसेज़ में आता है।

१.११ म० प०

श्री मदनसिंह दाता : फिर आर. ए. सी. क्या है ?

श्री परसराम (जारी) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा डिपार्टमेंट जहां डिसिप्लिन की महत्ता सब से ज्यादा है उस डिपार्टमेंट के लोगों का इस तरह संघ बनने दिया जाय तो यह उचित नहीं होगा। सरकार का स्ट्रक्चर जिस पर कि वह खड़ी रहती है और जो उसका बेसिस है वहां डिसिप्लिन रहना जरूरी है। यह मानी हुई बात है कि कोई सिपाही जो जनता के जान-माल की हिफाजत करने के लिए पहरा देता है वह बेगार नहीं है। लेकिन यह कहना कि पहरा देना बेगार है, कदापि उचित नहीं है। उनकी ड्युटी जनता की सेवा के लिए है। जब आप सोते हैं उस समय उसको जागते रहना पड़ता है। जहां तक कांग्रेस सरकार का सवाल है उसकी बुनियाद इस पर है, वह हर व्यक्ति की डिगनिटी

Page No.49

(श्री परसराम)

में विश्वास रखती है। इसलिये यह कहना कि छोटे आदमियों से बेगार ली जाती है, यह सत्य से दूर है।

छोटी-मोटी और भी बहुत सी बातें कही गईं। चिम्मनलाल नाम के व्यक्ति के कत्ल के बारे में कहा गया कि कांग्रेस के आदमी द्वारा जीप में बिठाकर लाया गया...... ....

श्री मदनसिंह दांता : अदालत कहती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह के वाद-विवाद.....

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : Don't interrupt please. When the Hon. member is occupying the position of the floor the hon. member should not disturb please.

श्री मदनसिंह दांता: I shall feel disturbed.......

श्री उपाध्यक्ष : You may feel disturbed. There should not be disruption to the House.

श्री परसराम (जारी) : यह बड़ी दुखद घटना है। किसी आदमी का कत्ल हुआ है। वास्तव में वाकया क्या है, यह अदालत से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसूलन बात बताना मुनासिब समझता हूं कि राजस्थान और हिन्दुस्तान में पूरा रूल ऑफ लॉ है और जिस कानून से कोई जुर्म करने वाला खत्म होता है वैसे यदि हम जुर्म करते हैं तो हम भी खत्म होते हैं। ऐसी सूरत में इस कत्ल में कांग्रेस का एक आदमी शामिल था या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। क्योंकि जजमेन्ट को मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, उसका कोई कुसूर है या नहीं, इस बारे में जजमेन्ट में मैंने कोई बात नहीं पढ़ी। मैंने इसके दो-तीन पेराग्राफ पढ़े हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है कि राज्य सरकार ने जुर्म को छिपाने में या किसी व्यक्ति को बचाने में हस्तक्षेप किया है। आज जो सत्ताधारी दल है उसने आजादी की लड़ाई लड़ी है, यह बात उसके उसूल से दूर है। स्वयं कांग्रेस का क्रीड अहिंसा है। उस क्रीड को दुनिया के सामने लाने में कांग्रेस का इतिहास एग्जेम्पल है। मैं यह नहीं कहता कि कोई ब्लेक शीप नहीं रहती होगी लेकिन यदि कोई ऐसी ब्लेक शीप है तो ऐसे आदमियों के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस की चर्चा बार बार करके तमाम संस्था पर लांछन लगाना सत्य से दूर है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में सब से ज्यादा लोगों ने यहां भाषण दिये हैं और इस पर काफी कहा गया है। यहां तक कि मिनिस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि यदि मिनिस्टर पाक है तो भ्रष्टाचार नेश्तनाबूद अपने आप हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है कि मिनिस्टर्स पाक हैं और उनमें जनता का विश्वास है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहां के मिनिस्टर्स पाक नहीं हैं और पाक होने से भ्रष्टाचार समूचा नष्ट होता है तो मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में पंडितजी के बराबर कोई पाक नहीं है और वे बार-बार भ्रष्टाचार उन्मूलन की तस्वीर घड़ते हैं। इस प्रकार से यह समझना कि यहां पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है या इसके रोक-थाम की कोशिश नहीं की जा रही है, फैक्ट्स को तोड़ना मरोड़ना है। जहां तक मैं समझता हूं, भ्रष्टाचार

Page No.50

(श्री परसराम)

एक संक्रामक रोग है। उदयपुर के माननीय सदस्य ने दो रोज पहले बहुत विस्तापूर्वक इसका विश्लेषण किया था। यह रोग समाज की नींव तक चला गया है, नैतिक स्तर तक चला गया है। यह खाली भाषणों से खत्म नहीं होने वाला है। जो लोग जनता के नुमायन्दे हैं चाहे वे पंचायतों में हों, धारा सभा में हों या मन्त्री-मंडल में हों, सब सामुहिक तौर पर प्रयास करेंगे तो मैं यह मान कर चलूंगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार में कमी आयेगी और मैं राज्य-सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस स्तर पर आज भ्रष्टाचार है उसे नष्ट करने के लिये हर तरह से प्रयास करना चाहिए, उसमें कोई कमी बाकी नहीं रहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ बातें कही गई; राजस्थान में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यदि समूचे राजस्थान के विकास को लेकर चलते हैं तो पूरे राजस्थान की तस्वीर सामने आती है। अकेले गंगानगर डिस्ट्रिक्ट या सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट या और किसी जिले को लेते हैं तो समूचे राजस्थान की तस्वीर नहीं आती। यदि पूरे राजस्थान की तस्वीर को लेकर चलते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राजस्थान में जन-जागरण हो रहा है और जो गति विधियें विकास की चल रही हैं वे इस तरह की हैं कि उनसे समाजवाद राजस्थान में आने वाला है। हमें सफताएं मिली हैं और भविष्य के लिए जो कार्यक्रम हैं और जो डैवलपमेंट की गतिविधियें हैं उनमें समन्वाय रखा गया तो निश्चित ही राजस्थान की उन्नति होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले इस सदन की सम्मुख राज्यपाल महोदय ने अपना संदेश दिया था जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार ने राजस्थान की चतुर्मुखी उन्नति के लिये क्या क्या कार्य किया है उसका विवरण दिया था। साथ ही राजस्थान की प्रगति और गतिविधि पर भी संतोष प्रकट किया था और भावी कार्य-क्रम की रूप रेखा दी थी। हम सब बड़े कृतज्ञ हैं राज्यपाल के संदेश के लिये जो उन्होंने सदन में दिया। वास्तव में राजस्थान जिन विशेष और विकट परिस्थितियों में से गुजरता रहा है उनको देखते हुए जो कुछ यहां की सरकार ने विकास के लिये किया वह संतोषप्रद ही है और भावी कार्य-क्रम के लिये जो कार्य-क्रम है उसके बारे में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि उसे सुचारू रुप से चलाया गया तो निश्चित ही राजस्थान उत्तरोत्तर उन्नति की और अग्रसर होगा, इसमें हम सब एक मत हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में, जो माननीय सदस्य ने सदन में रखा है, उससे हम पूर्णरूप से सहमत हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण पर क्रिटिसिज़म की दृष्टि से नहीं लेकिन रचनात्मक सुझावों के तौर पर मैं कुछ निवेदन करूंगा।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में औद्योगिक सम्पदा कायम करने के लिये जिक्र किया है और कहा है कि इसका निर्माण-कार्य जयपुर में प्रारम्भ हो गया है और दूसरी संपदा अजमेर नगर के पास मालपुरा के लिये मंजूर होने वाली है और धीरे धीरे भीलवाड़ा, गंगानगर, कोटा में भी ऐसी ही औद्योगिक संपदायें स्थापित की जावेंगी। मैंने राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखी है और साथ ही उसके सेकन्ड इयर के प्लान को भी देखा है। उसमें स्पष्ट अंकित

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है कि ऐसे इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स एक जयपुर में और दूसरा भीलवाडा में स्थपित किये जायेंगे। यदि मुझे गलत याद नहीं है तो पिछले बजट में भी भीलवाड़ा और जयपुर के लिये धन-राशि निश्चित की गई थी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पता लगता है कि भीलवाड़ा को धीरे धीरे की उम्मीद में अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया है। यद्यपि प्राथमिकता की दृष्टि से देखा जाय तो भीलवाड़ा राजस्थान के अन्य औद्योगिक नगरों से कम नहीं है, उनसे नीचे नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा, राजस्थान सरकार से, कि वह इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि अमोनियम सल्फेट के लिए हनुमानगढ़ और अमोनियम क्लोराइड व सोडा एश के लिए सांभर बहुत उपयुक्त स्थान है और ये योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं। राज्यपाल महोदय ने जिन्क स्मेल्टर प्लांट उदयपुर में लगाये जाने का भी जिक्र किया। इसकी खुशी है कि इससे राज्य में निश्चय ही औद्योगिक विकास होगा लेकिन हम जब देखते हैं कि राजस्थान में माइका माइनिंग बहुत बड़ा उद्योग है, जिनमे आमदनी, स्टोन क्वेरीज़ की आमदनी के बाद सब से ज्यादा है, यह राजस्थान को सब से ज्यादा आमदनी देता है। राजस्थान सरकार को माइका माइन्स से लगभग ११ लाख की आमदनी है, उसमें से सात लाख के लगभग की आमदनी भीलवाड़ा की माइका माइनिंग उद्योग से होती है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि भीलवाडा से अबरक की आमद है और इस उद्योग को, अबरक उद्योग को प्रोत्साहन देने की कितनी आवश्यकता है। हम बहुत दिनों से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि भीलवाड़ा में माइका ग्राइंडिंग प्लान्ट लगाने की योजना है। मुझे निश्चित रुप से मालूम है कि भीलवाड़ा के आस-पास से निकलने वाले माइका के नमूने अमेरिका में टेस्ट के लिए भेजे गये थे और यह भी निश्चित रुप से मालूम है कि अमेरीका से उस टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया है और उन्होंने भीलवाड़ा से निकलने वाले माइका को ग्राइडिंग पर्पज़ के लिए मोस्ट सूटेबल बताया है। राज्यपाल महोदय के भाषण से पता लगता है कि यह स्कीम तस्वीर में नहीं है। मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मुख्य भी है और वह यह है कि भारतीय संविधान की धारा ५० में दिये हुए डाईरेक्टिव के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को यह डाइरेक्टिव है कि राज्य सरकार जन-सेवाओं से, एग्ज़ीक्युटिव से जुडिशियरी को सैपरेट करे। इसके पीछे मूल सिद्धान्त है वह यह कि जुडिशियरी शासन की रीढ़ है, जो हर तरह के प्रभावों से विशुद्ध होनी चाहिए। यदि जुडिशियरी एग्ज़ीक्यूटिव के तहत या असर में हो तो निश्चय ही मेरी ऐसी मान्यता है कि अन्याय की सम्भावना है तथा जनतंत्रवाद के सच्चे मायने में पनपने के अन्दर इसके अभाव में रुकावट हो सकती है। यह नहीं होने से हर नागरिक अपने नागरिक अधिकारों के बारे में अपने आपको सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकता। राजस्थान राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्ज़ीक्युटिव और मजिस्ट्रेटी शामिल हैं। इन दोनों के शामिल रहने से जो अन्य कुप्रभाव हुए हैं, वे तो हैं ही, लेकिन दोनों के शामिल रहने पर एक ही व्यक्ति दोनों कार्यों को एक ही

(श्री रामप्रसाद लडढा)

समय में सुचारु रूप से अंजाम नही दे सकता, इससे न्याय न तो सस्ता और शीघ्र मिल सकता है और न सही ढंग से मिल सकता है, न्याय जिस ढंग से होना चाहिये वह नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टीट्युशन के प्रोवीजन्स को इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रेक्टीकल कन्वीनियेन्स की दृष्टि से यह आवश्यक हैं कि न्याय व्यवस्था जुडिशियरी और एक्ज़ीक्युटिव एक दूसरे से स्वतंत्र हों। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी योजना सम्भव नहीं है, यह भी नही कहा जा सकता है कि इस योजना को चालू करने में इतना खर्च होगा, जिसको राजस्थान सरकार मुगत न हो सकती हो क्योंकि हमने देखा कि फोर्मर राजस्थान में इस योजना को लागू किया था और उसको सफलता पूर्वक चलाया था। इस योजना के अनुसार एक्ज़ीक्युटिव और जुडिशियरी स्वतंत्र रूप में अपने कार्य–काल तक काम करती रही थी और बाद में भी योजना के मुताबिक काम हुआ, लेकिन बड़े राजस्थान के बनने के बाद यह योजना समाप्त हो गई। यद्यपि आज-कल भी २२ मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी अदालतें इस राज्य में सफलता पूर्वक काम कर रही हैं, इसलिए प्रेक्टिकल कनवीनियेन्स और कॉन्स्टीट्युशन के प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि राजस्थान सरकार इस ओर भी सक्रिय कदम उठाये।

परसों एक माननीय सदस्य ने पंचायत पर बहस करते वक्त बनेड़ा पंचायत, ताजिये कांड के बारे में निवेदन किया और उन्होंने बताया कि बनेड़ा में एक कुंड में ताजिये की खपच्चियों में फंस कर एक बच्चा मर गया, इस कारण वहां की पंचायत ने यह फैसला किया कि उस स्थान पर ताजिये ठंडे न किये जायं, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती मिलिट्री के दबाव और फोर्स से वहां पर ताजिये ठंडे कराये, इससे वहां की पंचायत के अधिकारों का हनन हुआ है। चूंकि मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी है इसलिए मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बनेड़ा में मान कुंड है जो २०० फीट लम्बा, २०० फीट चौड़ा और ८० फीट गहरा है और इतनी गहराई तक पानी भरा हुआ रहता है; जब से बनेडा आबाद हुआ तब से वहां मुसलमान लोग अपने ताजिये, जो संख्या में दो होते हैं और ऊंचाई में लगभग १२ फीट होते हैं उस कुंड में ठंडे करते हुए चले आये हैं। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे यह कहा जाय कि ताजिये की खपच्चियों में कोई आदमी या बच्चा फंस कर मरा है। जिस घटना का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, मैं कहूं कि वह कपोल-कल्पित और आधार हीन घटना है। जब वहां २०० वर्ष से ऐसी घटना नहीं हुई और वहां पर २०० वर्ष से मुसलमान अपने ताजिये ठंडे करते चले आये हैं तब क्या बात है कि एक दम यह सवाल खड़ा हुआ। इसके पीछे राजनैतिक कारण हैं और वे राजनैतिक कारण स्पष्ट हैं। जो वहां के सरपंच हैं, वे सौभाग्यवश कहिये, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चुनाव के लिए थे और वे असेम्बली के चुनाव में खड़े हुए। बनेड़ा में उन्होंने चाहा कि मुसलमान लोग उनको वोट दें, मुसलमान उनके साथ नहीं हुए और उन्होंने दूसरी पार्टी का समर्थन किया जिससे वे सरपंच महोदय नाराज हुए और उन्होंने एक ऐसी फिज़ां उस गांव में बनाई कि उन्होंने हिन्दू–मुसलमान का सवाल खड़ा कर दिया, साम्प्रदायिक भावना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फैलाई; वहां के वातावरण को दूषित कर दिया और निश्चित तिथि पर ताजिये निकलने नहीं दिये, उस बावड़ी में दफनाने नहीं दिये। जो उनका फैसला हुआ था उस पर निगरानी जेर कार्यवाही स्वायत्त-शासन-विभाग है। निगरानी का फैसला न होने तक तामील फैसले की कार्यवाही रोकी गई। बाद में होम मिनिस्ट्री के होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर्स दे दिये कि जहां पर ताजिये हमेशा ठंडे किये जाते हैं वहां ठंडे किये जायं लेकिन उन सरपंच महोदय ने अपने उच्च अधिकारियों के आदेश को न मान कर आदेश के मानने में रुकावट डाली और जिस जगह पर ताजिये ठंडे किये जाते थे वहां पर हवन की प्रक्रिया शुरू करवा दी। इस कारण ताजिये उस दिन न निकले जिस दिन उन्हें निकलना था। इसके बाद मुसलमानों ने सोचा कि चूंकि गांव में रहना है इसलिए आपस में बैठ कर सब लोगों की की राय से इस झगड़े को निपटायें। उन्हें मालूम हुआ कि सरपंच महोदय की यह मर्जी है कि अगर आगे यह ताजिये मान कुंड में न डालें तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा और इसकी लिखतम हो जानी चाहिए। मुसलमानों ने शान्तिपूर्वक तरीके से कलेक्टर महोदय को यह लिख कर दे दिया कि आयन्दा इस कुंड में ताजिये न डालेंगे और कलेक्टर ने लिख कर देने पर उनको लाइसेन्स पर स्वीकृति दे दी और ताजिये दफना ने की निश्चित अवधि पर ताजिये न दफनाये दिये जाने के कारण एक महीने बाद तक किस्सा चलता रहा। एक महीने बाद जब निश्चित अवधि पर ताजिये निकले तो उस कुंड में मरे हुए गडसुए गिरा दिये गये, जिससे कि मुसलमानों की रिलीजियस भावना को उभारा जाय और वे ताजिये ठंडे न कर सकें। लेकिन किसी तरह ताजिये ठंडे किये गये।

(घंटी)

इस सेक्युलर स्टेट के अन्दर, डेमोक्रेटिक युग में माइनोरिटी कम्युनिटी को प्राटेक्शन देने के लिए जो गवर्नमेंट ने किया, वह उपयुक्त किया या जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर ने किया वह उपयुक्त किया, यह आपके सोचने की बात है।

(घंटी)

श्री रामप्रसाद : Only one minute, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : One minute should not exceed 1-30.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी माननीय सदस्यों ने कुछ भीलवाड़े की बिल्डिंग लोन का जिक्र किया कि सभी कांग्रेसियों ने मकान बनाने के लिए रकम, उनके मकान होते हुए भी, ले ली। माननीय सदस्यों का यह कहना नितान्त असत्य है। मकान बनाने के लिए जो लोन दिये गये, वे २०० आदमियों को लोन दिये गये और उनमें जिन्हें कांग्रेसी कह सकते हैं, वे ७–८ से ज्यादा नहीं हैं, बाकी और लोगों को दिये गये जिनमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, कॉम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं। मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने कर्जा लिया है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक श्री परसराम त्रिवेदी हैं जिन्होंने कर्जा लिया है। यह कहना भी गलत होगा कि जिनके पास मकान थे, उनको कर्जा दिया गया है और जिनके पास मकान नहीं थे उनको नियमानुसार कर्जा नहीं दिया गया है। कर्जा सब लोगों को दिया गया है। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अब निश्चयानुसार वाद-विवाद समाप्त किया जाता है। सरकार की ओर से उत्तर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है, एक दिन का समय और बढ़ाया जाय।.

श्री उपाध्यक्ष : पहले निश्चय ले लिया गया है, मैं विवश हूँ।

एक माननीय सदस्य : हम तीन दिन से बोलना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

उपरोक्त सदस्य : मैं माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर नहीं बोलूंगा, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, कुछ इन्फोर्मेशन देना चाहते हैं, साहब। इन्फोर्मेशन देने दी जाय।

उपरोक्त सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने अब तक यह अनुभव किया कि स्थानीय अदालतें और पंचायतें हरिजनों को समान न्याय नहीं देती हैं। किन्तु राजस्थान विधान सभा में २८ हरिजन सदस्य आये हुए हैं, उनमें से एक-दो बोलने की भावना रखते हैं और इस सदन में...

श्री उपाध्यक्ष : You are debating some question. I am sorry, I regret...

उपरोक्त सदस्य : वह नहीं साहब तो मेरी प्रार्थना है कि मैं बराबर ४ दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय, पर खेद का विषय है कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया।

श्री धर्मपाल : मैं भी बोलना चाहता हूँ साहब, मुझे बोलने का अभी तक मौका नहीं दिया गया। मुझे खेद है....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे भी बहुत दुःख है इस प्रश्न पर, और क्या किया जा सकता है ? पहले इस प्रकार का निश्चय किया जा चुका है। सरकार की ओर से......

एक माननीय सदस्य : एक दिन का और समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please!! The Government will reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, पिछले ३ दिनों से सदन में वाद-विवाद हो रहा है और माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार अलग अलग तौर से व्यक्त किये हैं। जहां तक कि मेरे विभाग से सम्बन्ध रखने वाले विचार हैं, उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं नाथद्वारे के मामले को लेना चाहता हूं जिसके बारे में शहर जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जोर-शोर से इस मामले को सदन के सामने रखा है।...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जयपुर) : Under rule 17 of the Rules, on Rajpramukh's Address and Messages to the Assembly it says: "The Chief Minister or any other Minister, whether he has previously taken part in the discussion or not, shal on behalf of

Page No.55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Government have a general right of explaining the position of the Government at the end of the discussion and the Speaker may enquire how much time will be required for the speech so that he may fix the hour by which the discussion shall conclude."

May I request the Hon. Deputy Speaker whether the Hon. Chief Minister would also give reply or the Hon. Revenue Minister's reply is on behalf of the Government, because under rule 17, it is only either the Chief Minister or any other Minister...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): जी हां, मैं बोलूंगा, और इस सदन को काम करते हुए ६ साल हो गये हैं। इसके अन्दर पहले भी दूसरे मिनिस्टर जवाब देते रहे हैं और इस तरह हाउस का काम चलता रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, जब रूल क्लियर है तो कन्वेन्शन में जाने की जरूरत नहीं रहती। रूल १७ में में यह क्लियर है ; "Chief Minister or any other Minister..."

श्री उपाध्यक्ष : It is in the light of the general right of freedom of Speech that the Hon Members from opposition have been speaking, likewise on the same basis member from Government Benches other than the Chief Minister has been given the chance to speak on the issues.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : गई विधान सभा में इस नाथद्वारा के मामले में एक काफी वाद-विवाद इस सदन में हुआ और मैंने यहां अपना जवाब प्रस्तुत किया था। माननीय सदस्य जिन्होंने आज नाथद्वारा के बारे में जोर-शोर से बातें कहीं उनका जवाब देने से पहले माननीय उपाध्यक्ष, मैं कहूंगा कि या तो उनको जानकारी नहीं थी या महज आज जो समाचार-पत्रों में खबरें छपी हैं, उन्हीं को सही मानकर ये सब बातें यहां कह दीं कि मैंने अमुक बात कही थी।

इस नाथद्वारा के मन्दिर के मामले में पहले जिस कन्ट्रोवर्सी को लेकर आपस में बहस हुई, उसमें मैंने कभी यह नहीं कहा था कि देवस्थान-विभाग की ओर से नाथद्वारा मंदिर की चल-अचल सम्पत्ति की इन्वेन्टरी तैयार करवाई गई है। जो तथ्य थे उस नाथद्वारा मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की बाबत उसके नेरेटिव रखे थे। देवस्थान-विभाग का नाथद्वारा मन्दिर से ५५-५६ में जब मैंने स्टेटमेंट दिया, उस वक्त कोई सम्बन्ध नहीं था और न आज सम्बन्ध है, जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं।

मैं शोर्ट में नाथद्वारा मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की किस तरह से स्थापना हुई और आज उस कमेटी का नाथद्वारा मंदिर पर क्या अधिकार है, वह अर्ज कर देना उचित समझता हूं।

सन् १९५० के करीब नाथद्वारा मंदिर के लिये पॉवर ऑफ एटोर्नी महाराज श्री ने तहरीर किया और कुछ लोगों को एटोर्नी बनाया। वजह यह थी कि कोई परमानेन्ट स्कीम बनाने के सम्बन्ध में महाराज श्री और वैष्णवों के बीच समझौता नहीं होता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

था । इस बात की कोशिश की गई कि महाराज श्री और वैष्णवों के बीच समझौता हो जाय और कोई एक परमानेन्ट स्कीम बन जाय, पर बावजूद सभी कोशिशों के ऐसी स्कीम नहीं बन सकी । उस समय के मुख्य मंत्री, श्री जयनारायण व्यास, ने भी कोशिश की कि समझौता हो जाय पर समझौता नहीं हुआ । १९५४ में बल्कि ५५ में महाराज श्री और वैष्णवों ने समझौता कर लिया और एक एग्रीड स्कीम गवर्नमेंट के सामने पेश की । उस स्कीम में उस वक्त भी कई बातें हुई । मैंने अपने जवाब में साफ कहा था कि यह गलत है कि महाराज श्री को अनडयु प्रिफरेंन्स (undue preference) दिया गया हो या रियायत दी गई हो, बल्कि जो राइट्स महाराज को दे दिये गये थे, उनसे कम इसको दिये हैं । यह मैंने गये वक्त अपने जवाब में कहा था । खुद श्री जनारायण व्यास ने, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, महाराज श्री को ४०००) मासिक देना तय किया था और हमने स्कीम तय की, उसमें ३०००) ही देना तय किया । माननीय सदस्य ने इस मामले को वापिस दोहराते हुए यह ख्याल नहीं किया कि गवर्नमेंट की ओर से जब यह डिबेट हुई थी तो क्या जवाब दिया गया था । समाचार-पत्रों में छपी खबर को सही मान कर मैंने ऐसा कहा है कि देवस्थान विभाग की ओर से नाथद्वारा मन्दिर की चल और अचल सम्पत्ति की इन्वेन्टरी तैयार करा रहे हैं, यह कह देना उचित नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ओफ क्लेरिफिकेशन, सर, मैंने यह कभी नहीं कहा कि देवस्थान ने इन्वेन्टरी तैयार कराई, मैंने यह कहा है कि देवस्थान के मन्त्री थे और आपने कहा था कि इन्वेन्टरी तैयार की गई है । मैंने यह कभी नहीं कहा है कि देवस्थान विभाग की ओर से इन्वेन्टरी तैयार की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर समाचार-पत्रों में छपी खबर के आधार पर यह स्टेटमेंट दिया गया है तो भी दो तरह के समाचार पत्र हैं । एक इस प्रकार का समाचार निकला है कि नाथद्वारा के मन्दिर में बड़ा भारी खजाना निकला है । दूसरे समाचार पत्रों में एक स्टेटमेंट मैनेजमेंट कमेटी की ओर से निकला है उसको सदन के माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा, पर उस स्टेटमेंट को बिल्कुल रेफर नहीं किया और माननीय सदस्य ने उसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया । जिस जोर शोर से ट्रेज़र का, खजाना कहिये, उसके निकलने का जितने जोश से कहा, उसके सम्बन्ध में क्या तथ्य हैं, क्या सही बात है, एक प्रेस स्टेटमेंट कमेटी की ओर से निकला है, उसमें डिटेल में सब बातें हैं ।

सदन की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर की जो प्रोपर्टी है, उसका मिसएप्रोप्रियेशन नहीं हो जाय, उसका इन्तजाम ठीक तरह से हो, इसलिये नाथद्वारा मन्दिर का इन्तजाम उस कमेटी के तहत में सौंपा गया है, सरकार का कोई सम्बन्ध उस कमेटी से नहीं है सिवाय इसके कि एक डिवीजन कमिश्नर उसके मेम्बर हैं, यह देखने के लिये कि मन्दिर की सम्पत्ति का मिसएप्रोप्रियेशन न हो सके, धन का दुरूपयोग नहीं हो सके, बीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकें । इसलिये सरकार की तरफ से एक मेम्बर है । सरकार के तीन मेम्बर होने का कहा, वह गलत है ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आगे माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री ने ३ सदस्यों को नोमीनेट किया, यह गलत है सिर्फ एक कमिश्नर नोमिनेटेड है। उन सब लोगों के हाथ में सारा कारोबार दिया हुआ है। सेवा-पूजा, आमदनी, खर्च, ज्वेलरी आदि सब काम कमेटी के सुपुर्द हैं, सब पॉवर्स उनको हैं। कमेटी पॉवरफुल है इसलिये सरकार किसी भी हालत में पिक्चर में नहीं आती और जैसा मैंने पहले कहा कि इस प्रोपर्टी का कहीं मिस–एप्रोप्रिएशन नहीं हो जाय या गलत तरीके से खर्च न हो इसलिये उसकी देख-भाल के लिये कमिश्नर है। किसी प्रकार की गड़बड़ी न करे, यह देखने की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गड़बड़ी सरकारी अधिकारी करें, उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं आपको बता रहा हूं।

Let me finish, and then you can put questions and I will inform you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That will help you.

श्री उपाध्यक्ष : No help is needed.

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस धन का वहां मिलना बताया जाता है उसके संबंध में वहां के कमेटी के सदस्यों ने एक प्रेस नोट निकाला है जो इतना साफ है कि इससे सारी बातें सामने आ जाती हैं। कमेटी की तरफ से एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर रहता है और जो ज्वेलरी वहां पर रखी जाती है उसकी इन्वेन्ट्री है और उसकी सारी जिम्मेदारी एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर पर होती है। मगर जो घटना हुई वह मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। घटना इस प्रकार हुई बताते हैं कि गहनाघर की छत टूट गई और मरम्मत तलब थी। उसके लिये उसका सामान दूसरी जगह रखना जरूरी था। बराबर का एक कमरा, जिसमें ताला लगा हुआ था और सामान को बदलने की आवश्यकता थी। इसलिये वहां के महाराज श्री को पूछा गया क्योंकि वह कमरा उनके कब्जे में था। इसलिये एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर ने महाराज श्री को चिट्ठी लिखी कि आप इस कमरे को दे दें ताकि हम गहनाघर की मरम्मत करा लें।

यहां से कार्यवाही शुरू होती है और जिसके लिये कहा जाता है कि जो माल निकला उसकी कोई इन्वेन्ट्री नहीं बनी, यह कहना ठीक है। मगर मैं यह कहूंगा कि इस संबन्ध में सारी बातें जो प्रेस-नोट निकला है उसमें साफ हैं। रही सरकार के संबन्ध की बात कि गहनाघर को खोल कर उसका सामान निकाला गया, उसके लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर का काम था और एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर सरकार का मुलाजिम नहीं है। वह कमेटी का मुलाजिम है और कमेटी के हाथ में ही उसको रखना और निकालना है। सरकार का तो उसमें सिर्फ एप्रूवल होता है। बाकी सब अधिकार कमेटी को ही हैं। सरकार के अधिकार में कुछ नहीं है। इसलिये जो वाकया हुआ उसका मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर ने महाराज श्री को एक पत्र लिखा और उन्होंने कमरे को खोलने के लिये मंजूर कर लिया। आरजी तौर पर कमरा लेना था, कमरे को खोला गया और उस कमरे में जो जेवर और रुपया आदि था

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसे श्री महाराज ने निकाल लिया और अपना खुद का क्लेम किया। वे उसे ले गये, ठीक है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर को बगैर इन्वेन्टरी बनाए नहीं ले जाने देना चाहिये था। उसको चाहिये था कि कमेटी के पास फैसला करा कर व सरकार को रेफर करना चाहिये था और उसके बाद महाराज श्री को देना चाहिये था और मैं मानता हूं कि उन्होंने यह गलती की। मगर उसकी इस गलती की वजह से यह कहना कि यह सरकार की गलती है और चूंकि २४ तारीख को मुख्य मंत्री वहां पधार गये इसलिये यह कहना कि उसमें उनका हाथ है और इस कारण सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, उचित नहीं। आप इस संबन्ध में पूरी जानकारी शोर्ट नोटिस प्रश्न पूछ कर प्राप्त कर सकते थे कि वास्तव में मामला क्या है उसके बाद में इस प्रकार के चार्जेज़ लगाते तो ज्यादा वाजिब था। अखबार में पढ़ा और साथ में दूसरे अखबार में भी मैं समझता हूं पढ़ा होगा, मैं समझता हूं क्योंकि आपको अखबार पढ़ने का शोक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २४ तारीख को वहां नहीं गये थे ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please not disturb the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : नाथद्वारा में जाना कोई बुराई नहीं है। उसके बाद में जब कमिश्नर को मालूम हुआ और इस वाकये की समाचार-पत्रों में खबर आई तो हमने तुरन्त एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर और कमिश्नर को जानकारी के लिए लिखा। कमेटी के सामने यह मामला रखा गया और दो रोज कमेटी के सदस्यों की मीटिंग हुई और बहस हुई, वे लोग बम्बई, अहमदाबाद के रहने वाले हैं, दो आदमी नाथद्वारे के हैं। कमेटी को इस मामले में पूरा अधिकार है, गवर्नमेंट का इन्ट्रेस्ट तो सिर्फ इतना ही है कि वह यह देखे कि कोई प्रोपर्टी का मिसमेनेजमेंट नहीं हो रहा है। कमेटी ने दो रोज तक इसकी छान-बीन की और फिर प्रेस स्टेटमेंट निकाला जिसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं जिससे असलियत मालूम हो जावेगी और गलत फहमी दूर हो जायगी :

"Maharajshri had a frank and free discussions with the members of the Power of Attorney Holders Committe on this matter. The Committee has been satisfied that the contents that were taken charge of by Mahrajshri on the 25th December have been fully disclosed in the inventory which was prepared and the members of the Committee have ascertained from facts and have seen that all the gold and silver ornaments and utensils taken out would fill about 8 trunks.

After discussions with the members of the Committee and after verifying all the contents taken out of the locked room agreed with the committee to hand over to the Krishna Bhandar all the jewellery and utensils which, by their nature, appeaed to be intended for the use of the idol.

Maharaja Shri has accordingly handed over to Krishna Bhandar all such gold and silver ornaments

Page No.59

(श्री दामोदरलाल व्यास)

meant for the idol, the minimum worth of which is approximately Rs. 2,80,000/. The Committee in turn has handed over back to Maharajshri jewelley worth approximately Rs. 66,000/ silver utensils worth approximately Rs. 6,000/- and the cash, to which in the unanimous opinion of the committee, Maharajshri had a just claim."

श्री पी.के. चौधरी : Will the Hon'ble Minister please supply a copy of this report, we would like to have it.

Has the Hon'ble Minister got any objection ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member will please not interrupt he (the Minister), will please resume his debate.

एक माननीय सदस्य : Let a copy of this be placed on the Table of the House.

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने आपसे जैसा पहले कहा है, यह प्रेस नोट है, अखबार में निकला है इसको आपने पढ़ा ही होगा।

श्री सतीशचन्द्र : यह नवयुग में छपा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: यह बम्बई से छपा है। इसके बाद सदन को यह देखना है कि सरकार की क्या जिम्मेवारी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंदिर की व्यवस्था के लिये कमेटी बनी हुई है और जिसके लिये जैसा पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के होम मिनिस्टर साहब के सामने सारी scheme तय हुई है और उनकी सलाह से यह कमेटी बनी है; महाराज की तरफ से पावर ऑफ एटोर्नी है और जिस तरह से दिल्ली में भी गृह मंत्री जी के सामने तय हुआ था उसके मुताबिक जेर दफा ९२ Civil Procedure code दावा दायर कर दिया गया है। इसके बावजूद भी सरकार उनके बीच में तभी आ सकती है जब पोपर्टी का किसी भी तरह से मिस एप्रोप्रियेशन किया गया हो। मैंने आपको प्रेस नोट अभी पढ़कर सुनाया उसमें साफ कहा है कि जितना माल मिला या निकला और हमने इत्मिनान किया कि जो महाराज श्री ने हमारे सामने पेश किया उसमें जो महाराज का माल था वह उनको दे दिया और जो कमेटी का था वह कमेटी को दे दिया। जब सरकार के सामने कोई इस प्रकार के एलिगेशन नहीं हैं कि प्रोप्रर्टी हजम कर दी गई है तो कोई एक्शन कैसे लिया जा सकता है ?

श्री जगदीशप्रसाद : क्या यह सही है कि अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र दे दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: महाराज श्री ही इसके अध्यक्ष हैं, इसलिये त्यागपत्र देने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस कमेटी से उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत है, यह मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है।

इसके अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नाथद्वारा ही नहीं किसी भी मन्दिर की

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रोपर्टी का पता लगे, सरकार अपना कर्त्तव्य करेगी। यह कहा गया जो प्रोपर्टी नाथद्वारा में निकली है, उसके सम्बन्ध में कहा गया कि गोलमाल किया गया तो मैं कहना चाहूंगा कि जो कार्यवाही सरकार द्वारा करनी चाहिए थी की गई और कोई हेर-फेर नहीं की गई। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अखबारों में जो समाचार छपा और उस सम्बन्ध में जो पत्रों में खबर निकली है, उसके साथ साथ माननीय सदस्य उसको भी पढ़ते जो प्रेस-नोट निकाला है; उसकी भी जानकारी रखते तो अच्छा होता। माननीय सदस्यों ने शुरू-शुरू में बातें कहीं थी उसको मैंने रेपुडियेट किया है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इन्वेन्टरी बना ली है। लेकिन मैंने कहा कि कमेटी के पॉवर ऑफ Attorney होल्डर्स हैं, उन्होंने कार्यवाही की है और उन्होंने इन्वेन्टरी बनाई हैं और मेरी जानकारी में इन्वेन्टरी बन चुकी है। इसलिए जिस तरह से माल निकला है तो उसकी पृष्ठभूमि भी जान लेना जरूरी है। सन् १९३५ में, मौजूदा महाराज के पिता की डेथ (मृत्यु) हो गई थी और उस समय उदयपुर गवर्नमेन्ट ने जो कुछ उनकी प्रोपर्टी थी उस पर इमीजियेटली कोर्ट ऑफ वार्ड्स का इन्तजाम की दृष्टि से सील लगा दी थी। यह कमरा भी सील हुआ था लेकिन इसका कोई रिकार्ड नहीं मिला, लेकिन जो रिपोर्ट आयी है उससे पता लगता है कि यह कार्यवाही महाराज की मदर की थी और उनकी भी सील इस कमरे पर थी और श्री उमादान जी मालवीय मुन्सरिम की भी इस कमरे पर सील थी। यह कमरा बिल्कुल सील्ड रहा, कभी खुला नहीं और जब कमेटी ने मंदिर की प्रोपर्टी की इन्वेन्टरी बनायी तो उस वक्त इस कमरे का जो माल था उसकी नहीं बना सके। कृष्ण-भंडार है उसका जेवर उनके पास रहता था और उस भंडार में था उसकी इनवेन्टरी बन गई। इसलिए मैंने पहली इन्वेन्टरी के लिए कहा था। यह कैसे रह गया, इसके लिए माननीय सदस्य को जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि किन सरकमस्टांसेज में उस कमरे पर सील लगा दी थी।

दूसरा मामला जिसके ऊपर माननीय सदस्य जो महुआ से आये हुए हैं, उन्होंने जिसका जिक्र किया था, मैं उस सम्बन्ध में वाकयात सदन के सामने रखना चाहता हूँ। उन्हें जो सही वाकयात हैं और सही स्थिति सदन में रखनी चाहिए थी; उन्होंने कोटा के सेठ के मुतल्लिक यह कहा था कि कोटा के एक सेठ हैं, नवाब के ऊपर उनका रुपया बाकी था और चूंकि वह टाइम बार्ड था, जायज नहीं था इसलिए उसको ए. जी. ने रोक दिया है। साथ ही यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में उनकी जानकारी नहीं है लेकिन सुना है और सुनी हुई बातें उन्होंने सदन में रखीं, इसलिए मैं निहायत अदब के साथ माननीय सदस्य को अर्ज करना चाहता हूं कि उन्हें सही जानकारी हासिल करनी चाहिए थी और चाहते तो कर सकते थे। कोटा के सेठ को रुपया बहरहाल दिया गया या नहीं, यह वे मालूम कर सकते थे। कोई रुपया बाकी नहीं था, टाइम बार्ड था, देने के ऑर्डर कर दिये, यह सूचना गलत दी है। यह बात सही नहीं है कि कोटा के सेठ को गलत रुपया दे दिया। टाइम बार्ड के विषय में माननीय सदस्य को मालूम हो कि जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है और यह जेर गौर है, विचाराधीन है कि रुपया मिलना चाहिए या नहीं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा

Page No.61

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह वाजिब नहीं था, सही वाक्यात यह है कि कोटा के सेठ जो हैं वे किसी जमाने में टोंक के और दूसरी रियासतों के ट्रेज़रार थे और उस हैसियत से रियासत टोंक ने कई लोगों को कर्जा दिलाया, रियासत ने यह जिम्मेदारी ली कि जो कर्जा दिया जावेगा अगर कर्जदार कर्जा नहीं चुकावेगा तो रियासत की जिम्मेदारी होगी। उसी बेसिस पर जब राजस्थान बना तो उन्होंने अपना क्लेम पुटअप किया कि हमारा इतना रुपया रियासतों की सिक्योरिटी पर, गारन्टी पर लोगों को कर्जा दिलाया गया, रुपया दिलाया गया वह वापिस दिलाया जाय। उसको एग्ज़ामिन किया गया। एग्ज़ामिन किया फोर्मर राजस्थान की एक कमेटी ने, जिसके चेयरमेन थे चीफ सेक्रेटरी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। इन्डिविजुअल केसेज़ थे वे एग्ज़ामिन हुए यहां पर। जरा एक मिनिट के लिए, जो रियासत ने गारन्टी दी थी वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि जिससे पता चले कि कर्जा किन शर्तों पर दिया गया था। गारन्टी में यह लिखा है :

"इसमें यह दर्ज करना मुनासिब होगा कि किसी शख्स को दरबार के हुक्म से कर्जा रियासत दिलायेगी तो वसूल करने की जिम्मेदारी रियासत की होगी। रियासत से सेठ साहबान रतलाम (कोटा) को यह परवाना दिया गया था, कर्जा जवाब का प्राइवेट था ? या रियासत का था यह भी तय नहीं किया है। यह रुपया नहीं दिया गया है किन्तु यह विचाराधीन है।"

लिमिटेशन की बात कही गई। मुझे ताज्जुब सा हुआ कि सरकार के लिए कहा जाय कि किसी आदमी का रुपया कर्जा ले ले, यदि बाकी भी है, मयाद खारिज हो जाय तो न दे। मैं समझता हूं, यह वाजिब बात नहीं है। कई जजेमेन्ट सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्टों के देखेंगे तो योग्य जजों ने ओब्ज़र्वेशन्स दिये हैं। आखिर गवर्नमेन्ट सिटीजन से डील करती है तो Government must deal honestly with the citizen and Should not take shelter (अश्रव्य) टेक्निकल पोइन्ट्स ओफ लिमिटेशन्स आपको बहुत से डिसीज़न्स मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न्स मिलेंगे, हाईकोर्ट के मिलेंगे। किसी आदमी को, चूंकि मयाद समाप्त हो जाय इसलिए रुपया नहीं देना चाहिए, यह शोभा की भी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि इसमें क्या फैसला होगा लेकिन लिमिटेशन्स की जो बात कही है माननीय सदस्य ने वह वाजिब नहीं है।

दूसरा कोटा की फाइल के मुतल्लिक जिक्र किया गया। इसका पिछली लेजिस्लेटिव असेम्बली के कई सेशन्स में जिक्र आ चुका है इसलिए विस्तार से इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ समय गुजर जाने से, सेट टाइम के पास होने से वे इस बात को भूल गये हैं कि उस फाइल को उन्होंने स्वयम् देखा था, उस समय मैं भी मौजूद था, मंत्री के खिलाफ शिकायत थी, चूंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, यह उचित है कि मैं सही स्थिति को सामने रख दूं।

टाइम गुजर जाने से उनको यह बात याद नहीं रही हो।

श्री टीकाराम पालीवाल : याद है, फाइल मैंने देखी थी। दूसरे साथी श्री राम करण जी थे उन्होंने भी उसको देखा था। देखने से पता चला कि कुछ पत्र थे जो उस फाइल की नोटिंग में नहीं मिलते। मैं भूल नहीं गया हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि वे भूल गये हैं और उनको भूल जाने का अधिकार भी है।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैंने कहा था कि वह फाइल दिखाई गई थी और मैंने देखी, लेकिन कुछ पत्र थे उनका नोटिंग में हवाला नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे आप कह लेने दीजिये, उससे आपको संतोष न हो तो फिर कह लीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल : Don't mis-report me.

श्री दामोदरलाल व्यास : मिस-रिपोर्ट नहीं करूंगा।

श्री टीकाराम पालीवाल : Don't mis-quote me in my face.

२ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं फिर अदब के साथ बताऊंगा कि आप उसको भूल गये हैं और याददाश्त ताजी होना आवश्यक है। मैं यह अर्ज कर रहा था, कोटा की जमीन के संबन्ध में जो बहस हुई थी उस समय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने कहा था कि जिस किसी को भी इस फाइल में सन्देह हो वे देख लें। उस समय ऐसा खयाल किया गया था कि उस जमीन के जागीरदार और उसके कामदार ने जो दरख्वास्त दी थी उसको तबाह कर दिया गया है, यह एक एलीगेशन उस समय लगाया गया था; उस पर मुख्य मंत्री महोदय ने यह स्वयं कहा था कि जो भी इस फाइल को देखना चाहें देख सकते हैं। उस समय श्री पालीवाल जी और श्री रामकरण जी इन दोनों को वे मिसलें दिखाई गईं, मैं भी उस वक्त मौजूद था, उसके अन्दर से कागज गायब थे, ऐसा जो कहा जाता है मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा माननीय सदस्य उस बात को भूल गये, पिछली बार सदन में जो इस पर बहस हुई वह उनको याद रह गई, मुआवजा मिसल का जो वकया था वह याद नहीं रहा। मैं सदन में यह साबित करूंगा कि जिस दरख्वास्त के लिये कहा जाता है कि वह दरख्वास्त गायब है उस पर आज भी श्रीरामकरण जी के दस्तखत हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैंने तो यह निवेदन दिया था कि नोटिंग के समय जो कागजात इसमें होने चाहिये थे उसमें से कुछ कागजात नहीं मिले।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको हूबहू बता रहा हूं, उस पर भी आपको अगर किसी प्रकार का संदेह हो तो मैं फिर से अर्ज करूंगा आप उसको दुबारा देख लीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वह मिसल ही आप हाउस में पेश कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Honourable members can have the explanation if the facts are misconstrued, but they may not disturb the debate whan it is going on.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फिर तो उसका महत्व चला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : महत्व तो चला जाता है, किन्तु परम्परायें ही ऐसी हैं,

you please note it. you can have the explanation if the facts are concocted afterwards.

जिस दरख्वास्त के लिये कहा जाता है कि उसकी तब्दीली हो गई उसके लिये मैं निवे-

(श्री उपाध्यक्ष)

दन करूंगा कि जब मुआयना का वक्त आया तो उस फाइल को देखा गया, उसमें कोटा स्टेट के सेक्रेटरी द्वारा की गई उस दरख्वास्त की हुबहू कॉपी नोट पोर्शन में लिखी हुई मिल गई। जिस वक्त फोर्मर राजस्थान बना था उस वक्त की उस दरख्वास्त की हुबहू कॉपी उसमें मौजूद थी। एप्लीकेशन वही है उसकी कॉपी भी पूरी थी, केवल सबस्टेन्स ही हो, ऐसी बात नहीं। मैं यह नहीं कहता कि श्री पालीवाल जी जान–बूझ कर उसको भूल गये हों। हो सकता है उनको उस समय की बहस याद रह गई हो और मुआयना मिसल के वक्त वाकयात याद नहीं रहे हों। मैंने तो अपनी याद को ताजा कर लिया, रिफ्रेश कर लिया और वे अपनी याद को रिफ्रेश नहीं कर पाये।

तीसरी बात हनुमानगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने कही, उन्होंने भूमिहीन किसानों के लिये बहुत कुछ बातें कहीं उन्होंने जिस जोश के साथ ये बातें कहीं थोड़ी देर के लिए वे अपने होश भी खो बैठे थे, यह मैं कहूं तो वे मुझे क्षमा करेंगे। भूमिहीन किसानों के लिए यह कहा गया कि राजस्थान में भूमिहीन किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और खास तौर से गंगानगर के इलाके में। उन्होंने ऐसी तस्वीर सामने रखी कि सारी जमीन जो भाखरा के इलाके में दे रहे हैं वे केवल जागीरदारों और रईसों को ही दी जा रही हैं, भूमिहीन किसानों का तो नामोनिशान भी नहीं है। वास्तव में मैं अर्ज करना चाहता हूं, गंगानगर इलाके में भाखरा का जो एरिया है उसमें जमीन अलोट करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और ज्यों ज्यों तजुर्बा होता जा रहा है उसमें संशोधन भी करते जाते हैं, जैसी जैसी दिक्कतें सामने आती हैं हम उनमें अमेन्डमेन्ट बरतते जाते हैं और वे रूल्स गजट में भी पब्लिश हो गये हैं। उन रूल्स के तहत उन किसानों को भी जमीन मिल सकती है। रूल्स में अगर किसी प्रकार की कमी रह गई है तो आप हमें बताइये, हम उसको ठीक करने के लिऐ सदैव तैयार हैं। इस सम्बन्ध में बोलते हुए माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े भी बताये। मुझे ऐसा पता चला कि जो आंकड़े उन माननीय सदस्य ने रखे वे सही नहीं या उनको उनकी जानकारी नहीं थी....

एक माननीय सदस्य : आपने सही आंकड़े दियेही कब थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी रखते हुए) एक्स मिलिटरी पर्सोनल्स को १,५०० एकड़ जमीन दी हैं, दस हजार के आकड़े जो उन्होंने दिये हैं, वे गलत हैं। सही बात। यह है कि एक्स मिलिटरी पर्सोनल्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर जमीन दी गई है और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक ढंग पर वर्क कर रही है कहीं तो वह इसी एरिया में है। इसी तरह कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए कुछ जमीन दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास: भूमिहीन किसानों को कितनी जमीन मिली है वह भी बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी रखते हुए) भाखरा की जो जमीन है उसका इस तरह से बंटवारा है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया जितने भी टेम्परेरी कलटीवेटर्स थे उनको जमीन मिल चुकी है और वे उस पर काबिज हैं।

भूमिहीन किसानों से जमीन अलोट करने के लिये करीब २१ इजार दरख्वास्तें पेश हुई

Page No.64

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है। उन पर दिन प्रतिदिन कार्यवाही कर रहे हैं, इसके अलावा जो भूमिहीन किसान हैं जिनको परमानेन्ट अलोटमेन्ट नहीं हुआ उनको टेम्पोरेरी कल्टीवेशन की इजाजत है।

इसके अलावा रिज़र्वेशन पर माननीय सदस्य को बहुत ऐतराज है यह जरूरी है कि फोरेस्ट डेवलपमेन्ट के लिए सरकार ने जरूर जमीन रखी है। मैं समझता हूं वह वाजिब है। इसके अलावा सूरतगढ़ फार्म के लिये जो जमीन दी गई है उसके लिये भी माननीय सदस्य को एतराज है उसके लिए तो राजस्थान को नाज़ होना चाहिये कि उनके इलाके में ऐसी चीज हो रही है जो हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं नहीं है। गाडोलिया लोहारों को बसाने के लिये हमने भूमि अलोट की है, यह क्या गलती की है?

दूसरी बात यह है कि जिन महानुभाव ने भूमिहीन किसान की वकालात की वे वास्तव में भूमिहीन किसान को जमीन दिलवाना नहीं चाहते। वे अपना राजनैतिक प्रभाव कायम रखने के लिए कुछ भूमिहीन किसानों के नाम पर वकालत कर रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिए नियम बने हुए हैं, उसमें आप कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहें तो वह हम मानने के लिए सदा तैयार हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि भूमिहीन किसानों को अगर किसी प्रकार जमीन मिलने में दिक्कत हो तो वे सुझाव दें, उनको सहर्ष मानने को वह हम तैयार हैं। आपने भाषण तो लम्बा-चौड़ा दे डाला लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं दिया।

कुछ जमीन बेचने पर भी आपको एतराज है। यह ठीक है कि पहले पचास प्रतिशत जमीन बेचने का सरकार का इरादा था लेकिन अब उस फैसले को रिवाइज़ कर लिया गया है। माननीय सदस्य मुझसे मिलने भी आये। मैंने उनसे भी निवेदन कर दिया था कि पच्चास पर्सेन्ट का फैसला हमने वापिस ले लिया है लेकिन यह जरूरी है कि हम कुछ जमीन जरूर बेचेंगे।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो २५ बीघा जमीन देने का कायदा था उसकी जगह १५ बीघा कर दी है, उस पर भी एतराज किया है। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जमीन मिले, सबको इकोनोमिक होल्डिंग (Economic Holding) मिले, अपनी रोजी कमा कर ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। लेकिन इस पर भी एतराज किया जाता है कि पच्चीस बीघा से १५ बीघा क्यों कर दी? एक किसान परिवार के लिए १५ बीघा जमीन हमने तय कर दी है, उसकी जीविका चलाने के लिए काफी है उस पर भी अगर उसके कुटुम्ब के मेम्बर्स बढ़ जाते हैं तो जमीन की तादाद भी बढ़ायी जा सकती है। उसकी फेमीली का राइट मान लिया गया है तो फिर एतराज की कौनसी बात है? दूसरी बात।. जहां तक भूमिहीन किसानों का सवाल है सरकार की नीति स्पष्ट है। जितना अलोटमेन्ट है वह सब लैण्डलैस टीनेन्ट्स को ही होगा।

जागीर विभाग के मुतल्लिक निवेदन करूं कि एक जागीर Advisory कमेटी बनी हुई है जिसके जागीरदार साहिबान मेम्बर हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं जागीरों के हर मसले को आपसी बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश करते रहे हैं, और आज भी वैसा ही कर रहे हैं। डिविजन में जो एडवाइज़री कमेटीज़ हैं या सेन्टर में जो हैं उनसे बात करके ही कोई भी मसला सोल्व करते हैं। पर फिर भी सांचोर से आने वाले एक माननीय सदस्य

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने उनकी बहुत जोर से वकालत की और कहा कि किस तरह से उनका रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट और कम्पेन्सेशन की रकम कुर्की में अटेच कर ली जाती है, मैं अर्ज करूंगा कि इस खतरे को बचाने के लिए ही हमने डेट रिडेम्शन एक्ट (Debet redemption Act) बनाया और उसमें सिक्योर्ड (Secured) डेट जो है उसमें १।५ हिस्सा एग्जेम्प्ट है और अन-सिक्योर्ड २।५ हिस्सा। जिनकी आमदनी या जिनका हिस्सा १ लाख से अधिक है या एक लाख है उनका अधिक से अधिक ७० परसेन्ट से अधिक कुर्क नहीं हो सकता और जिनकी आमदनी एक लाख से कम है उनकी ५० परसेन्ट से अधिक नहीं हो सकती। हमने यह किया है और इसके लिए और भी कमी करने की आवश्यकता हो तो हम विचार करने को तैयार हैं।

२. ११ म० प०

श्री लक्ष्मीचन्द : वह कानून तो बन गया है, पर फिर भी कानून को इग्नोर करके कुर्क करवा ली जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सुना है आप वकील हैं, फिर भी आप ऐसी बात सुनाते हैं। आप कानून की मदद से लड़ सकते हैं इसके लिए।

श्री लक्ष्मी चन्द : यह एक्चुअली आज हो रहा है। मैं यह अर्ज कर रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर होता है तो कानून आपकी हिफाजत पर है; कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक अपील कर सकते हैं, यह आपको पता है।

आगे फेमीन के मामलों में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोरों से कहा कि पटवारी फेमीन के मामलों में गड़बड़ी करते हैं। मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां कि फेमीन के मामलों की शिकायतें आई हैं और रिपोर्ट ठीक नहीं हुई उसकी मैंने जांच कराई है। पर मेरे माननीय सदस्य ने सदन में जिस तरह का स्टेटमेन्ट दिया उस तरह से पहले अगर वे कुछ गांवों की स्पेसिफिक इन्स्टान्स लेकर लिखते तो उसकी जानकारी हासिल करके जवाब दे सकता था।

श्री भैरोंसिंह : आपने स्वयं भी जाकर देखा है क्या कहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैंने देखा है। बीकानेर डिविजन के दो जिलों का चार रोज तक मैंने दौरा किया है।

श्री भैरोंसिंह : सड़क सड़क के आस पास का दौरा किया है; अन्दर गये क्या कहीं?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुमकिन नहीं कि हर गांव में जाऊं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो गाड़ी में से उतरे तक नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात और अर्ज करना चाहता था फेमीन के मामले में। यह कहा गया कि उदयपुर और नागौर में हर साल फेमीन पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो फेमीन डिक्लेअर किया गया है वह पूरी जांच करवा कर किया गया है। मैंने पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है। अगर वहां की फसलों की हालत देखना चाहें तो

Page No.66

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वे खुशी खुशी वहां जा सकते हैं। मेरी सदन के हर सदस्य को दावत है। इनको जाने की और देखने की तमाम सहूलियतें सरकार की और से दी जावेंगीं ताकि उन्हें पता लग सके कि फेमीन कहां है और उनकी हमदर्दी कहां होनी चाहिये। केवल हर मामले में राजनीति घुसेड़ देना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको बिलकुल हमदर्दी है।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह उचित तरीका नहीं है कि बीच बीच में टोका जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : मौका नहीं है फिर जवाब लेने का।

श्री उपाध्यक्ष : If the facts are at all misrepresented, you may rise to demand his explanation.

एक माननीय सदस्य : But when ?

श्री उपाध्यक्ष : Only after he concludes, the ebate.

(श्री दामोदरलाल के भाषण समाप्त करने पर)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : Not at this stage...

श्री भैरोंसिंह : तो फिर किस स्टेज पर ?

श्री श्रीभानसिंह : I have to submit one thing; that is, there is controversy between them regarding the date the hon'ble member has shown to one hon'ble member. There is a controversy in it. Is the honble member prepared to lay it before the House ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पजेशन में हूं। मुझे इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जावे, मैं आप से प्रार्थना करूंगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन से चल रही चर्चा में जो मुद्दे इस सदन के माननीय सदस्यों ने उठाये उन्हें करीब करीब सबको मैंने सुना। मैं चाहता था कि इस सदन की बहस को जरा दूसरे स्तर से देखा जाकर कुछ रचनात्मक सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आते, ऐसा होता तो आंकड़ों से और तथ्यों से जवाब दिया जा सकता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे रचनात्मक सुझावों की उम्मीद करता था पर इस बात का मुझे दुख है कि वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। जैसी इस सदन के माननीय सदस्यों ने एक परम्परा कुछ अर्से पहले बनाली थी कि कुछ कागजों के टुकड़े निकाल कर लाना, कुछ अखबारों की कतरनें हाथ में लेना और उनको यहां पढ़ना, और जो यह परम्परा और सिलसिला आज से करीब तीन साल पहले चालू हुआ था और जिसने चालू किया था, हालांकि वह आज सदन में नहीं है, आज भी चल रहा है। वह सिलसिला और वही परम्परा विरोधी दल की तरफ से आज दिन भी चालू है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपको देखते हुए चालू रहेगी।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : इन अखबारों और परचों की बातों को व दुनिया की और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सारी बातों को वे सही मान बैठते हैं और फिर उनके पीछे इस सदन में भाषण देते हैं और ऐसे भाषण देते हैं जो आम तौर से चुनावों के वक्त में उनको अपने अपने हल्कों में देना चाहिये या जयपुर की चौपड़ पर देने चाहिये। ऐसे भाषण अगर जयपुर की चौपड़ पर दें और पर्चे बाजी करें और उस पर अपनी अपनी पार्टी और जमात के पक्ष में लोग अपना मत बनायें तो हमें कोई ऐतराज नहीं। पर मैं यह चाहता हूं उपाध्याय महोदय, कि इस सदन का समय काफी कीमती है, उसे इस तरह के भाषण देकर बरबाद नहीं किया जाये बल्कि कुछ रचनात्मक सुझाव वे दें, जिसकी वजह से इस देश की जनता की और इस प्रदेश के लोगों का फायदा हो। जब कुछ माननीय सदस्य; जो जनसंघ से चुनकर आये हैं मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे बोलने में जबान से जरा तीखे हैं।

(हंसी)

और काफी तीखे तरीके से इस सदन में बोलते हैं और जो बोलते हैं तो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की एक करोड़ और ६२ लाख की जनता जैसे उन्हीं के मुख से बोल रही है।

(हंसी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका दायरा वे खुद समझते हैं और जैसा एक माननीय सदस्य पहले जोर जोर से गला फाड़ते थे उनकी जो हालत हुई है वह हम सब जानते हैं। जनता आज काफी तेजी से भाग रही है, काफी जाग्रत हो रही है और इसे देखते हुए अपने इसी रुख को आज भी इसी तरह से हमारे इन माननीय सदस्यों ने चाल रक्खा तो आने वाले समय में क्या होगा वह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

श्री चन्दनमल वैद : आपका भी पट्टा नहीं है। यहां.... ..

(हंसी)

अच्छे अच्छे चपेट में आ गए हैं।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह भी नहीं कहा कि मेरा अपना पट्टा है। आने वाले जमाने में जिस दिशा में दुनिया चल रही है उसको देखते हुए और उसको मानते हुए मैं समझता हूँ कि मैं नहीं तो मेरे दूसरे भाई यहां आवेंगे, पर उन लोगों का (विरोधी बैन्चों की तरफ इशारा करते हुए) यहां आकर बैठना तो मुझे जरा मुश्किल ही दीखता है।

श्री भैरोंसिंह : हमारे भी दूसरे भाई आवेंगे।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री नाथूराम मिर्धा : अब इस बहस के बारे में जिस स्तर से बहस की गई उसी स्तर से उत्तर देना चाहूँगा। खास तौर से मेरे····

श्री सतीशचन्द्र : उसी स्तर पर दे रहे हैं!

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान में जंगलात का एक मामला है। उस पर काफी जोर से चर्चा की गई। मेरे पास उस बारे में प्रश्न भी माननीय सदस्यों ने काफी लम्बी तादाद में भेजे हैं। उनका जवाब भी मैं दूंगा। पर उस बहस का जवाब मुझे आज इतना ही देना है कि एक पानरवा नाम का जंगल है। यह जागीरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का जंगल था और इस जंगल का ठेका सन् ४५ से उस जागीरदार के जरिए दिया जा रहा है और वह उसी आदमी को दिया हुआ है जो कि इस जंगल के पज़ेशन में था। जागीरों का जब रिज़म्प्शन हुआ और राजस्थान सरकार के पास में ये जागीरें आईं तो राजस्थान सरकार ने पहले यह कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेन्ड किया। दुबारा भी इस ठेकेदार ने उन्हीं शर्तों पर जागीरी के ठेके के एक्सटेंशन के लिए फिर दरख्वास्त दी ...

एक माननीय सदस्य : वह तारीख कौन सी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सारा केस ही शुरू से बता देता हूं। सन् १९४५ में यह जागीरदार ने ठेका दिया था। फिर उसके बाद में श्री गुलाम अब्बास को यह ठेका १३,६०७ रु० ८ आ० पर एनम पर ४ साल के लिए दिया गया था और यह खत्म हो रहा था ३०-६-१९४९ में। But on ५-६-४८ यह ....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप एक भाषा में ही बोलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सब समझ रहे हैं। मेरे खयाल से किसी को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है।

और फिर यह ठेका ३०-६-४९ में खत्म हो रहा था पर उसके पहले ही ५-६-४८ को यह ठेका फिर बढ़ा दिया गया for a Period of five years और ३०-६-५४ तक इस तरह यह ठेका और बढ़ा दिया गया और यह जागीरदार ने ही बढ़ाया था और यह ठेका लकड़ी जलाने की, चारकोल, अम्ब और कत्थे आदि के लिए ही था; इस पीरियड की एक्सपायरी होने के पहले ठेकेदार ने जागीरदार के सामने फिर दरख्वास्त की कि यह ठेका मुझे फिर दे दिया जाय। फिर देखिये इन्हीं दिनों जागीरों के रिज़म्पशन का समय आ गया और वह जागीर फॉर्मर राजस्थान सरकार के कब्जे में आ गई। उस समय जो राजस्थान का सन् ४६ में जागीर रिज़म्पशन एक्ट निकला था उसके तहत यह फॉर्मर राजस्थान के कब्जे में आ गई। Inspite of this Ordinance फिर उसके बाद में २५-६-५४ को खान मोहम्मद को यह ठेका १ लाख रुपये में जागीरदार ने दिया। जब खान मोहम्मद के नाम पर यह ठेका हो गया तो तो दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ और दोनों पार्टीज़ कोर्ट में चली गईं और कोर्ट्स में जाने के बाद में यह मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में यह तय हुआ कि जागीरदार किसी दूसरे ठेकेदार को यह ठेका नहीं दे सकता था और यह पज़ेशन क्योंकि उसी जागीरदार का है उसके पास ही यह जंगल रहेगा। इसी बेसिस पर, जब उसके हक में यह फैसला हुआ तो राजस्थान सरकार ने फिर इस ठेके को वापिस उसी आदमी को दिया और १५ हजार के बजाय १५ हजार रुपये की ही और सड़कों आदि के बनाने की उस जंगल में शर्त रखी। यह ठेका इसी तरह से उसी के पास चालू रहा जिसका पीरियड ५४ में खत्म होना था। इसी दौरान में इस जागीरदार ने यह दरख्वास्त दी कि यह ठेका और बढ़ा दिया जाय। ठेकेदार ने भी कहा कि जो शर्तें पहले मेरी थीं मैं उन्हीं को फिर मानने के लिए तैयार हूं और कहा कि जंगल में कुछ सड़कें और बनाऊंगा और यह ठेका चालू रखा जाये। इस पर यह ठेका ६० तक बढ़ा दिया और इस पर

Page No.69

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आॅर्डर्स राज्यपाल महोदय के हो चुके थे, परन्तु उसके बाद में बहुत से ठेकेदारों की यह दरख्वास्त आई कि यह जो लीज़ दी गई है उसमें सरकार को काफी घाटा हो रहा है और इससे ज्यादा रुपया सरकार को मिल सकता है । उन दरख्वास्तों का नोटिस लेकर सरकार ने यह निश्चिय किया कि जो टर्म बढ़ाई गई है इस टर्म को ठीक तरह से बढ़ाई हुई नहीं माना जाना चाहिए । और इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और जो यह आॅर्डर हुए हैं, यह ठीक हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए उस जंगल पर जिसका पज़ेशन हैं उससे ले लिया जाये । मैं आपको बताऊं कि आज भी वह जंगल राज्य सरकार के हाथ में है और जो टाइम एक्सटेन्ड कर दिया गया था उस टाइम के मामले पर विचार करने के लिए वह मामला हमारे पास विचाराधीन है और इस मामले को हम ठीक तरह से और इसके सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद में जो सही बात होगी वैसा ही करेंगें : अगर कानूनी अड़चन इसमें कोई नहीं आई तो मैं कहूंगा कि राज्य सरकार का घाटा किसी भी प्रकार से नहीं होने दिया जायेगा । इस बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूं ।

उसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में कहूँगा । ज्यादा लोगों ने इस समय इस विषय में चर्चा नहीं की । फिर भी एक–दो सदस्यों ने जो खास तौर से उस इलाके से आते हैं जहां कि पीढ़ियों से कोई रुपया सड़कों वगैरह के लिए खर्च नहीं हुआ और अब जब सड़कें बनती हैं और उनमें कहीं कमी टूट–फूट हो जाती है तो कहने लग जाते हैं । जैसा आम तरीका सा बन गया हैं और कई लोगों से कहते भी सुनते हैं कि फलां सड़क खराब होने के कारण गर्भपात हो गया । जब सांचोर के रहने वाले माननीय सदस्य कहने लगे........

श्री मदनसिंह : मैंने पहले भी बी० डी० ओ० पर आक्षेप नहीं किया कि सड़कें ऐसी खराब हैं कि......

श्री नाथूराम मिर्धा : श्रीमान् मैंने बी० डी० ओ० नहीं कहा, पीढ़ियों कहा है । मैं ठाकुर साहब, यह बात गलत नहीं कह रहा हूं और सड़कों के बारे में यह कह देना कि वहां की इतनी दुर्दशा है कि गर्भपात हो जाता है, तो आप ही बतायें कि सड़कें नहीं थीं तब तो हमेशा गर्भपात ही होते होंगे और राजस्थान में बच्चे ही नहीं जनमते होंगे । मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सड़कें एक ही दिन में सारे राजस्थान में नहीं बनाई जा सकतीं । वैसे यह सभी चाहते हैं कि सभी के यहां सड़कें हो जायें और सभी सड़कों से जुड़ जायें । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बताऊं कि हमारे राजस्थान की जो अर्थ व्यवस्था है वह सीमित है और सीमित अर्थ व्यवस्था होने के कारण सीमित काम ही हो सकता है । यह पंचवर्षीय योजना का फेज़िंग बना है उसमें हम तय कर चुके हैं, जो रिपेयर्स के लिए ग्रान्ट्स हैं वह भी स्टेन्डर्ड ग्रान्ट हैं । हम मानते हैं कि यह कम है इसलिए सड़कों का जितने ज्यादा रुपये से रिपेयर किया जा सकता है वह भी काफी प्राप्त नहीं होता है इसलिए सड़कों की मेन्टीनेन्स ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बात जैसी हो उसको उसी ढंग से कहें तो उसमें सुन्दरता नजर आती है और बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने से कोई लाभ नहीं होता ।

अब मैं कोआॅपरेटिव डिपार्टमेन्ट को लेता हूं । इस डिपार्टमेन्ट के ऊपर भी ज्यादा डिस्-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कशन नहीं हुआ है और मैं चाहता था कि कि उसमें कुछ डिसकशन होता और कुछ सुझाव आते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को बताना चाहता हूं कि इस विभाग में हमने प्रगति की है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने सोसाइटीज़ का स्कोप दूसरी जगह पर बढ़ाने की कोशिश की है जंगलात के बारे में ठेकेदारी सिस्टम को जहां तक हो सका है रिवाइज करने की कोशिश की है। हमने जंगलों के अन्दर काम करने वाले मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनवाई। उनके मोडल बाई–लॉज़ तैयार करवाये और कुछ स्टेट्स के शेयर्स भी रखे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ग्रान्ट्स और एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में कल एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए जिक्र किया था कि ३ पर्सेंट तो क्रेडिट है और ६७ पर्सेन्ट क्रेडिट प्राइवेट तरीकों से उपलब्ध होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी और उन सदस्य की बात भी हुई और मैंने जानकारी भी की तो उन्होंने कहा कि मैंने तो यह ऑल इन्डिया के फीगर्स बताये थे और रूरल क्रेडिट की रिपोर्ट निकली है उसके यह फिगर्स हैं। राजस्थान के अलग फिगर्स हो सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में यह हालत नहीं है। राजस्थान की क्रेडिट जो लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए वह पिछले चार–पांच साल में काफी बढ़ी हैं। वह एक करोड़ का हिसाब लगाते थे वहां ४।। करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसानों को और छोटी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ को देने के लिए हम उपलब्ध कर पाये हैं।

मीडियम तरीके का क्रेडिट भी हम उपलब्ध करने की तैयारी में हैं। इसके ऊपर का स्ट्रक्चर बना लिया है। एक माननीय सदस्य ने बहस के दौरान में कहा था कि ऊपर के स्ट्रक्चर बना लिये लेकिन नीचे देखा नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बने तो नीचे का कैसे बनेगा? पहले लैण्ड मोरगेज बैंक बनेगा तभी ऋण दिया जा सकेगा। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनेगा उसके पश्चात् ही वह आगे जाकर गांवों में वेयर हाउसिंग का काम करेंगे। ऊपर के स्ट्रक्चर का जो भी नमूना बनना जरूरी है और उपलब्ध करना जरूरी है, उस स्ट्रक्चर को पूरा करने के बाद में नीचे के स्ट्रक्चर पर जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बिना नींव के मकान बना रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मकान नहीं बनाना है बल्कि कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है; यह मकान का स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें यह फर्क है।

(हंसी)

उसके काम करने का, ढंग का, स्ट्रक्चर है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा बांसवाड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर खड़े होकर कहा कि जानवरों में महामारी फैल गई है, वह बांसवाड़े में धड़ाधड़ बढ़ रही है और पशुधन की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष, वे बांसवाड़े के बाहर कहीं रतलाम में तो नहीं रहते हैं। बांसवाड़े से महामारी की रिपोर्ट्स आई थीं तो डॉक्टर्स गये थे यहां से। उन्होंने यहां से जाकर ६०,००० मवेशियों के टीका लगाया है। वे गांव गांव में गये हैं, हर गांव के पंच और सरपंच के दस्तखत मौजूद हैं कि उनके गांव में इतने जानवरों के टीका लगाया है। यहां खड़े होकर कह दिया

Page No.71

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि हमारे इलाके के लिये कुछ नहीं किया और जानवर धड़ाधड़ मर रहे हैं ! कहने की आपको आजादी हैं, आपकी जबान नहीं पकड़ सकते हैं।

राजा श्री मानसिंह : टीका लगाने से जानवर बच गये क्या ?

श्री नाथूराम : बराबर बच गये हैं, नहीं तो किसके लिए टीका लगवाते ? टीका लगवाने से जानवर बचते हैं, यह आप सब लोग जानते है। (हंसी)

तो माननीय उपाध्यक्ष, और भी लॉ एण्ड आर्डर के नाम पर और भ्रष्टाचार के नाम पर जो चटनी इस सदन में बनी है और आगे भी बनेगी, क्योंकि नो कॉन्फीडैन्स का मोशन कुछ माननीय सदस्यों ने रखा दिया है,

(हंसी)

और बजट भी पेश हो रहा है । भ्रष्टाचार की चटनी बनायें कोई बात नहीं । भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए यह कहें कि यह बात हो गई और वह बात हो गई इसी से सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया तो उन्हीं माननीय सदस्यों के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। दुनिया देखती है; असंतोष बढ़ रहा है, यह भी कहा गया है तो हम भी गांवों में जाते हैं और देखते है कि कहां असंतोष बढ़ रहा है और कहां घट रहा है ! हम अपनी आखों से हमेशा उसको पकड़ते रहते हैं और बराबर नापतौल करते रहते हैं।

(जनसंघ दल की ओर से बैठे बैठे कुछ कहने पर) जनसंघ वाले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं. इसलिए मुझे कहना पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष : उनसे आप प्रोत्साहन क्यों प्राप्त करते हैं !

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : अब एक बात पर मुझे खुशी हुई है कि एक समय जो भूस्वामियों के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने इस समय भूस्वामियों की कोई बात चीत नहीं की है, लेकिन गांव और शहर के लोगों की बात चीत की है और उसमें मुझे भी घसीटा गया है, और कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं और शहर वालों के बीच में बैठ कर उनकी हां में हां कहने लगा हूं और गांव के रहने वालों से नफरत है। मेरे लिए यह बड़े मजे की बात है। न मुझे गांव वालों के कपड़ो से नफरत है और न शहर वालों के बीच में रह कर उनकी हां में हां मिलाता हूं । वाजिब बात में तो हां में हां मुझे और आपको दोनों को मिलानी पड़ेगी, गैर वाजिब बात में नहीं मिलाऊंगा और न कभी मिलाई है, उन्होंने अपना एटीट्यूड कुछ चेन्ज किया है उसके लिए मुझे खुशी हुई।

इसी तरह से जनसंघ के भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वे भी जमाने के साथ अपने रुख को बदलें । कभी कभी बातें तो जमाने का साथ करने की दृष्टि से करते हैं, लेकिन कारनामे जरा डिफरेन्ट रहते हैं। वह तरीका जरा वे सुधार लें और अपनी जबान को तीखी न रखें; कम तीखी रखें और बात नापे तोल तोल की कहें। जो कहें उसमें संयम हो और सच्चाई हो, तब उसका असर पड़ता है और लोगों को सही बात मालूम होती है।

जो असंतोष बताया गया है उसमें एक बाड़मेर में अमुक तरह की डिस्पेन्सरी होनी चाहिए·········

श्री भैरोंसिंह : इसका जवाब हैल्थ मिनिस्टर साहब देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर इसी डिस्पेन्सरी के नाते यह कहें कि वहां पर कम्पाउन्डर नहीं है, डाक्टर नहीं है, इसमें यह सुधार होना चाहिए और इस तरह की डिस्पेन्सरी बननी चाहिए; अगर इन्हीं बातों को लेकर भूख हड़ताल करने बैठें तो मेरे ख्याल से राजस्थान में भूख हड़ताल के ५०० नोटिसेज़ आयें। इसके लिए जनसंघ वाले भाइयों ने वहां के किसानों और गरीब आदमियों को उकसा कर वहां पर बैठा दिया है। वे मरते नहीं हैं क्यों कि दिन को भूखों रहते हैं और रात को रोटी खाते हैं।

(हंसी)

तो इन राजनैतिक तरीकों की बातों से अपना काम कराना है तो वह ज्यादातर सदन के बाहर का काम है। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, उसका मुझे अफसोस नहीं है। इस सदन में अखबारों के परचे निकालकर, लम्बी चौड़ी बातों, सिद्धान्तों और उसूलों के नाम पर बातें करना कहां तक उचित है ?

दूसरी ओर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं जैसे कि वे बड़े चरित्रवादी हैं और जो कुछ वे कहते हैं वे सारी बातें ही सही हों तथा जनता के मुंह से हम बोल रहे हैं। यह सब लेकर देखने पर···

रावराजा श्री सरदारसिंह : इलेक्शन भाषण हो रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पता लगता है कि यह सब इलेक्शन के लिए बहुत उपयुक्त बातें हो सकती हैं और उनको जनता में जा कर देना चाहिए। उस वक्त हम भी जनता में जवाब देंगे जो वे कहेंगे उसका। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, क्यों कि समय की कमी है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि इस वातावरण में और इन चीजों में जाना बेकार है और इस सदन में जो कुछ माननीय सदस्यों की चर्चा का विषय हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, On a point of Information, माननीय जंगल मंत्रीजी··· ··

(हंसी)

आई मीन जंगल विभाग के मंत्री, वन मंत्री। I am sorry, I never meant it. यह जो अभी एक स्टेटमेंट दिया कि सन् १९५४ में गुलाम अब्बास ठेकेदार था पानरवा के जंगल का, उसको ठेका रिन्यू किया गया तो उसका उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया और दूसरे को जिसका ऑफर एक लाख का था उसको क्यों नहीं दिया गया, और उसको क्यों रिमूव किया गया ? आपने कहा कि वाकई में एक लाख में उसी ठेकेदार ने दे दिया था। जब आपकी नोलेज में यह था तो फिर उसको ठेका क्यों रिन्यू किया और दूसरे १ लाख वाले को रिन्यू क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सारे मामले की जांच पड़ताल और छान–बीन कर रहे हैं, और जांच करने के बाद जिस निर्णय पर पहुंचेंगे वह निर्णय आप मानकर चल सकते हैं कि जनता के और राज्य के हित में होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए इस पर जुडीशियल एन्क्वायरी बिठा दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जुडीशियल मैं बैठा हूं, एल. एल. बी. पास।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, गत चार रोज से राज्यपाल महोदय के भाषण पर इस सदन में वाद–विवाद हो रहा है। सदन के काफी माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और जिन लोगों ने भी भाग लिया उनमें से करीब–करीब सभी ने, शायद कुछ को छोड़ कर, शान्ति और व्यवस्था के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किये। कुछ लोगों ने कहा कि शान्ति व्यवस्था सुधरी है, कुछ ने कहा बिगड़ी है और कुछ ने कहा बहुत बिगड़ी है; चोरियां बढ़ी हैं, डाके बढ़े हैं, कत्ल बढ़े हैं और वे सभी चीजें जो शान्ति को बिगाड़ने वाली है, बढ़ी हैं। मैं अब तक ऐसा समझता था कि इस बारे में शायद दो राय न हों कि गये चार पांच साल पहले शान्ति व्यवस्था की जो हालत थी उससे आज यह अवस्था सुधरी है। कितनी सुधरी हैं, कितनी कमी है, हो सकता हैं इस बारे में दो राय हों लेकिन सुधरी है इस बारे में मैं ऐसा समझता था कि सब एक राय हैं। जितनी जानकारी मुझे इस मामले में हो सकती थी जनता के द्वारा, इस सदन के जो अधिवेशन हुए हैं उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और भारतीय सरकार को समय–समय पर जो जानकारी मिलती रहती है उसके द्वारा मेरा यही ख्याल था कि शान्ति व्यवस्था की अवस्था सुधरी है। लेकिन यहां आकर जब कि सदस्यों ने कहा कि वह सुधरी नहीं है बल्कि और ज्यादा बिगड़ी है; चोरियां बढ़ गई हैं, डाके बढ़ गये हैं, कत्ल बढ़ गये हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं इस पर विचार करूं और सोचूं और उसका जो निराकरण हो उसे करने की कोशिश करूं। मैंने इस मामले पर सोचा कि वाकई शान्ति व्यवस्था पहले से गिरी है या खराब हुई है या नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं उनके पास ऐसा मानने के कुछ कारण होंगे, लेकिन वे सदन के सामने ज्यादा नहीं आये; कुछ आये और कुछ का अनुमान लगा सकते हैं।

एक यह बात बताई गई कि बहुत से मामले पुलिस में दर्ज नहीं होने से रिपोर्ट नहीं की जाती है और रिपोर्ट न होने से क्योंकि पूरे आंकड़े नहीं लिखे जाते हैं, इस–लिए अनुमान है कि बढ़ी है, घटने के आंकड़े सही नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज के जमाने में सन् ५८ में कोई यह ख्याल करे कि ऐसे मामले, अहम मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराये, यह काबिल कयास नहीं है, मानने की बात नहीं है। हो सकता है कि छोटे छोटे मामले जो काबिल दस्तन्दाजी के न हों और दूरी की वजह से दर्ज न हों, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम होती है कि क्राइम्स के फिगर्स पर उनका असर पड़ने वाला हो, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है १ परसेन्ट, दो परसेन्ट, तीन परसेन्ट चार परसेन्ट या पांच परसेन्ट मामले ऐसे हों जिनमें रिपोर्ट देने नहीं जाते हों। लेकिन आज के जमाने में जो संगीन मामले हैं, जो बडे मामले हैं उनकी रिपोर्ट नहीं हो, यह मानने में नहीं आता। आज तो जो डाका पड़ेगा उसकी खबर कल पेपर में आ जायगी। ऐसे मामलों की रिपोर्ट न हो, यह समझ में कम आता है। मैं समझता हूं, उनकी राय बनाने का कारण यह हो सकता है कि किसी खास जिले या सब डिविजन में मुमकिन है इसमें कुछ घटा बढ़ी हुई हो, डाके पड़े हों,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चोरियें हुई हों जिससे सारे राजस्थान का अनुमान लगाया हो। लेकिन यदि आप पूरा रेकार्ड देखेंगे, ७-८ साल के फिगर्स देखेंगे तो मालूम होगा कि जो बातें निश्चित की जाती हैं, रिपोर्ट बनाई जाती है वह सारे राजस्थान के बेसिस पर होती है, किसी सब डिविजन के आधार पर नहीं होती हैं। सारे राजस्थान के २५ जिलों में क्या हालत है उसका निचोड निकालना पड़ता है और उस निचोड़ की क्या हालत है उसका आंकड़ा निकाला जाता है और बात कही जाती है। मुमकिन है किसी एक जिले में कोई बात हो तो उसकी जानकारी उनको हो और शायद उनकी जानकारी में दूसरे स्थानों के फिगर्स न हों और दूसरे कारण मैं कुछ ऐसा समझता हूं कि पुलिस वालों से नाराजगी हो, पुलिस का महकमा ऐसा बद-किस्मती का महकमा है जिसके साथ लोगों की हमदर्दी कम होती है। किसी न किसी वजह से उनकी नाराजगी चलती है। अंग्रेजों के जमाने में उसको ऐसे काम करने पड़ते थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके साथ नहीं करने पड़े होंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : (जारी) महरबानी है, शुक्रिया है।

ऐसा काम उनको करना पड़ता था जो नहीं करना चाहिये था। वही काम विरासत में इन गरीबों को अब मिला। लेकिन आप जानते होंगे कि आजादी के पहले जो पुलिस थी उसके व्यवहार में और आज की पुलिस के व्यवहार में कितना अंतर है ? बहुत से लोग अहसास करते है, बहुत से नहीं करते हैं, यह उनकी बदकिस्मती है कि उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो, लाठियें चलें तो भी लोगों की हमदर्दी उनके साथ नहीं होती। ऐसी बदकिस्मती उन गरीबों की है। लेकिन आपसे उम्मेद करता हूं कि उनका काम जो आपके सामने आवे उस पर हमदर्दी, सहृदयता के साथ गौर फरमा कर राय फरमावें तो पता चलेगा। जुरायम इस अरसे में घटे या बढ़े इस बारे में मैं निवेदन कर रहा था। इस सम्बन्ध में जैसा कि आपसे निवेदन किया सन् ५२ में जब कि हमारे यहां शान्ति व्यवस्था की काफी खराब हालत थी उससे आज हम काफी अच्छे हैं, क्या आप अपने दिल में इस बात का अहसास नहीं करते हैं कि सन् ५१-५२ में जो हालत थी उससे आज की हालत खराब है या अच्छी। सन् ५२ में और ५७ की हालत में क्या फर्क नहीं है ? क्या जो वाकयात सन् ५२ में गुजरे थे वे आज भी गुजर रहे हैं। आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं। यदि आप फेक्ट्स और फीगर्स की ओर जायेंगे तो इस नतीजे पर आयेंगे कि वाकई काफी सुधार इस हालत में हुआ है। मैं आपके सामने कुछ फेक्ट्स और फिगर्स रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : ये सर्कुलेट कर दें तो ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : डकैती के बारे में अर्ज करता हूं।

सन् ५२ में ३५६ डकैतियां हुई।
५३ में १६२ हुई
५४ में १६० हुई
५५ में ६६ हुई
५६ में ६१ हुई
५७ में ६१ हुई

ये डकैतियों के नम्बर हैं जो लगभग ८०

(श्री रामकिशोर व्यास)

परसेन्ट कम हुआ है। इसी तरह क्राइम्स के बारे में अर्ज करता हूं :

सन् ५२ में ८४५७
सन् ५३ में ६४६१
सन् ५४ में ५७२१
सन् ५५ में ५३१५
सन् ५६ में ४२७५
सन् ५७ में ४६१०

इसी तरह थेफ्ट के फीगर्स हैं।

सन् ५२ में ४०५३

श्री भैरोंसिंह : ये फीगर्स कहां से आये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं समझता हूं, इतने रीज़नेबिल तो आप मानते होंगे कि जो फेक्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं उनको प्रेज्यूडिस होकर नहीं लेंगे। मुझे भरोसा है कि जो फेक्ट्स सामने रखे जायेंगे उन्हें ठीक मानेंगें।

श्री भैरोंसिंह : सदन का समय ज्यादा न हो इसलिये पुलिस विभाग की तरफ से जो कोपीज़ सर्कुलेट की गई हैं उनमें देख लें।

श्री रामकिशोर व्यास : अफसोस इस बात का है कि जानकारी के बावजूद भी कुछ फरमाया है इसलिये मुझे यहां कहना पड़ रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो खबरें मिली हैं वे आपके पास नहीं पहुंची हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पहले ही अर्ज किया था।

इस तरह आप देखेंगे कि टोटल बिल मुक्ता कितने क्राइम्स सन् ५२ से हुए उससे भी आपको अंदाज लगेगा :

सन् ५० में २६२४६
५१ में २४४६६
५२ में २६०५६
५३ में २२०५३
५४ में १६६४१
५५ में १७६२४
५६ में १६०३२
५७ में १६२२० हैं।

इस तरह से . . . .

श्री भैरोंसिंह : यह तरक्की हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : तरक्की नहीं, अजमेर शामिल हो गया है।

(हंसी)

यह तो मैंने आपके सामने जो तुलनात्मक विवरण रखा वह राजस्थान का रखा, जो छः सात साल में क्राइम हुए। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो क्राइम की पोज़ीशन है उसको आप अन्य स्टेट्स से मिला कर देखें, तो भी आप इस नतीजे पर आयेंगे कि यहां के क्राइम फीगर्स या क्राइम्स, कुछ स्टेट्स को छोड़ कर, बाकी से कम हैं, ज्यादा नहीं। यह भी दो मिनट में मैं आपके सामने रखे देता हूं ....

श्री मदनसिंह दांता : यह आदमियों की सज्जनता है, प्रबन्ध की बात नहीं।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : पर थाउज़ेण्ड मैन बिहार में १४, बम्बई में १८, मध्य-प्रदेश में २६, मदास में ६, उड़ीसा में १४, पंजाब में १४, यू. पी. में ६, वेस्ट बंगाल में २४ तथा राजस्थानमें ११ क्राइम हुए। १० हजार व्यक्तियों

Page No.76

(श्री राम किशोर व्यास)

में कितने जरायम हुए, उसकी स्थिति मैंने अर्ज की…

श्री होतीलाल : आबादी में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : कुछ स्टेट्स और बाकी रह गये हैं, पंजाब, मद्रास, त्रावनकोर, कौचीन, मैसूर आदि।

श्री रामकिशोर व्यास : पंजाब का मैंने कहा, आप फिर सुन लीजिये …

श्री मदनसिंह दांता : जहां डाके नहीं होते थे, वहां डाके होने लग गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मद्रास का मैंने पढ़ा ६, और पंजाब का पढ़ा १४। मैं आप से अर्ज कर रहा था कि राजस्थान का भी गये सालों से मुकाबला करें तो कुछ सुधार हुआ है और राजस्थान के बराबर जो राज्य हैं, उनसे मुकाबला करें तो बेहतर हालत मालूम होती है। राजस्थान के नजदीकी और पड़ौसी प्रान्त, जहां कि डकैती की समस्या का ज्यादा जोर था, से भी राजस्थान की तुलना करें तो देखेंगे कि राजस्थान में यह प्रॉबलम जल्दी हल हुई है। तो मैंने आपसे कहा कि बेसिक बात तो यह है कि आपको नाराजगी रहती है, उसको निकाल दें तो सब साफ हो जाय। मैं एक बात और कह दूं आपसे कि लॉ और ऑर्डर की व्यवस्था इम्प्रूव हुई है; होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी वह इसलिए कि आखिर इतने गये सालों में जनता का काफी सहयोग रहा, सदन के सदस्यों का काफी सहयोग रहा और इस तरह का वातावरण बना कि जो समाज में विरोधी तत्व थे, उनके विरोध को दूर किया। गांव और शहर के लोगों ने सहयोग दिया। पुलिस ने भी अपनी जान लड़ाई, इससे जो नतीजा आने वाला था, जो आना चाहिए था वह आया। आपने फेक्ट्स देखे और अब जो राज्यपाल महोदय ने बात कही है, वह सही कही है। क्योंकि इस गये अरसे में पुलिस और डकैतों के ३४० एन्‌काउन्टर हुए, 340 encounters took place. इस गये अर्से में ३१२६ डाकुओं का सफाया किया गया। ३१२६ के फिगर का मैं एनेलाइसिस करूं तो इस तरह होगा कि १७८ डाकू मारे गये, ११७ डाकुओं ने सरेन्डर किया, २८३४ डाकू अरेस्ट हुए हैं। इस प्रकार कुल मिला कर ३१२६ डाकुओं का सफाया किया गया है …

श्री भैरोंसिंह : कितने वर्ष में?

श्री रामकिशोर व्यास : १६५० से।

श्री भैरोंसिंह : १६४७ से या १६५० से?

श्री रामकिशोर व्यास : १६५० से। आपकी जो भावना है उसका त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा पुलिस ने डाकुओं से जो हथियार बरामद किये हैं, जो पकड़े हैं, उनकी संख्या भी बहुत काफी मिलेगी। करीब ५११ हथियार पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से बरामद किये हैं, जिसमें राइफल, टोमी गन, स्टेन गन आदि, इनकी अलग अलग संख्या भी मौजूद है। एक और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं जिसकी वजह से आज हमको यह सफलता मिली है, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं..

अनेक आवाजें : जरूर करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वह बात यह है कि इस तमाम अर्से में ५३ पुलिस के आदमी मारे गये, कान्सटेबल, हैड कान्सटेबल, सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर, डिप्टी एस० पी०।

(श्री रामकिशोर व्यास)

कुल मिला कर ५३ व्यक्ति एन्काउन्टर्स में मारे गये । पब्लिक के लोग-बाग भी मारे गये लेकिन स्थिति को इम्प्रूव होना था, वह हुई । मुझे निवेदन करना था कि अगर आप ठंडे दिल से जरा गौर फर्मायेंगे तो आपको इस नतीजे पर आना पड़ेगा और मेरी राय से सहमत होना पड़ेगा कि पहले जो न्याय और व्यवस्था की हालत थी, उसमें सुधार अवश्य हुआ है ।

श्री मदनसिंह दांता : थानेदार कितने मारे गये हैं !

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : थानेदार भी मरे जरूर हैं, शायद आगे न बढ़ सके, इसलिए मारे गये ।

श्री भैरोंसिंह : और आदमी कितने उठाये गये, यह भी बता दीजिये !

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें कुछ छिपाने जैसी बात नहीं है, मैं सब बताऊंगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने हथियार मिले ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५११ ।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने डाकू पकड़े गये !

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको बताया, २८३४ डाकू एरेस्ट हुए ।

श्री उपाध्यक्ष : No cross-examination, please.

श्री रामकिशोर व्यास : क्रोस एग्ज़ामिन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है । मैं निवेदन कर रहा था कि इस पीरियड में आखिर इतना काम हुआ, इसे आप कब तक नजरन्दाज करते रहेंगे, कुछ तो अपनी जबान से इन गरीबों की हमदर्दी में कहिये....

(हंसी)

श्री मदनसिंह दांता : यह कहिये कि गरीबों से हमदर्दी करें ।

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस जो जान देती है, मरती है, पिटती है, उसके लिए दो शब्द तो फरमा दिया करिये....

श्री मदनसिंह दांता : उनके लिए जान हाजिर है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : इन डाकुओं को मदद देने वाले कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बात कही है वह बहुत मॉडेस्ट कही है, उसके बारे में विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा कि तमाम डकैतियां और चोरियां बन्द हो गई हैं या क्राइम कमिट नहीं होते, ऑफेन्स कमिट नहीं होते, कहा यह है कि पिछले सालों का मुकाबला करने पर ...... (विराम) मैं वर्डिंग्स सुना दूं

"पूरे साल के दौरान में शांति व व्यवस्था संतोषजनक रही, अपराधों में उल्लेखनीय कमी हुई और उनकी रोकथाम और जांच पड़ताल के कार्य में काफी सुधार हुआ । डाकुओं की समस्या की ओर जो अब हमारे लगभग पूर्ण नियंत्रण में है, समुचित ध्यान दिया गया । हालांकि पिछले कुछ महिनों में कहीं कहीं दुर्घटनाएं होने की सूचनाएं मिली हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमने इस

(श्री रामकिशोर व्यास)

आतंक का समुचित रूप से मुकाबला नहीं किया।"

कहा तो यह है कि इस प्रोब्लम को हल करने के लिए कुछ नहीं किया है, यह नहीं कहा जा सकता। इससे भी आप सहमत नहीं होते हैं तो न्यायपूर्ण बात नहीं कही जा सकती। इतना तो मान लेना चाहिए कि गवर्नमेन्ट ने कुछ किया है इस प्रोब्लम पर कन्ट्रोल करने के लिए। इस बात को न्याय मिलना चाहिए और आपका समर्थन मिलना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि स्मगलिंग के बारे में इस सदन में काफी वाद-विवाद हुआ। गये साल डेढ़-साल में काफी तस्कर व्यापार बढ़ा, इसे मानने में कोई एतराज नहीं है। किन्तु जैसे ही गवर्नमेन्ट के नोटिस में यह बात आई, सन् १९५७ में, हमने एक कॉन्फ्रेन्स बुलाई, बोर्डर के सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, कलेक्टर्स आर० ए० सी० के कमान्डर, लैंड कस्टम के अधिकारियों को बुलाया और एक कॉन्फ्रेन्स हुई, उसमें कुछ आपस में तब्दील-ए-ख्यालात हुए, उसका नतीजा भी हुआ, उससे राजस्थान पुलिस की कुछ टेक्नीकल डिफीकल्टीज़ मालूम हुईं, जैसे स्मगलिंग के ऑफेन्स लैंड कस्टम के तहत आते हैं, ऐसे ऑफेन्डर्स के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार लैंड कस्टम के अधिकारियों का है, पुलिस का कॉग्नीज़ेब्ल ऑफेन्स नहीं है, इसलिए पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। इस बात को हम गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के नोटिस में लाये। उन्होंने हैड कॉन्स्टेबल को अधिकार दिया कि वह माल को सिक्योर कर सकता है, माल को पकड़ने का अधिकार उसे दिया गया। अब उनको क्या करना पड़ता है कि जो बात उनकी नोलेज में आती है कि कोई स्मगलिंग आर्टिकल जा रहा है, उसको वे सीज़ कर लेते हैं लेकिन उसका चालान नहीं करते हैं और उसे वे लैंड कस्टम के अधिकारियों के सुपुर्द कर देते हैं और वे उसके खिलाफ एक्शन ले कर अदालती कार्यवाही चलाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि स्मगलिंग का ऑफेन्स काग्नीज़ेब्ल ऑफेन्स नहीं है, पुलिस उसमें दखलन्दाज़ी नहीं कर सकती। इतना अधिकार दिया गया है उसके तहत माल को सीज़ करके भेजते हैं तो इसको कम किया जाय, इस सिलसिले में काफी दिलचस्पी ली है, एन्टी स्मगलिंग (Anti-Smuggling) के पोस्ट्स लगाये हैं, सी. आई. डी. की ब्रान्चेज़ बनाई हैं, एस. पीज़. और आर. ए. सी. के कमान्डेन्ट्स को कहा गया है कि वे इस ओर खास तौर से ध्यान दें और जो अभी तक हुआ है, उस पर कह सकता हूं कि इसको आप सन्तोषजनक कह सकते हैं। वैसे तो कमी रहती है और रहती आई है, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ है काबिले गौर है। सोने के बारे में कहूं, ५६-५७ और ५८ के जनवरी तक ५,२९,५०८ रुपये का सोना पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी फिगर्स इस प्रकार हैं :

५६ में १२१० तोल सोना
कीमत १२१००० रु०

५७ में २९३३।। तोले
कीमत २९३३०८ रु०

५८ में जनवरी तक १११२ तोले
कीमत ११५२०० रु०

और इस तरह कुल मिला कर ५,२९,५०८ रुपये का सोना पुलिस ने पकड़ा है।

इसी तरह अफीम भी बहुत स्मगल होती

(श्री रामकिशोर व्यास)

है और ५६, ५७ और ५८ के जनवरी माह तक कुल मिला कर १०,७२,०३० रुपये की अफीम पकड़ी गई है, फिगर्स इस प्रकार हैं :

५६ में ४३५,०३५ रुपये की कीमत की अफीम पकड़ी गई, १६ मन १५ सेर।

५७ में १६ मन १७ सेर, कीमत ६२१६५५ रुपया।

५८ में १५३५० रुपये की अफीम पकड़ी गई।

इस तरह कुल मिला कर १०७२०३० रुपये की कीमत की अफीम पकड़ी गई। तो इस तरह से करीब सवा पांच लाख रुपये का सोना और करीब पौने ग्यारह लाख की अफीम पकड़ी गई। इसी तरह आयन्दा भी कोशिश जारी रहेगी।

यह कहा गया कि कुछ पुलिस के अधिकारी भी स्मगलिंग के काम में शामिल हैं। मैं यह अर्ज कर दूं कि पुलिस का एक बहुत बड़ा महकमा है जिसमें २५-३० हजार आदमी हैं, जिनको अगर एक जगह बसाया जाय तो एक खासी बस्ती, एक टाउन उनका बसाया जा सकता है। कोई गड़बड़ी करता है और हमारे इल्म में आता है तो हम उसको सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ इन्क्वायरी करके सजा देते हैं। एक दो केस में हमने सस्पेन्ड किया है, प्रोसीक्युशन किया है, एक्शन लिया है। इसी तरह कोई मामला हमारे नोटिस में आयेगा तो सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। नज़रन्दाज करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।

एक लेटर हाउस में पेश किया गया है, मैंने उस लेटर को पढ़ा जो ए. आई. जी., जोधपुर की तरफ से सुपरिन्टेन्डेन्ट लैण्ड कस्टम्स के नाम लिखा है, उसको पढ़ने से तो बजाए खुद कोई किसी शक की बात नहीं पर इन्क्वायरी तलब केस है। एक तो वह लेटर ए. आई. जी. ने लिखा है, उसका इसमें हिस्सा होता और जानकारी होती तो ऐसी गलती कभी नहीं करने वाले थे कि ओफिशियल लेटर लिखते। एक तो ओफिशियल लेटर, पुलिस का आदमी का लिखा और खुद ऐसी गलती करता तो यह नहीं समझ में आ सकता, देखना यह है कि आखिर वह स्मगलिंग का केस पकड़ा किसने ?

श्री भैरोंसिंह : कस्टम्स वालों ने।

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस वालों ने पकड़ा है और लैण्ड कस्टम्स वालों के पास भेजा है, बीकानेर की पुलिस ने पकड़ा है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी इन्फोर्मेशन सही नहीं है, दुरूस्त कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी इन्फोर्मेशन यह है कि पुलिस वालों ने पकड़ा और लैंड कस्टम्स वालों को भेज दिया। पुलिस वाले इसमें इन्वोल्व होते तो पुलिस वाले पकड़ते, यह करीने-कयास से कम बैठता है। फिर भी स्टेशन से बहुत दूर होने से कोशिश करने पर भी फरदर पूरी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। इस बारे में और भी जानकारी की जायगी और किसी की गलती होगी तो जरूर कार्यवाही की जायगी। पर बहरहाल इसमें कोई प्राइमाफेसी गलती नजर नहीं आती है।

दूसरी बात पुलिस यूनियन के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां के ज

Page No.80

(श्री रामकिशोर व्यास)

नोन गजटेड पुलिस कर्मचारी हैं, वे यूनियन बनाना चाहते हैं, उनको इजाजत दी जानी चाहिये । कॉन्स्टीट्युशन की आर्टिकल १६ का हवाला दिया गया जिसमें हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एसोसियेशन फॉर्म करने की आजादी है। पर फिर कॉन्स्टीट्युशन को और आर्टिकल्स को देखेंगे तो उनमें है कि पुलिस और मिलिटरी के बारे में एक्सेप्शन्स मिलते हैं। असल में आप खुद भी वाकिफ हैं कि पुलिस और मिलिटरी को दूसरे लेवल में ट्रीट करना पड़ेगा; उन पर शान्ति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जिस तरह ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन बनती हैं, यही इसमें भी चल पड़ा और आपने प्रोत्साहन दिया तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। मिलों में लेबर यूनियन बनती हैं, उसमें और इसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, अगर उनकी तरह पुलिस और मिलिटरी को भी सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया तो पब्लिक सिक्योरिटी बड़े डेन्जर में पड़ जायगी । कॉन्स्टीट्युशन में उनको राहत पहुंचाने की जो उनकी वाजिब बातें हैं वह सुनी जायं पर यूनियन बनाने की बात के लिये कहें कि स्वीकार किया जाय, नहीं स्वीकार जा सकता, न किया जाना चाहिये....

श्री श्रीभानसिंह : Are you against trade unions or the principle of unionism ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं पुलिस और मिलिटरी में यूनियन्स बनाई जायं, इसके खिलाफ हूं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : What are the officers' associations ? Do you associate unions with politics ? Does the Hon. Minster.....

श्री रामकिशोर व्यास : वह यूनियन्स नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : No interruptions please.

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी एसोसियेशन्स तो बना सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बीच में पंचायती क्यों करते हैं, बना लेंगे आप ही ।

श्री रामकिशोर व्यास : जो हमदर्दी आप उनके साथ फरमायें तो और बहुत से काम हैं पुलिस के, उनमें हमदर्दी फरमायें, आपकी मदद ली जायगी । पुलिस वालों ने इस जमाने में बहुत काम किया है, कभी उनकी भी हमदर्दी फरमाया करिए पर उनको गुमराह न करें, सही सलाह दें । मिलिटरी और पुलिस में यह राजनीति ले आयेंगे तो आपको मुझे और जनता को बहुत दुख होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : I am just asking please.

श्री अध्यक्ष : Please let him continue his speech.

श्री रामकिशोर व्यास : तो इस तरह की चीजें करना नामुनासिब है, फिर भी जो विचार मैंने व्यक्त किये हैं, उन पर और विचार किया जाय ।

एक बात डायना का बास के बारे में कही और काफी भाइयों ने बातें कही, ३ जनवरी, १९५८ को नगर का एक सब इन्स्पेक्टर डायना के बास में गया उसके पास मजिस्ट्रेट का, धारा १०० क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत में वारन्ट एक महिला मुसम्मात रहीमी की गिरफ्तारी का था, वह फरार होने वाली थी । तो उस वारन्ट की

(श्री रामकिशोर व्यास)

इजराय के लिये वे उस गांव में पहुंचे। उनके साथ थे, औरत जिसके लिए वारन्ट था उसको रोका। उन्होंने कहा कि आप औरत को नहीं निकाल सकते। सब-इन्सपेक्टर ने बताया कि हमारे पास वारन्ट है और उस वारन्ट को हम एग्ज़िक्यूट करना चाहते हैं। मगर वे नहीं माने और झगड़ा किया। सब-इन्सपेक्टर के सर में चोट लगी, फायरिंग हुआ, सब इन्सपेक्टर के चोट लगी उसके बाद दो हैड कॉन्सटेबल थे उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर किया और उसमें दो आदमी मारे गये। पुलिस पार्टीज़ को भी काफी चोट आई और कलेक्टर ने उनको होस्पिटल भेज दिया। उसकी इन्क्वायरी के लिये एडीशनल कलेक्टर भरतपुर को मुकर्रर किया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं नोन-ऑफिशियल लोगों से मिला। उन्होंने कुछ और बात कही। अब यह नहीं कह सकते कि ऑफिस के लोगों ने कहा वह सही है या नोन ऑफिशियल सही है जब तक कि इस संबन्ध में मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट न आ जावे।

श्री श्रीभानसिंह : Appoint a judicial Officer.

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी चल रही है उसके बीच में इसकी जरूरत पैदा नहीं होती।

श्री पी. के. चौधरी : What about Govindgarh Sub-Inspector who later on surrounded the village.

श्री भैरोंसिंह : What about D.S.P.

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक यह इन्क्वायरी पूरी नहीं हो इसकी जरुरत नहीं पैदा होती।

श्री पी. के. चौधरी : After the Magistrate's enquiry, judicial enquiry...

श्री श्रीभानसिंह : If the facts are incorrect the Hon. Minister will appoint a judicial enquiry.

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे कहा कि इस इन्क्वायरी के बाद कन्सीडर करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस बात को कन्फेस करता हूं कि मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी के बाद जुडिशियल इन्क्वायरी करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : (बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : Order !

एक माननीय सदस्य : दो आदमी मारे गये उनके संबन्ध में कोई केस रजिस्टर हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे गोली से मारे गये। एक बात मैं कहना भूल गया कि वे श्री नोट श्री की राइफल छीन कर ले गये। इसके अलावा वहां के जागीरदार हैं या राजा हैं, जो भी हैं उन्होंने वहां के नागरिकों की शांति, न्याय और व्यवस्था को चेलेंज दे रखा है। इसलिये वहां की व्यवस्था पुलिस पर है। इस चीज को पुलिस के नोटिस में लाया गया। मैं समझता हूं कि शायद यह बात मेरे भाई को भली भांति मालूम ही है। पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और ३२६ में चालान किया जो जेर-तजबीज है। उसी तरह से १०७ की भी कार्यवाही भी जेर-तजबीज है। इसलिये यह कहना कि पुलिस ने इस संबन्ध में कुछ नहीं किया यह बिल्कुल गलत है।

एक माननीय सदस्य : उस आदमी को गिरफ्तार किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मामला अदालत में है ।

श्री होतीलाल : Whether he was assisted by the Police or not !

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अदालत की बात है । इसी तरह से शिवचन्द सुनार का केस है । उसको पुलिस ने पकड़ा और उसकी मृत्यु हो गई । उसके बारे में मजिस्ट्रेट ने माना है कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है । मुझे भी यह कहा गया कि इसमें सही तरीके से जांच नहीं हो रही है । हमने मजिस्ट्रेट से सारी प्रोसीडिंग मंगाई। इसी तरह से एक मामले में एडीशनल सेशन जज ने कुछ ऑर्डर पास किया उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस वालों का भी उस मामले में हाथ था। उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि स्टेट बनाम झूमरलाल के मामले में एडीशनल सेशन जज ने दिसम्बर १६५७ को एक फैसला दिया है उस जजमेंट की कोपी हमने मंगाई है। वह हमारे पास आ गई है। उसमें एक आध सेन्टेन्स ऐसा मिलता है जिसमें कांग्रेस का कुछ जिक्र है । उसके संबन्ध में जांच की जा रही है । जांच करने के बाद जो जुर्म बनेगा वैसी कार्यवाही की जाएगी । मगर अभी तो उस फैसले की अपील हाई कोर्ट में है और अभी हाई कोर्ट से उसका फैसला नहीं हुआ है । केस पेन्डिग है । इसी तरह से कई छोटी छोटी बातें हैं । क्योंकि समय कम है इसलिये इतना ही कह कर समाप्त करता हूं ।

३.१५. म.प.

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, इस बार सदन में जिस प्रकार आम तौर से होता है उससे ज्यादा व्यक्तिगत आक्षेपों का तरीका रहा है और कई महानुभावों को जैसा उचित लगा उन्होंने यहां पर कहना ठीक समझा । कुछ मामलों में तो यहां बैठे हुए हमारे साथियों ने कई बातों पर प्रकाश डाला है लेकिन मैं कहां से शुरू करूं, मैं सोच रहा था । लेकिन खयाल होता है कि जिस बात पर सबसे ज्यादा कुछ माननीय सदस्यों को दिलचस्पी बनी हुई है और काफी कटाक्ष के तरीकों से कहा गया है वह प्रश्न खवेड़ा का था, जिसके बारे में काफी चर्चा की गई । इसलिये मैं खास कर इस विषय में बात करूं ।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह सारा केस क्या है, जो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं । इस केस का आधार खवेड़ा का जागीरदार है । जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स से रिलीज किया गया और उसके बाद उसकी एक मदर है जो इस बात की पैरवी करती रही कि उनको खानगी ज्यादा दी जानी चाहिये । दूसरी यह कार्यवाही कि जागीर में जो कर्जा है वह जो रुपया पहले से जमा है उसमें से चुकाया जाना चाहिये । यह माजी की तरफ से कार्यवाही होती थी । कोई वकील उस तरफ से कार्यवाही करते थे और ठाकुर की तरफ से यह कार्यवाही की जा रही थी कि जो रुपया उनके फादर के वक्त से दो लाख के आसपास जमा है, वह उसको लौटा दिया जाए क्योंकि उनका वह हकदार है और कोर्ट ओफ वार्ड उस पर से हटा दिया गया है । दूसरा यह ऐतराज था कि माजी को जो खानगी दी जा रही है (मेन्टीनेन्स एलाउन्स) वह बढ़ाया नहीं जाए । यह केस काफी अर्से तक चलता रहा । खेतसिंहजी की चिट्ठी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का जो जिक्र किया जाता है वह १६-२-५३ की है। उस १६-२-५३ को मैंने सुना कि बाबूजी वे ही हो सकते हैं जिसके पास वह फाइल हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह फाइल रेवेन्यु सेक्रेट्री के पास थी और वह अप्रेल महीने तक उनके पास थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर बाबूजी का मतलब रेवेन्यू सेक्रेट्री से नहीं है वह मेरे से है, मैं ही बाबूजी हूं, मुझे बाबूजी कहा जाता है और मैं उससे अलग होने की बात नहीं कहता। वह केस आगे जब चलता है रेवेन्यु सेक्रेट्री सुनता है। पहले उसको श्यामलालजी और उसके बाद एल० एल० जोशी उस केस को सुनते हैं और सुनने के बाद उन्होंने अपनी राय भेज दी और उसके बाद एक आदेश दिया गया जो आदेश मई में है। (विराम)

१६-५-५३ को आर्डर दिया जाता है

और २६. ५. ५३ को ऑर्डर दिया जाता है उसके पहले मैं आप महानुभावों की याददाश्त को ताजी कर दूं कि खेतसिंह जी टाकुर की तरफ से पैरवी करते हैं कि उनको मेन्टीनेन्स अलाउन्स नहीं मिलना चाहिए और रुपया टाकुर को मिल जाना चाहिए। अब मैं आपको वह आदेश सुनाना चाहता हूं जो दिया गया था; वह यह था :

"I am directed to convey sanction of the Government to raise the maintenance allowance of Maji of Khawera from Rs. 300/- to Rs. 400/-per month for the present and to request you kindly to ask the Jagirdar Khawera to pay the amount regularly, along with arrears in lump sum through the Collector, Pali. The Jagirdar may also be asked to construct a Chatri in memory of late Thakur of Khawera as undertaken by him. I am further directed to request you to ask the sub-Divisional officer concerned to conduct an enquiry regarding debts of Maji and express his opinion about the legitimate amount payable on account of debts incurred by her after carefully going into the question of each item of her debts and taking necesssary evidence. The S. D. O. may also be asked to examine the income accrued from the eight wells and to submit his reports within three months to the Collector who should appraise the parties of the findings, her objections and submit the proposals in due course."

यह आर्डर होता है उस लेटर की तारीख के तीन महिने बाद। जो स्पष्टतया टाकुर चाहते थे उसकी इच्छा के विपरीत है। रुपया चाहते थे तुरन्त, कर्जा कितना चुकाया जाय उसके ऑर्डर्स हैं। वे चाहते थे कि खानगी न बढ़े, लेकिन खानगी बढ़ाई गई। इससे मैं समझता हूं कि एक बात बहुत स्पष्ट होती है। इसके बाद यह जब ऑर्डर दिया तो टाकुर की तरफ से, जिनके कि वकील खेतसिंह जी थे, उनकी तरफ से १६. ७. ५३ को एक पिटीशन मेरे पास फिर वे लाते हैं। जिसके अन्दर वे ऑब्जेक्ट करते हैं इस बात को और ऑब्जेक्ट करने में वे कहते हैं :

"that in the first place it is respectfully submitted that there is no provision in Tenancy or Revenue Land Act vesting powers

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

to the Government or raising maintenance payable to . . . . . and other dependents of the deceased Jagirdar under the Marwar Act, 1954 authorising the Government to determine suitable maintenance allowance for the . . . . . and other dependents of the . . . . when only a grant is resumed by issuing . . . .

by way of resorting to competent civil court. The Government cannot errogate to itself the powers and functions of a Civil Court and Civil Courts and in this the whole ultravires of the Government orders . . . . . ."

मतलब वे अल्ट्रावायर्स आॅर्डर कहते थे, जो मेरे द्वारा २९. ५. ५३ को दिये गये थे। उससे और मालूम पड़ा है कि उस आॅर्डर को खेतसिंहजी और उनकी पार्टी ने किस लाइट में लिया, यह मैंने आपके सामने रखना पसन्द किया। उसके बाद जो बातें यहां पर रखी गई उसके मामले में बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। मैं एक बात और आगे कहना चाहूंगा। इतना होने के बाद उन्होंने रेवेन्यु बोर्ड में एप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार रोक होने से और रोका है, तो अदालतों में आगे कार्यवाही करेंगे इसलिए इसका जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिये।

फिर उसके बाद रेवेन्यु बोर्ड ने अपनी तरफ से लिख कर गवर्नमेण्ट को भेजा जिसके अन्दर रेवेन्यु बोर्ड ने यह कहा कि जिस जागीर को एक बार जब्ती से अलग कर दिया जाता है उसका रुपया नहीं रोका जाता है और गवर्नमेंट ने यह एक्शन जो ले रखा है वाजिब नहीं है और इमिजियेटली रुपया लौटाया जाना चाहिये। जब रेवेन्यु बोर्ड से यह लिखा हुआ आया तो गवनमेण्ट ने आॅर्डर्स दिये कि वे जो एक्शन लेना चाहें ले सकते हैं। रेवेन्यु बोर्ड का ३ जुलाई, १९५३ का लेटर आया उसको मैं बताना चाहता हूं :

"I am directed to say that when the Thikana has been released from the management of the Court of Wards, payment of savings to the Jagirdar who is legal... appointing unless Government has reasons to the contrary. The only course open to the creditors is to resort to Civil Courts. Earlier instructions may kindly be conveyed in the matter to avoid complications".

यह जो लेटर वहां रेवेन्यू बोर्ड से आया तो गवर्नमेन्ट द्वारा उस अमाउन्ट को देने के इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू किये गये। खेतसिंहजी और रोशनलाल जी से, मैं यह नहीं कहना चाहता कि जान पहिचान नहीं थी, जान पहिचान खेतसिंह जी और रोशनलाल जी से थी, मैं नहीं कहना चाहता कि यह गलत है। रोशनलाल जी से जान-पहिचान थी और है, नजदीकी है, इससे मैंने इन्कार नहीं किया और नहीं करता हूं। उन्होंने जो लेटर लिखा, कहते हैं वह उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यदि उसके इम्पलीकेशन्स हो सकते हैं, दर असल वह लेटर गया है, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? यदि रिज़ल्ट हुए हैं तो एडवर्स हुए हैं। क्योंकि खेतसिंह जी प्लीड कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, उसके अगेन्स्ट में डिसीजन हुआ। उसके बाद मैं आशा करता था

Page No.85

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि जो माननीय सदस्य इस विवाद को यहां रख रहे थे, अपनी स्पीच को जिम्मेदारी और गहराई रख कर करते हैं, जानकारी कर सकते थे। एक उधर से माननीय सदस्य ने काफी तेजी से कहा और कटाक्ष किये हैं। आज नो कॉन्फिडेन्स मोशन लायें, कुछ लायें, बहुमत हो या न हो, मेरे इन्डीविजुअल के बारे में किसी को डाउट है तो मैं एक दिन के लिए भी इस जगह बैठना पसन्द नहीं करूंगा।

(करतल-ध्वनि)

मैंने सरकार में काम किया है, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, दस साल मैंने मिनिस्टरी की है, मेवाड़ के वक्त से पुराने और इस राजस्थान में, थोड़ी बहुत इज्जत हम भी रखते हैं। आप टीका कीजिये, आपको भी अधिकार है। मुझसे काम पड़ा होगा, सैकड़ों जागीरदारों का मैंने लाखों रुपये के कम्पन्सेशन के मामलों को डील किया है, कई सवालात मेरे सामने आये थे, लेकिन एक नहीं कह सकता कि मैंने बारगेन किया है, पैसे लेने की बात की है। आज आप यहां बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं, इसलिए चाहे आप द्वारा आक्षेप किये जांय, चूंकि यहां बैठे हैं, इसलिए हमें सुनना चाहिये, माफ कीजिये, हमारे दिलों पर भी असर हो सकता है।

नाथद्वारे का प्रश्न लेकर माननीय सदस्य ने जोरों से कटाक्ष किये कि इस तारीख को मुख्य मंत्री जा रहे हैं, १॥ करोड़ का खजाना मिला है, घोटाला हो गया। मैं २४ तारीख को वहां गया, मैं नाथद्वारे में था। नाथद्वारा कोई विलायत में नहीं है, वह मेरी जन्म-भूमि है। मैं वहां गया, ४० वर्ष से जब से पैदा हुआ वहां जाता-आता रहा हूं। नाथद्वारा है इसलिए जाता हूं। मुझे अफसोस है अध्यक्ष महोदय, बातचीत में कटाक्ष करना चाहते हैं। मदर मेरी वहां पर है, वह धर्म में निष्ठा रख कर वहां रहती हैं, प्रतिष्ठा का स्थान है, वह वहां रहती हैं, वृद्धा हैं, वहां मंदिर की सेवा में रहती हैं। लेकिन यही बहस करने का स्तर है, चूंकि वह वहां रहती है इसलिए खजाना गड़बड़ हो गया। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि कमेटी ने बनने के बाद क्या किया है? पहले, क्षमा करें, एक एग्ज़ीक्युटिव ओफिस, ऑर्डिनरी एग्जीक्युटिव ओफिसर, रहा करता था। आज वहां पर एग्जीक्युटिव ऑफिसर ओर्डिनरी नहीं है, किन्तु रिटायर्ड चेयरमेन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राव साहब श्री केसरीसिंहजी राणावत एक्जीक्युटिव ओफिसर हैं। वे डील करते हैं, जिनके सामने खुलवाया गया, पहले सील नहीं खुलवायी गई। उन्हीं की तरफ से इनीशियेटिव लिया गया, उसके बाद कहा जाता है कि इस प्रकार हुआ। केसरीसिंह जी और महाराज और मैं मीटिंग करके खजाने को इधर उधर करने जा रहे थे।

बड़ी अजीब तरह से सारी बातों को रखा जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे कहीं ईमामदारी है तो उन्हीं में है, दूसरे आदमियों में नहीं। नाथद्वारे का जिक्र करते हुए माननीय सदस्य ने जिस ओर से भाषण दिया, मालूम ऐसा हो रहा था कि सारी गलती जैसे मेरी ही है। मैं आपसे निवेदन करूं, जहां तक कहां के फन्डस् का सवाल है उसके बारे में वैष्णव कमेटी ने फेसला किया है कि उसमें से ६६ हजार रुपया महाराज को दे दिया जावे, उस फैसले से साफ साबित होता है कि उस फन्ड पर पूरा कन्ट्रोल उस वैष्णव कमेटी का है...

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री को मैं बता दूं कि जिस वैष्णव कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं उस कमेटी के अध्यक्ष ने इसके प्रोटेस्ट में अपना रेज़िग्नेशन भारत के प्रधान मंत्री के पास भेजा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : (जारी रखते हुए) पहले तो मैं आपसे निवेदन कर दूं उस वैष्णव कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वे खुद महाराज ही हैं। दूसरें श्री कृष्णदास ठाकरसी जो इस कमेटी के वाइस चेयरमेन हैं उन्हीं के दस्तखतों से स्टेटमेन्ट किया गया है और मैं आपको एक बात बताऊं; जनवरी में वहां पर इस कमेटी की मीटिंग हुई उस कमेटी के अन्दर जो लोग उपस्थित थे, उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूं जिससे आपको अन्दाज हो सकता है कि किन किन लोगों ने यह फैसला किया :

श्री कृष्णदास ठाकरसी, he was present in the meeting

श्री बृजलाल बिशनलाल जी

श्री एस० डी० उज्ज्वल

श्री शम्भूलाल बालाभाई

श्री पुरुषोत्तम

श्री चतुर्भुज भाटिया ये और श्री महाराज चेयरमेन।

इस प्रकार मेरे खयाल से ११ आदमियों की कमेटी होती है, इनमें से ये लोग वहां पर मौजूद थे उनकी मौजूदगी में एकमत से, यूनेनिमसली यह फैसला किया गया। हमने उसमें क्या कुछ किया, यह भी मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूँ। मैंने कमिश्नर से चला कर कहा था कि आप उस मीटिंग में जिस तरह से भी हो सके इस बारे में कोस कीजिये और कोस किया गया। जब स्टेटमेन्ट निकला उसके बाद भी कमिश्नर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनके कोस के बावजूद जो कुछ भी स्टेटमेन्ट निकला उससे कमेटी के मेम्बर्स सब सन्तुष्ट थे। उनके कोस करने के बाद we are fully satisfied और इस प्रकार का स्टेटमेन्ट इश्यू किया गया।

हो सकता है जैसा कि कहा गया महाराज ने गलती की हो, किसी और ने गलती की हो; लेकिन मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे उसमें इन्वोल्व होते हैं। क्या इसलिये कि मैं २४ तारीख को वहां गया और महाराज से मिला ? यह तथ्य सही है कि मैं २४ तारीख को वहां था और महाराज से भी मिला, लेकिन सदन की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन कर दूं कि महाराज से मिलने के वक्त मेरे साथ इस कमेटी के दो चार आदमी भी साथ थे। यह भी हो सकता है और हुआ कि मैं पांच-दस मिनिट के लिये अलग से भी मिला हूं किन्तु उस पर यह कह देना कि दो घंटे तक महाराज और मैं क्लोज़्ड रहे बिल्कुल असत्य है। अकेले में भी मैंने महाराज से बात की है, लेकिन मेरे साथ दो लोकल मेम्बर्स भी साथ थे। पांच-दस मिमिट के लिये इधर उधर जाने पर भी कहा जाय कि घंटों तक हम अलग रहे। तीन तारीख को फिर गया, इस तीन तारीख को छोड़ कर मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि २४ तारीख के बाद एक मिनिट के लिये भी मैं नाथद्वारा नहीं गया। जो कुछ फेक्ट्स आपके पास हों, जो आधार हों उसी पर आप कहें तो वह ठीक होता है, सारी चीजों को इधर उधर जोड़ कर कहना वाजिब नहीं है। लेकिन किसी भी बात को, जिसके फेक्ट्स आपको मालूम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं, बढ़ा-चढ़ा कर कहने का प्रयत्न करना कि ऐसा गजब हो गया, ठीक नहीं है। मैंने सदन के सामने जो तथ्य थे वे सही रूप में रख दिये हैं। माननीय महानुभावों को सारी हालत से जानकारी हो गई होगी।

इसके अलावा और भी कई विषय चर्चा में आये, उन विषयों में मैंने देखा बड़े सवालात जो हैं उसकी ओर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। आज जिस बात का प्रयत्न हुआ वह मुझे मालूम था कि इस बात का प्रयत्न चल रहा है, जिसका स्वरूप आज हमारे सामने आया। जिन लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारणों को बताते हुए कहा है कि करप्शन और फेवरटिज़्म शासन में बढ़ रहा है, इस वजह से वे इस सरकार को पसन्द नहीं करते। आप पसन्द नहीं करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं और आप पसन्द कर भी नहीं सकते। हमारे जन संघी प्रतिनिधि तो खास तौर से उदयपुर डिवीजन से असन्तुष्ट और नाराज से ही है। पहले जहां वे जन संघ को ताकतवर समझते थे पिछले दिनों वहां जन संघ साफ हो गया, वहां से उनका एक भी प्रतिनिधि चुनाव में नहीं आ सका। सन् ५१ के चुनावों में जो ताकत उनकी उधर थी विरोधियों की जो संख्या ज्यादा थी इस बार उनकी संख्या बहुत ही घट गई और आने वाले चुनावों में उनकी क्या स्थिति होगी: यह तो जमाना ही बतायेगा। उनको नाराजी हो सकती है, वे नाराजी को इस तरह प्रदर्शित करना चाहते हैं, करें शौक से विरोध कीजिये, आपको जो कुछ कहना है कहिये, हम यहां सुनने के लिये आये हैं सुनेंगे। आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो कुछ भी कहने के लिये कहिये। मैंने भी राजस्थान के अन्दर कुछ सेवायें की हैं, सेवा करते हुए भी कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है, कुछ मेरे विरोधी भाई नाराज भी हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिये मेरे पास क्या दल है। यह उनका अधिकार है, वे नाराज हो सकते हैं।

इस प्रकार की चर्चा करते हुए और भी बातें सामने आयीं, उन सब को मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक सवाल आया सन्जाइज़ डिपार्टमेंट के बारे में। एक माननीय सदस्य जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने इस प्रकार की बात रखी। जहां तक मैं समझता हूं पार्लियामेन्टरी कनवेन्शन के लिहाज से और हमारे रूल्स के लिहाज से जो सदस्य पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का मेम्बर होता है उसको जो सूचनायें पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में मिलती हैं उनको डिसक्लोज न किया जाय....

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी के लिये बता दूं, जिस चीज का मैंने उल्लेख किया है वह आडिट रिपोर्ट में आ चुकी है। मैंने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की एक भी जानकारी को सदन के सामने नहीं रखा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी रखते हुये) क्योंकि आप वहां पर हैं, इस लिये कि आपको उस मामले पर निर्णय लेना है, अगर आप उसी मामले पर यहां अलग राय जाहिर करते हैं तो वह उचित नहीं होता। आपके पास सारे पेपर्स और जो भी फेक्ट्स होते हैं वे सब रखे जाते हैं, वह जगह है आपके लिये इस संबन्ध में राय जाहिर करने की,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वहां कर सकते है। फिर भी मैं इस विषय पर इस मौके पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने प्रस्तुत है। फिर भी मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कहा गया कि ७ रू० १ आने के बजाय ५ रू० १० आने में यह बिका, उसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि उस समय जो मौके पर ऑक्शन किया गया था उस ऑक्शन के अन्दर तीन रूपये छ आने की भी रेट कोट की थी, फिर भी उसके मुकाबिले में कोशिश की गई और पांच रूपये १० आने में डिस्पोज़ ऑफ किया। यह केवल मैने इसलिये निवेदन कर दिया कि इस बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी माननीय सदस्यों में न रह जाय, बाकी जहां तक विस्तार का सवाल है, फेक्ट्स का सवाल है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने है और वह उसको देख रही है तो इस पर यह मौका भी नहीं कि मैं इस पर और ज्यादा प्रकाश डालूं।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि एक कांग्रेस के आदमी को तीन पत्नियों के नाम से लोन दे दिया गया...

राजा श्री मानसिंह : Three loans for three wives in the same house.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं कि श्री महेशचन्द्र भारतीया को कुल मिलाकर साढ़े सात हजार का लोन मिला है, यह फेक्ट है; दूसरी महिला श्रीमती मालती देवी हैं उनको लोन मिला है ३७५० जो उनकी पत्नी नहीं उनकी साली होती हैं।

राजा श्री मानसिंह : That may be another question, but where has the loan been spent ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) उनको लोन दिया गया। इन दोनों लोनों के मामले में मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि शायद यह श्रीमानसिंहजी के द्वारा सर्टिफाइड थे।

(करतल-ध्वनि)

श्री चन्दनमल वैद : सर्टिफाइड करना जुर्म तो नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैंने नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि इसलिये उनको वाजिब मिला। इतने रेस्पोन्सिबिल आदमी ने सर्टीफाइ किया तो वह वाजिब ही मिला। मैं गैर-वाजिब के लिये नहीं कहता।

तो तीसरी श्रीमती राजवती हैं जो उनकी वाइफ हैं। उनको ४८००) का लोन सैंक्शन हो गया, पर इसके बाद कलेक्टर ने इसको रोक दिया।

एक और हैं श्रीमती सूरजवती। जो उनकी भाभी होती हैं। उनको ५०००) का लोन दिया गया। ये फेक्ट्स हैं सारे लोनों के बारे में जो मैंने आपको अर्ज किया। वह तीन वाइफ वाली बात मैं समझता हूं उचित नहीं होगी।

राजा श्री मानसिंह : How many houses have been made.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Different houses of course. Shrimati Rajvati has one house, while Shri

Page No.89

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
Mahesh Chandra and Shrimati Maltidevi are living in a house separated only by a verandah.

(हंसी)

अब हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने खादी के बारे में बड़ी नाराजगी प्रकट की अपने भाषण में, डेढ़ साल पहले माननीय सदस्य स्वयं पहनने लग गये थे।

राजा श्री मानसिंह : I have been wearing it for the last 20 years.

श्री तनसिंह : On a point of information, Sir, has the leader of the opposition been recognised by the Hon. Chief Minister !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : He sits like that.

तो उन्होंने खादी का बड़ा विरोध किया जोर शोर से।

वे तो बहुत सिद्धान्त वाले आदमी हैं जैसा कि उनकी बातों से और व्यवहार से मालूम पड़ता है। पर वे कुछ अरसे पहले कांग्रेसी भी बने थे और खादी भी पहनी थी।

राजा श्री मानसिंह : I am wearing Khadi for the Last 20 years

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खादी नहीं पहनी।

राजा श्री मानसिंह : I have been wearing it for the last 20 years. But they should not get Government subsidy; I oppose that.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर भी आप खादी का विरोध करते हैं। इसके विषय में फिर मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये तो व्यक्तिगत विचारधाराएं हो सकती हैं।

बीकानेर से आने वालों की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया। वे सोशलिस्ट हैं और सोशलिस्ट मूलतः इस बात में मशीन के विरोधी नहीं होते कि अगर उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, देश की सम्पत्ति का विकास हो सकता है तो मशीन द्वारा भी विकास किया जाना चाहिये। लेकिन उन्होंने जावर में जो माइन चलती है उसके बारे में यह कहा कि वे मशीन के विरोधी हैं वहां लगाने के। मैं उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मुरलीधर व्यास : जो मजदूरों को बेकार करती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी मैं कह रहा हूं। मैं पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक शीशे, जस्ता और चांदी की बहुत बड़ी खान है। उसके पत्थरों को हथोड़ों से और फावड़ों से तोड़ना कितना मुश्किल है, यह अगर आपने आंखों से देखा होता तो अन्दाज हो जाता। पर दूसरी तरफ वे शायद इस बात को नहीं जानते कि कोई भी इन्डस्ट्री तभी चल सकती है जब कम्पीटीटिवली (competitively) वह दूसरे के मुकाबले में टिक सके। हाथ से आप उसे तोड़ कर, उसके एक एक पत्थर के टुकड़े को हथोड़ों व से फावड़ों से व तोड़ कर दूसरे देशों का, जिनकी माइनें वैल मैकेनाइज़्ड हैं, जापान आदि उन दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर सकेंगे, यह असम्भव है। इसके बजाय तो यह ज्यादा ठीक होगा कि आपकी बात मानें, तो उस माइन को ही बन्द कर दी जाय, यह निर्णय कर लेना चाहिये और इसके बजाय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक रिलीफ वर्क पास में शुरू कर देना...

श्री मुरलीधर व्यास : कॉटेज इन्डस्ट्री के तौर पर चला सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह कॉटेज इन्डस्ट्री नहीं है। यह basic heavy Industry है।

(हंसी)

एक कॉटेज इन्डस्ट्री चलाना और बेसिक हैवी इन्डस्ट्री को चलाने में अन्तर है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं ....

श्री मुरलीधर व्यास : आर्थिक मुकाबले में टिक नहीं सकती।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पर कॉटेज इन्डस्ट्री जस्ता, चांदी और शीशा निकलने की है ही नहीं। यह तो हिन्दुस्तान भर की बड़ी बड़ी बेसिक इन्डस्ट्रीज़ में से एक है। इसलिये इसकी वजह से इसके बन्द होने का सवाल नहीं आता। इतना हो सकता है कि अगर इसे मैकेनाइज्ड न करें और फावड़ों से चलाएं तो यह बन्द हो सकती है, इसके सिवाय दूसरा परिणाम नहीं आने का है।

श्री मुरलीधर व्यास : एक हजार मजदूर कम हो गये हैं इससे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात भी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जामसर में आप देखें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो रेते की तरह की खदान है। उसमें और इसमें अन्तर पड़ जाता है; स्मैल्टिंग साइड की पोजीशन और है। तो मैं कह रहा था कि यह एक बेसिक हैवी इन्डस्ट्री है और इसको फुल्ली मैकेनाइज्ड करके ही हम प्रगति कर सकते हैं।

अब उन्हीं महानुभाव ने और भी बहुत सी बातें कहीं। मेरे एक कम ज्ञान वाले रिश्तेदार को संगीत नाट्य एकेडेमी में रख दिया है। इस बारे में अधिक नहीं कह कर मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि नाट्य सिखाने वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति हमें जल्दी में उपलब्ध नहीं था इसलिये तीन महीने के लिये उनको रक्खा है और मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगर कोई जानकार हैं तो चार आदमी और जानकारी कर लें कि भारत नाट्यम् में वे निपुण हैं। वे कितना जानते हैं, कितना पक्षपात है, कितना वे डिज़र्व करते हैं। यह मैं स्पष्टतया कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : जो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है उसमें कत्थक डांस की उनको जानकारी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भारत नाट्यम् है, वे कत्थक भी सिखा सकते है, यह आपको पता नहीं। एक निवेदन मैं और करूं इस मामले में कि और भी जानकारी की जा सकती है।

लोन्स का मामला आता है और कई मामले आते हैं, इन पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से कि कई कांग्रेस मैन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, मिनिस्टरों के रिश्तेदार हैं, कई औरों के रिश्तेदार हैं, वे आम लोगों के अन्दर हैं, अब उनके रिश्तेदार होने से ही वे किसी अपने अधिकारों से वन्चित तो नहीं हो जाते।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अपने अधिकार की कोई चीज नहीं ले सकते, कोई लोन, जो आम जनता ले सकती है वह वे नहीं ले सकते। यह मैं सोच सकता हूं, और समझ भी सकता हूं कि मिनिस्टर कोई सैंक्शनिंग ओथोरिटी हो और वह स्वयं उससे लाभ ले लें। पर एक आदमी मिनिस्टर है या कोई कांग्रेस मैन है तो उनके जितने रिश्तेदार हैं उनकी सब ओपोर्चुनिटी बन्द है। कहीं पर कोई अगर आ गया या किसी को कुछ प्रिफरेंस वे में मिल गया तो सब पक्षपात हो गया। यह बात समझ में नहीं आती।

अब भीलवाड़े के बारे में सवाल किया गया, उनकी जानकारी वहां से आने वाले माननीय सदस्य ने दे दी।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह दीजिए कि अल्प बचत योजना में कोई लोन नहीं मिलता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें तो लोन गवर्नमेन्ट लेती है।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : अल्प वेतन योजना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता था कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट के बारे में हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां यह एक्ट नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५६ तक मिनिमम वेजेज़ एक्ट राजस्थान में था। सन् १९५६ में हाई कोर्ट में कुछ केसेज़ लोग लेकर गये और हाई कोर्ट ने तब उसको अल्ट्रावायर्स डिक्लेअर कर दिया, जो रूल्स राजस्थान सरकार ने बनाये थे उनको कुछ रीजन्स की वजह से। इसके बाद हम लोगों ने यहां से भारत सरकार को लिखा क्योंकि उस वक्त तक एक्सटेन्ड करने की डेट एक्सपायर हो गई थी कि स्पेशल ऑर्डिनेन्स इसके लिये इश्यू कर दिया जावे। इसलिये इसके लिये स्पेशल प्रोवीजन न हो तब तक सरकार नहीं कर सकती थी। अन्त में भारत सरकार को हमने मूव किया था, इनकी तरफ से यह कहा गया कि पार्लियामेंट में अमेन्डमेन्ट आ रहा है, उसकी लाइट में ऑर्डिनेन्स पास करना ठीक नहीं समझेंगे। इसके बाद अमेन्डमेन्ट पास कर दिया गया। इसके बाद की मैं समझता हूं कि सदस्यों को जानकारी होगी, पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि दिसम्बर के अन्दर राजस्थान गजट में मिनिमम वेजेज़ के बारे में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया जा चुका है जिसके जरिये कई केटेगरीज़ के लिये मिनिमम वेजेज़ फिक्स किये गये हैं और उन पर ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये हैं। तीन महीने का पीरियड दिया गया है और वह पीरियड खत्म होने के बाद उसे लागू कर दिया जावेगा।

एक बात यहां पर पलाना के बारे में, लिगनाइट के बारे में कहा गया कि प्रोडक्शन बढ़ गया, चार हजार बढ़ गया पर ज्यादा होना चाहिये। दो हजार से चार हजार बढ़ गया तो क्या बड़ा अन्तर पड़ गया? इस तरह से काफी वेस्ट जाता है लिगनाइट, इसलिये उसके लिये ओपन कास्ट माइन होनी चाहिये। मैं उनके इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं और इस लिहाज से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कहने के बाद नहीं, पर जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही थी, उस पर डिसीज़न लिये जा रहे थे तभी हमने प्लानिंग कमीशन पर इसके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिये जोर दिया था कि इसे ओपन कास्ट माइन बनाने के लिये कम से कम हमें दे करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये। इसके लिये यहां से प्रोपोज़ल भेजे गये थे और उनको डिस्कस भी किया गया था। इसकी भी जानकारी कुछ सदस्यों को होगी। उसके बाद बराबर हम गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया को लिखते रहे। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने यह कहा कि उचित होगा कि इस काम के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम आये जो यहां आकर सारी चीजों को एग्ज़ामिन करे और एग्ज़ामिन करने के बाद में यह रिपोर्ट दे कि किस प्रकार से इस काम को आगे किया जाना है और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेन्ट करना होगा। हमने कहा कि आप टीम को जल्दी से जल्दी भेजें। अभी लेटेस्ट दिसम्बर, ५७ तक पोज़ीशन यह थी कि गर्वनमेन्ट ऑफ इन्डिया ने पूछा कि फोरिन एक्सपर्ट्स को अगर एम्प्लॉय करें तो क्या राजस्थान गवर्नमेन्ट उसकी कॉस्ट बेयर करने को तैयार होगी। हमने कहा कि अगर आप किसी फोरिन एक्सपर्ट को भेजना चाहते हैं तो भेजो और हम उसकी कॉस्ट बेयर करने को तैयार हैं। क्योंकि हमने सोचा कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जो इन चीजों के डेवलपमेंट के ऊपर पैसा होगा उसमें से पे कर देंगें। अब उनके वहां से कौन फोरिन एक्सपर्ट आयेगा, उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। लेकिन उस मामले में गवर्नमेन्ट लेवल पर किसी प्रकार की शिथिलता आई हो तो इसका प्रश्न ही नहीं है। जिस प्रकार से आज वहां माइनिंग हुआ है अगर ओपिन कोस्ट माइनिंग होता है तो जो हमारा बहुत सा वेस्ट जाता है वह ज्यादा यूज़ कर सकते हैं, उस फोरिन एक्सपर्ट की राय से। लेकिन आज प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही ऐसी स्कीमें सैंक्शन हो सकती हैं। अगर हम किसी चीज को हाथ में लें या नहीं, इस तरह की स्कीमें प्लानिंग कमीशन की राय से ही हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी ही इस बात का निर्णय आ जायेगा।

एम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी यहां पर प्रश्न उठा। अनएम्पलायमेंट बढ़ा है तो वह कितना बढ़ा है और कितना नहीं बढ़ा, ये सारी बातें अभी सामने आईं। यह ठीक बात है कि आज राजस्थान ही नहीं सारे कन्ट्री के अन्दर कोई भी स्टेट नहीं बता सकती कि उनके यहां पर कितने आदमी अनएम्पलॉइड हैं, यह बताना वास्तव में बहुत मुश्किल है। इसके लिए सैम्पल सर्वे होता है जो कि अलग अलग जगह किया जाता है और उसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार होती है। हम भी इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं जिससे कि हमें कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान के अन्दर आज गवर्नमेंन्ट के एम्प्लॉयमेंट में फाइव इयर प्लान की वजह से या और दूसरी वजह से इस दशा में एक अन्तर पड़ता चला जा रहा है। इसके बारे में जो हमने फिगर्स मांगे उसके देखने से पता चलता है कि सन् १९५१-५२ में कुल मिला कर १, १०, ४१९ गवर्नमेन्ट एम्प्लॉई थे और आज सन् १९५७-५८ में यह १, ५४, ००३ हो गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि करीब ४४, ००० नये हैंड्स को काम मिला। यह तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात है। लेकिन इन्डस्ट्रियल सेक्टर में, मिनरल सेक्टर मे और दूसरे जो कामकाज चलते हैं, हम लो हाउसिंग स्कीम में लोन देते हैं, जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

डेवलपमेंट का काम होता है, उससे सैकड़ों-हजारों आदमियों को बराबर एम्प्लॉयमेंट मिलता हुआ चला जाता है। इसका सबसे पहला टैस्ट मैं समझता हूँ यह हो सकता है कि आज से कुछ दिनों पहले जो मजदूर आम तौर से हमें ८ आने और १० आने में मिलते थे आज मार्केट की प्राइसेज़ को ख्याल में रखते हुए कि आज प्राइसेज़ में इतना इन्क्रीज़ हुआ है, कुल मिला कर स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बैटर हुआ है और वही मजदूर आज दो-दो रुपये और कहीं तो इससे भी ज्यादा में मिलते हैं। इसके बाद एजुकेटेड अनएम्पलॉयमेंट के बारे में काफी चर्चा हुई। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कुछ जिले ऐसे आज भी हैं कि जिनके अन्दर हम टीचर्स चाहते हैं और टीचर्स की आज भी जरूरत है। मैट्रीकुलेट्स टीचर्स का आज भी अभाव है। कई जिलों में टीचर्स लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हो सकता है कि कुछ आदमी शहरों की वजह से गांवों में जाना पसंद नहीं करते हों। लेकिन एम्पलॉयमेंट की ऑपुर्चुनिटी गांवों के अन्दर अभी भी है। टीचर्स की तनख्वाहों के बारे में भी यहां सवालात आये। उसके बारे में मैं बाद में निवेदन करूंगा। एक प्रश्न मुझे अजीब सा लगा। वह यहां चर्चा में आया और काफी उसके ऊपर बहस हुई और खास तौर से हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है यह सब वेस्ट है। अब आप ही देखिये एक स्टेज पर तो कहा कि १०० परसेंट वेस्टेज है और फिर दूसरी स्टेज पर कहते हैं कि ७० परसेंट वेस्टेज है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि प्रश्नों में माननीय सदस्य पूछते हैं कि हमारे यहां ब्लॉक्स क्यों नहीं खुले ? अब यह ब्लॉक्स कहां खोलें और कहां नहीं खोलें, यह तो हमारे लिए परेशानी हो गई, क्योंकि सभी सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में यह ब्लॉक्स खुल जावें और फिर जब कहा कि यह सब वेस्ट है तो मेरी समझ में नहीं आया कि फिर क्यों सब के सब वेस्ट इन्वाइट करते हैं ? मैं आपके सामने इसके बारे में आंकड़े रखूंगा जिससे माननीय सदस्यों को मालूम पड़ेगा कि यह वेस्ट नहीं है। आखिर ब्लॉक्स में क्या चीज वेस्ट जाती है। ब्लॉक्स में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो सी० डी० ब्लॉक्स होते हैं उन ब्लॉक्स में ग्राम सेवक होते हैं। अब उन ग्राम सेवकों को हम वेस्ट तो नहीं कह सकते। ग्राम सेवक होते हैं वे लोगों की कठिनाइयों को दूर करते हैं और उनको कुछ कहते हैं और उनको उत्साह देते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रामसेवक तो झगड़ा करते हैं। मेरे ख्याल से उनके खुद के क्षेत्र में ऐसा हो गया मालूम होता है। लेकिन सभी ग्राम-सेवक तो ऐसे नहीं होते। अब आप देखिये १२ लाख में से २ लाख रुपया तो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है। ४ लाख रुपया खर्च होता है इर्रिगेशन के काम के ऊपर। जो काम इर्रिगेशन में होता था वह श्रमदान के जरिये करवाया जाता है। तो अब आप ही बताओ कि इर्रिगेशन में वेस्ट कैसे हो गया ? एजुकेशन के अन्दर स्कूल खुलते हैं। फिर सोशियल एजुकेशन के लिए १७ हजार रुपया खर्च होता है वह वेस्ट नहीं होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि १ लाख रुपया सिक्कों आदि के बनाने व उनके मरम्मत के अन्दर खर्च होता है। हाउसिंग स्कीम के लिए हम लोन देते हैं २ लाख रुपये का और इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

स्कीम में न केवल गवर्नमेन्ट का ही पैसा बल्कि जो आदमी मकान बनवाता है उसका अपना भी तो रुपया लगता है। तो फिर यह वेस्टेज कैसे होगया ? हां, यह कहा जा सकता है कि, मैं आपसे निवेदन करूं उससे जैसा कि हम सोचते हैं कि जो अपना उद्देश्य है कि सारे गांव अपने पैरों पर खड़े हो जायं और आत्मनिर्भर हो जायें तो इस वातावरण के पैदा करने में जिस हद तक हमें पहुंचना था उस हद तक हम नहीं पहुंच पाये हैं। बस इतना ही तो हो सकता है, मगर यह कह देना जि सब वेस्ट गया, ऐसा नहीं हो सकता। जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते थे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, बाकी काम तो हुआ ही है। अब यह तो सब प्रयत्न हैं। आज कोई व्यवस्था हम कायम कर दें और उससे सारे रिज़ल्ट्स एचीव हो जायेंगे, ऐसा होना तो मुश्किल है। हमने कई बार यह देखा कि एक ब्लॉक के अन्दर तो हमें बड़ा भारी रेस्पोन्स मिला है और एक ब्लॉक ऐसा होता है कि वहां रेस्पोन्स में कमी आती है तो यह तो वहां के एन्वायरन्मेन्ट के ऊपर डिपेन्ड करता है कि वहां की इकोनॉमिक कन्डीशन कैसी है, वहां के सोशियल वर्कर्स किस प्रकार से कम करते हैं ? तो यह तो इन सारी चीजों के ऊपर निर्भर करने वाली बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि ब्लॉक्स के मामले में यह समझना कि सारा रुपया वेस्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। अब प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के बारे में कहा कि उन्होंने भी एक प्रश्न के उत्तर में ऐसा कहा है तो जो उन्होंने कहा है वह भी इसी उद्देश्य से कहा है कि हम जिस उद्देश्य तक पहुंचना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पाये हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट आपको बांट दी गई है। आपने देखा है और असल में उद्देश्य तो यह है कि हम इस बात का प्रयत्न करें कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों के द्वारा और दूसरी संस्थाओं के द्वारा इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया जाय। अब इनको बढ़ाने के बारे में यह सवाल खड़ा होता है। कुछ ने कहा कि नहीं यह होना चाहिए और इसके पहले इसके ऊपर पंचायतों को विचार करना चाहिए। तो मैं इस विषय में आज नहीं आऊंगा क्योंकि इस पंचायत के मामले में तो हम अलग से डिबेट रखना चाहते हैं जिससे अलग अलग सदस्य अपने अपने विचार प्रकट करें।

(४ म० प०)

लेकिन एक प्वाइन्ट और यहां अभी फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा कि एक तरफ तो ४२ लाख की पोपुलेशन हम कहते हैं अकालग्रस्त है, स्केयर्सिटी कन्डीशन्स में हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि १.०५ टैक्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, तो यह कैसे बढ़ गया है ? मैं एक बात साफ साफ करना चाहता हूं कि यह प्रोडक्शन का पोटेन्शियल है। यह पोटेन्शियल हमारे यहां पर क्रियेट हुआ है, आगे के लिए जिसको लेकर बराबर आगे चल सकते हैं।..

श्री पी. के. चोधरी : The question was not for production potential, the question was about yearly production.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is why I am clearing the whole position. वही तो प्लानिंग है जिसको प्रोडक्शन कहते हैं उसके यह फिगर्स नहीं हैं, तो उसका मतलब है...

श्री. पी.के. चौधरी : In Governor's

(श्री पी० के० चौधरी)

Address it has been said that we have achieved the target of additional production of 1.05 lac tons.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एग्ज़ेक्टली वह टर्म ठीक है। वह उसी प्रकार से माना होगा। जो हमने फाइव इयर प्लान में........

श्री पी. के. चौधरी : We shall be glad if it is explained as to what is the yearly production as also what is the amount of actual achievement ?

(४.१ म० प०)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पोटेन्शियल का मतलब यह है कि हमने यहां पर इर्रिगेशन के जरिये जो एक एकड़ जमीन पहले ऐसी थी जिसमें मान लें कि ५ मन पैदा होता है और वहां पर इर्रिगेशन की कोई केनाल पहुंच गई तो यह मानकर चलते हैं कि ५ मन ज्यादा पैदा करने की ताकत बढ़ी है। उसी प्रकार से उस जमीन पर अगर मान लीजिये कि मैन्योर के लिए व्यवस्था हो गई है, बहुत अच्छा सीड सप्लाई किया गया है या और कई ऐसी व्यवस्था हो गई है तो उसका पोटेन्शियल इन्क्रीज़ हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : What....

(राजा श्री मानसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : No cross disucssion. I am just explining the position.

संक्षेप में मैंने आपको बतलाया कि उस दृष्टि से हम उस स्तर पर इस मामले में पहुंचे हैं। पहले साल का, लास्ट इयर, का जो प्रोडक्शन था उसके मुकाबिले में स्केयर्सिटी कन्डीशन्स होते हुए भी यह चीज़ लाये हैं, उसकी वजह यह है। फिर, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यह चीज़ फेक्ट्स और फिगर्स से एस्टेब्लिश्ड है कि सन् ५४–५५ के पहले राजस्थान में हम अनाज इम्पोर्ट करते रहे हैं आम तौर से और सन् ५४–५५ के बाद हमारे एडवर्स सर्कम्स्टान्सेज़ होते हुए भी लास्ट इयर हमारे यहां स्केयर्सिटी कन्डीशन्स कुछ जगह थीं, उसके होते हुए भी करीब ३ लाख टन हमने यहां से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बेलेन्स लेने के बाद सरप्लस एक्सपोर्ट किया है। उससे यह मालूम पड़ता है कि एन. ई. एस. ब्लॉक्स के जरिये, एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिये जो एफर्ट्स किये गये हैं उसका परिणाम है। उन एफर्ट्स और सब चीजों को जाने दें लेकिन यह चीज़ सामने है जिसकी वजह से अनाज बाहर एक्सपोर्ट हुआ। तो मैं समझता हूं कि वह चीज़ राजस्थान और देश के लिए खास तौर से इसमें मेन्शन की गई है जिसके बारे में हम उम्मीद यह करते थे कि देश में जो सबसे बड़ा सवाल है वह राजस्थान में एक अच्छे ढंग से सोल्व हो रहा है तो इसमें उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि माननीय सदस्य भ्रष्टाचार से प्रभावित बहुत हो गये और कन्स्ट्रक्टिव वर्क की बात को भूल गये कि इसके अन्दर न मालूम क्या होगा और क्या नहीं और फिर बहुत सी बातें कहने लगे। एक बड़ी चीज़ यह हुई कि भ्रष्टाचार की बहुत बातें करने के बाद एक बात और शुरू हो गई है और वह क्या शुरू हो गई है कि भ्रष्टाचार के नाम पर कुछ लोग भ्रष्टाचार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करने लगे हैं और वे क्या करने लगे हैं कि बोलो तुम्हारी शिकायत करते हैं वर्ना कुछ न कुछ फैसला करो आपस के अन्दर। ऐसे केसेज़ बहुत कुछ आये हैं, उनका इस सदन में कहना उचित नहीं है। बहुत सी बातें, उनके रिज़ल्ट, हम सोचते हैं कि ठीक दिशा में एचीव कर रहे है, उसके विपरीत भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि शोरगुल के अन्दर इतनी बात कही जाती है कि राजस्थान के अन्दर चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। मैं राजस्थान के अन्दर, यह मानता हूं कि ऑफिसर ज्यादा नहीं तो दूसरी अच्छी अच्छी स्टेटों के मुकाबले के हैं और ईमानदारी के साथ सर्विस करते हैं। यदि हम इस सदन में एक ऐसा वातावरण बनायें उन ऑफिसर्स के लिए, उनकी सर्विसेज़ के लिए तो यह उचित नहीं होगा। इसका रिज़ल्ट यह होगा कि वे इनीशियेटिव नहीं लेंगे। हर चीज़ को इस प्रकार से लेना चाहेंगे तो उसका असर पड़ता है। हमको उनके मोटिव्ज़ को देखना चाहिए, फैक्ट्स को देखना चाहिए। अगर आपके पास कोन्क्रीट बातें हैं तो एक बार नहीं सौ बार कहियेगा, वर्ना उन बातों को कहने की वजह से जो रिज़ल्ट हम एचीव करना चाहते हैं ...

श्री मदनसिंह दांता : इस बात से और क्या बड़ी कोन्क्रीट बात होगी कि ईमानदार नहीं हैं तभी तो बम्बई से बुलाये गये हैं।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि उन्होंने इस लाइन के अन्दर काम किया था, उनको अनुभव था इसलिए बुलाया गया है और अध्यक्ष महोदय, कहने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया है कि भ्रष्टाचार विरोधी महकमें में भ्रष्टाचारी अफसर बिठा दिये गये हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं तो लिमिट हो जहां पर जाकर यह कह सकते हैं कि यहां पर ठीक है, यहां कुछ आशा है। सारी आशा बाकी है तो इसमें है कि दांता ठाकुर साहब को चेयरमैन बना दें, वर्ना ऐसे वेजा ऑफिसर आये हैं।

(हंसी)

कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि 'मुझे सौंप दो तो सारा भ्रष्टाचार भगा दूंगा।' उन्होंने खुद ने ही निवेदन किया कि किसी पुलिस वाले ने रुपये ले लिये तो कान पकड़ कर रुपये वापिस रखवा लिये, लेकिन उसे सज़ा नहीं करवाई।

श्री मदनसिंह दांता (अश्रव्य) :

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे पता नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : उससे रुपये लेने के बाद।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि अच्छा होता आप मुझसे कहते; जैसे कि कई बार कुछ मामलों में कहा करते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : कहा है और आपसे खुद से कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे याद नहीं आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी बात की हम काफी कद्र किया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करते हैं। यह आप दिल में जानते हैं और मैं भी समझता हूं।

उसी प्रकार से पुलिस के मामले में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। हमारे यहां पुलिस के आॅर्गेनाइज़ेशन के बारे में इस प्रकार से कहा गया कि जैसे कि कोई ट्रेड यूनियन का राइट हो उसी प्रकार से राइट क्रियेट हों। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना यहां सदन की बहस के या किसी चीज के, जोधपुर गया था और जो कुछ हमारी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार जो कुछ कर सकते हैं हमने कुछ कदम लिये हैं और उन्हें कुछ रिलीफ देने का प्रयत्न किया है और कुछ बातें सामने आती हैं, और उन्हें कुछ शिकायत होती है, और उनमें सत्यता होती है तो विचार किया जा सकता है। लेकिन जो यह कहना चाहते हैं कि विक्षोभ हो जायगा और इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जायगी, मैं, अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उनको शायद इस बात का ख्याल रख कर चलना होगा कि कुल मिलाकर स्टेट के अन्दर किन चीजों पर जोर देना है और किन चीजों पर नहीं देना। आज मैं समझता हूं कि कहीं भी सारे हिंदुस्तान में आप देखें कि कहीं हिन्दुस्तान की स्टेटों के अन्दर पुलिस का कोई आॅर्गेनाइज़ेशन है।

श्री मुरलीधर व्यास : बिहार में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के अन्दर पेन्डिंग है, गवर्नमेंट ने रिट की है।

कहीं भी इस प्रकार की युनियन बनाने की बात नहीं है। आज कोई युनियन बनाना चाहते हैं तो कई काॅम्प्लीकेशन्स सुरक्षा के खड़े हो जायेंगे, पुलिस वालों के विरोध की बात नहीं आती है। पुलिस वालों को जो सहूलियत दे सकते हैं वह न दें, यह सवाल नहीं आता है। उनकी बातों पर कन्सीडरेशन करके चलते हैं। उनको वाजिब सहूलियतें मिलनी चाहिए लेकिन जो आप कहते हैं उसके अन्दर कुछ आदमी अराजकता से डराने का प्रयत्न करेंगे तो हम लोगों के पास में काॅम्प्लीकेशन्स खड़े हो जायेंगे। सारी फोर्स के अन्दर दिक्कतें पैदा होने की बात आती है। इस तरह की अराजकता की स्पीचेज़ नहीं देनी चाहिए, उन लोगों को इन्स्टीगेट करने के लिए। आप लोगों का यदि यह उद्देश्य है तो वह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सामने समस्या है कि प्लानिंग के लिए फाइनेन्स के रिसोर्सेज़ को डेवलप करें या जिस प्रकार की बातें यहां कही जाती हैं उन बातों के लिए एक्सपेन्डीचर ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करें। एक महानुभाव ने कहा कि फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के बाद में जो कुछ राजस्थान को दिया गया है उससे काफी अच्छी स्थिति हो गई है; तो मैं इस सदन को आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम यह समझें कि फाइनेन्स कमीशन ने जो कुछ दिया है उसकी वजह से राजस्थान के सामने कुछ प्रोब्लम्स नहीं हैं। राजस्थान के सामने फाइनेन्स कमीशन ने, जो हमारी स्थिति डेफिसिट थी अजमेर के आने की वजह से वह दिया है। यह ठीक है कि जो कुछ उन्होंने किया है हम उसके लिए आभारी हैं, लेकिन उसके होने के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बाद भी प्लानिंग के रिसोसेज़ के लिए हमारे सामने जिम्मेदारियां हैं, जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमारी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए। यह समझ कर नहीं चलना चाहिए कि ये सर्विसेज़ आवश्यक हैं और बहुत सा फन्ड है, पैसा है तो उन स्कीम्स को ले सकेंगे। इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहस के दौरान में इस प्रकार की बात आई यहां पर। फिर यहां एक माननीय सदस्य ने पूछा कि केपिटल कमेटी के बारे में जयपुर में केपिटल नहीं रहेगी, ऐसी कुछ अफवाह फैल रही है सो क्या मामला है? इस बारे में मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो समाचार छपे हैं वे क्यों छपे, किस तरह छपे यह मैं नहीं जानता और इस विवाद में भी नहीं पडना चाहता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वह रिपोर्ट सब्मिट नहीं हुई है। इस प्रकार की बातें फैलने का असर होता है इसलिये मैंने सोचा कि स्पष्टीकरण कर दूं।

चंबल में जो काम चल रहा है उसके लिये मुझे याद नहीं कि मंत्री जी कह चुके हैं या नहीं, अगर कह चुके हैं तो इसको पुनरावृत्ति ही समझ लें। एक सवाल उठा था कि पानी कब मिल जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ५९ या ६० में इर्रिगेशन शुरू होगा, फिर स्लोली डेवलपमेन्ट होता है, एक साथ नहीं होता। प्लानिंग के अनुसार जो सेटल किया है उसके अनुसार काम-काज चालू हो जायगा।

एक सवाल भ्रष्टाचार का और आया था, वह था कपासन में जो फैक्ट्री है उसके बारे में। माननीय सदस्य ने कहा, मैं वहां गया था तब बड़ा रोष हुआ। सही बात है, दो-चार सज्जन किनके मित्र थे कह नहीं सकता, वे भेजे गये थे, लेकिन दो-चार ही थे। बाद में बहुत बड़ी मीटिंग हुई और भी कार्य-क्रम हुए। वे भी चुपचाप समझ गये कि कुछ फायदा नहीं होगा। सारा कार्य चला, उनको आत्म-संतोष भले ही हुआ होगा। फेक्ट्रीज़ के मामले में मैं आपको जानकारी दे दूं ताकि मुगालता न रहे। पहले मेवाड़ स्टेट थी तब फेक्ट्रीज़ की मोनोपोली थी। उसका मतलब यह कि दूसरी कोई जीनिंग या प्रेसिंग फेक्ट्री नहीं लगा सकता था, सिवाय गवर्नमेन्ट के। वह काफी प्रोफिटेबल था, गवर्नमेन्ट को उसमें काफी फायदा था लेकिन क्योंकि आज इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि किसी को फेक्ट्री लगाने से रोक नहीं सकते, इसलिये कई फेक्ट्रीज़ आस-पास लग गई। कपासन के आस-पास, माननीय सदस्य को जानकारी होगी राश्मी, जाश्मा, फतहनगर और एक और जगह जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रेलमगरा में लग गई और भी कई जगह छोटी मोटी फेक्ट्रीज़ खड़ी हो गई। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? मैं निवेदन करूंगा कि एक जमाने में इनसे प्रोफिट होता था; सन् ५४–५५ में गुलाबपुरा में २३८४५ रु० का प्रोफिट हुआ, चित्तौड़ की फेक्ट्री से ३७००० रु० का प्रोफिट हुआ, कपासन में ६१००० रु०, भीलवाडा में ७१००० रु० का प्रोफिट हुआ। ५५–५६ में चित्तौड़ में ७९१६ रु० का और कपासन में ६६० रु० का ही प्रोफिट रह गया। ५६–५७ में सब फैक्ट्रीज़ में लोस गया। कपासन में ३५१३० रु० का, गुलाबपुरा में ३२९९३ रु० का और चित्तौडगढ़ में २३५३७ रु० का लोस था। वहां की सभी फेक्ट्रीज़ लोस देने लगीं। यह हम पहले से ही जानते थे कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यही रिज़ल्ट आयेगा। इसी वजह से सन् ५५ में जब लौस दिखने लगा तब फेक्ट्रीज़ का ओक्शन किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फेक्ट्रीज़ बेचने की कार्यवाही अभी से ही नहीं हो रही है। ५५ में ओक्शन किया गया, ५६ में भी टेन्डर मांगे गये और ५७ में भी मांगे गये। एक साल तक ही नहीं बल्कि तीन साल तक लगातार यह हुआ। एक साल बेचना रोका गया, यह समझ कर कि कीमत कम आ रही है इसलिये अगले साल देंगे। इसके लिये निवेदन करूं कि सन् ५५ में शाहपुरा फेक्ट्री का टेन्डर ६११०१ रु० का आया और ५६ में ५५००० रु० का आया और सन् ५७ में ५२००० रु० पर आ गया। गुलाबपुरा की फेक्ट्री का ५६ में ओफर था २ लाख २१ हजार रुपया का और ५७ में २ लाख २ हजार ही आया। कपासन की फेक्ट्री का सन् ५५ में २ लाख ५१ हजार का ओफर आया और ५७ में १ लाख १५ हजार का ओफर आया। चित्तौड़ की फेक्ट्री का ५५ में २ लाख २१ हजार का ओफर आया और ५६ में १ लाख २१ हजार का ओफर आया। एक तरफ तो फेक्ट्रीज़ लौस में चल रही थीं और दूसरी तरफ टेन्डर की प्राइसेज़ नीचे गिरती जाती थीं। इसकी वजह यह थी कि (फेक्ट्री) जितनी प्रोफिटेबल होगी प्राइसेज़ उतनी ही ज्यादा आवेंगी। इन सारी फेक्ट्रीज़ की प्राइसेज़ फॉल होती गई। टेन्डर्स इन्वाइट किये गये, उसके बाद एक हाथरस की पार्टी थी जिसने टेन्डर दिया जिसमें हमारे रूल्स के अनुसार टेन्डर देने का जो तरीका था उसका पालन नहीं किया गया था, इसका मतलब यह हुआ कि टेन्डर की जो शर्तें होनी चाहिये थीं वे पूरी नहीं हुईं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम उन शर्तों को आउट राइट रिजेक्ट कर सकते थे, और जैसा कि निवेदन किया कपासन में १ लाख १५ हजार आता था टेन्डर के मुताबिक। रूल्स के अनुसार पार्टी ने लीगल टेन्डर दिया था या नहीं, इसका ख्याल न करते हुए उससे कहा कि इतना देना चाहते हो तो ठीक है नहीं तो टेन्डर केन्सिल करते हैं। उसने १ लाख ६० हजार का टेन्डर दिया। उसी टेन्डर पर उसी पार्टी को कपासन की फेक्ट्री दी गई। उनको चित्तौड़गढ की फेक्ट्री दी जाने की करीब करीब—कार्यवाही हो चुकी थी। उस बीच में कपासन का सवाल आया। मेरे पास इसकी फाइल आई, सैंक्शन हो चुकी थी। उसके बाद में कपासन गया, सैंक्शन के दो तीन रोज बाद ही। कपासन का एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसने आकर कहा हो कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है उसको दे दी जाये।

श्री भैरोंसिंह : उनको शायद पता नहीं लगा होगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कपासन गया, उसका उनको पता नहीं चला हो, यह मान नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : इस बात का नहीं बल्कि इस बात का कि फेक्ट्री दे दी गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको अगर लेनी थी तो वे एप्रोच करते लेने के लिये। चित्तौड़ के बारे में जब पता चला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल सकती है, उस पार्टी को जिसको कपासन की फेक्ट्री दी गई थी हाइयेस्ट बिड पर दे रहे थे जिसकी सैंकशन होने वाली थीं, इस बीच में वहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के लोग आये और कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है इसलिये हमको देनी चाहिये, आने वालों में से माननीय सदस्य के नजदीकी मित्र हैं पोलिटिकली, वे आये और इस बात को सामने रखा कि कोओपरेटिव सोसाइटी बनाई है उसको दे दीजिये और हमने चित्तौड़ की फेक्ट्री उनको देने की सैंक्शन दी। यदि हमारे दिमाग में कोई और बात होती तो उसी पार्टी को देते जिसका टेन्डर वेलिड था, उसको कैन्सिल किया। ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी मिला हो। गुलाबपुरा में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी गई, शाहपुरा में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी गई। इन सारी जगहों पर ऐसा करने के बाद भी एक जगह नहीं देने का प्रश्न नहीं था; यह स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह : कोओपरेटिव सोसाइटी का कितने रुपयों का ओफर था, चाहे वह बाद में ही आया हो?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे ठीक से याद नहीं है।

एक प्रश्न और उठाया गया है कि जो सॉल्ट विटिल्स हैं, उसको सौराष्ट्र में भेजा जा रहा है। इस प्रकार की बात के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर कन्ट्रोल है। जहां तक साल्ट विटिल्स का प्रश्न है, उसे बाहर नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए सौराष्ट्र की लेबोरेटरी में भेजा गया था, उससे भ्रम हो सकता है। फिर भी जब प्रश्न उठाया गया है तो हम चाहते हैं कि हम परिस्थिति की जांच करें। हम नहीं चाहते कि हमारे यहां से रॉ मेटीरियल जाये और उससे कहीं और इन्डस्ट्री डेवलप हो।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा फर्टीलाइज़र खड़ा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि उसमें कई मुश्किलें हैं। यह कह देना आसान बात नहीं है कि यह फर्टीलाइज़र खड़ा हो जायगा। लेकिन मैं आशा करके चलता हूं, क्योंकि हमने जिप्सम राजस्थान से गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के कहने से सिन्दरी के लिए सप्लाई किया है....

श्री पी. के. चौधरी : मैंने सोडा एश के लिए कहा है, फर्टीलाइज़र के लिए नहीं कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। हमने बराबर जोर दिया है इस बात पर कि अगर राजस्थान में फर्टीलाइज़र फैक्ट्री का सवाल आता है, उसके बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह राजस्थान का क्लेम है। हमारे यहां का जो रॉ मेटिरियल है, उसकी बड़ी इन्डस्ट्री यहां पर हो, इस प्रकार की आपकी जो भावना है, हमारी भी वही भावना है, इस भावना को देखते हुए राजस्थान के अन्दर हम इन्डस्ट्री बना सकें, उसके लिए दूसरी तरफ से भी सहयोग मिलेगा, ऐसा मानना चाहिए।

अब तक यहां जो डिस्कशन हुए उनमें एक बात और आई कि एग्ज़ीक्यूशन में डिले होती है और एग्ज़ीक्यूशन में डिले होने से बहुत दिक्कत बढ़ती है'। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। हम लोग भी इस ओर सतर्क हैं और इस सम्बन्ध में सोचने की कोशिश करते हैं कि किस प्रोसीजर से काम किया जा सकता है? आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो व्यवस्था है, उसके साथ में यह जुड़ी हुई चीज है। हमने इस सम्बन्ध में प्रयत्न

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किये हैं, हमने कमेटी बिठाई है और कमेटी सोच रही है कि इसे डिसेन्ट्रलाइज़ करके उसके काम को अलग अलग ऑफिशियल लेवल पर डिवाइड करके ज्यादा से ज्यादा सहूलियत पैदा कर सकें, उसके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसको हम हल कर सकेंगे, इसकी आशा करके हमें भविष्य में चलना चाहिए।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी भरतपुर में लगानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्राइवेट सेक्टर पर बहुत कुछ डिपेन्ड करता है। जो फर्टीलाइज़र फैक्ट्री लगाने आता है उस आदमी को सोचना होगा कि जो सर्कम्स्टन्सेज़ हैं, उनके लिहाज से कहा पर फैक्ट्री लगाना फायदेमन्द होगा, यह वही तय कर सकता है। आज नहीं कहा जा सकता कि सांभर में यह लगेगी या भरतपुर में लग जायगी। एक इन्डस्ट्री राजस्थान में हो, इसके लिए आज प्रयत्न करने का प्रश्न है।

ताजिये के मामले में फिर मुझे निवेदन करना पड़ेगा, इस पर हमारे भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य ने भी प्रकाश डाला है। मुझे ख्याल तब ज्यादा हुआ जब बीकानेर से आने वाले समाजवादी सदस्य ने इस पर जोर दिया। मैं समझता हूं वहां स्थिति जो थी, उसकी जानकारी पूरी तौर से उनको होती तो यह नौबत नहीं आती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई दिनों तक वहां पर ऐसी स्थिति रही और लोगों ने वहां पर उनको बाइकॉट करने की कोशिश की, उससे ऐसी हालत पैदा हुई, ऐसी दिक्कत पैदा हुई। उल्टे उसे हम प्रोत्साहन दें, तो यह उचित नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : एक सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की चीज करना कहां तक उपयुक्त है, यह बात है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह चीज तो सैकड़ों बर्षों से चली आ रही थी, वे आशा करते हैं कि इस प्रकार की बात नहीं होती। उनका यह अधिकार था, जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था।

प्लानिंग के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में व उदयपुर में अकाल पड़ गया और हर साल पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस मामले में जो स्थिति है उसकी जानकारी दी जा चुकी है।

कुछ माइनर इर्रिगेशन के बारे में कहा गया। मुझे याद नहीं ५६ लाख में से उदयपुर डिविजन में कितना खर्च कर दिया गया है। फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जो माइनर इर्रिगेशन पर खर्चा हुआ है वह १०६ लाख ६२ हजार हुआ है, उसमें से ४४ लाख उदयपुर डिवीजन में, ४१ लाख जयपुर डिवीजन में, १४ लाख कोटा डिवीजन में और २५ लाख ६३ हजार जोधपुर डिवीजन में खर्चा हुआ है, यह कुल मिला कर खर्चा हुआ है, जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। अब यहां प्लान को डिस्कस करते हैं, तो मैं समझता हूं कि प्लान के डिस्कशन में हमको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि एक जगह कुछ चीज ऐसी हो सकती है, दूसरी जगह दूसरी चीज हो सकती है। मैंने कोशिश की कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में यह अन्दाजा लगाया जाय कि जो कुल मिला कर खर्चा किया है उसका जिलेवार ब्रेक अप क्या हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकता है एजुकेशन, एग्रीकल्चर आदि पर होने वाले खर्चे का। उसके डिटेल्ड फिगर्स निकालना तो मुश्किल था, जितने फिगर्स मैं प्राप्त कर सका, यानि ५.१ करोड़ में से ४६ करोड़ का जो एक्सपेन्डीचर हुआ, वह डिस्ट्रिक्ट-वाइज़ में आपको कहूंगा। ये फिगर्स रुपये, आने, पाई में कहना तो मुश्किल है, इसमें वेरियेशन हो सकता है। पर जो मैंने पर केपिटा एक्सपेन्डीचर निकाला है उससे अन्दाजा करना ज्यादा अच्छा होगा। आज राजस्थान में फर्स्ट फ़ाइव इयर प्लान में जो एक्सपेन्डीचर हुआ, उसमें गंगानगर में पर केपिटा एक्स–पेन्डीचर ३७५.८४ रु०, कोटा में ४१.८२ रु०, पाली में २८.७० रु०, बूंदी में २८.१६, रु० उदयपुर में २०.८३ रु०, डूंगरपुर में ६०.८३ रु० और जोधपुर में ८०.६ रु० . . . .

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर का?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १६.७३ रु०।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन सी साल का?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पिछले पांच साल का।

एक माननीय सदस्य : इन दो सालों में उदयपुर में बहुत पैसा लगा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके फिगर्स मैं निकाल कर बता दूंगा, लेकिन एक बात और स्पष्ट हुई कि फर्स्ट फाइव इयर का झगडा नहीं है।

(हंसी)

अब तक इस पर बहस चलती रही है, इसलिए मैंने बताया। अब से सेकिंड फाइव इयर प्लान की बात करेंगे किन्तु इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि हम इस सदन में कई बार चर्चा करते हैं, उसके लिए मुझे निवेदन करना है कि अगर माइनर इर्रिगेशन के या दूसरे काम उदयपुर डिवीजन में होते हैं तो वहां कौन रहता है, किनके लिए काम होता है? कई लोग शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में बात करेंगे। उदयपुर डिवीजन में ३५ सीट हैं, उनमें १४ एम. एल. एज़. हैं वे शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के आते हैं, उनमें से ११ शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार कहती है कि इनके लिए यह किया जाय, वह किया जाय। थोड़ा डूंगरपुर में काम हुआ, वहां से ३ एम. एल. एज़. है जिनमें से २ शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के आते हैं, बांसवाडे के लिए कहूं वहां के चार एम. एल. एज़. हैं उनमें से तीन शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के आते हैं। काम करने का हमारा क्राइटेरिया क्या है, किस जगह हम काम शुरू करना चाहते हैं। एक चीज जो एक जगह सम्भव होती है, वहां कुछ चीजें दूसरी जगह सम्भव हो सकती हैं, वे वहां होती हैं। इस तरह विकास का काम होता है। आज मैं अगर कहूं कि चम्बल का बांध उदयपुर में बनना चाहिए, राजस्थान केनाल या भाखरा का पानी जोधपुर या जयपुर में आ जाना चाहिए तो वहां नहीं आ सकता; जहां आ सकता है, वहीं आता है। जहां कुछ चीज इम्प्रूव हो सकती है, वहीं खर्चा करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक इलाके में खर्चा ज्यादा हो रहा है, दूसरे इलाके में बहुत कम खर्चा हो रहा है, इन बातों की आलोचना होती है। हमें आज स्कीम्स पर सोचना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मेडिकल (डिस्पेन्सरीज़) एक जगह खोल रहे हैं तो दूसरी जगह वाले कहें कि वहां के एक्सपेन्सेज़ बढ गये हैं, वहां के एक्सपेन्सेज़ नहीं बढ़े। जितना पैसा राज्य सरकार के पास होगा, उसके मुताबिक खर्चा होगा। अच्छा होता, अगर ज्यादा गहराई से इन मामलों पर डिस्कशन करते, तो मुझे एतराज नहीं होता।

एक सवाल अलवर में भाखरा बिजली का आया। मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि पहले एग्ज़ामिन करवाया था। हम चाहते हैं कि चीज़ को एग्ज़ामिन किया जाय, देखा जाय कि अलवर जिले से बिजली ला सकते हैं या नहीं। एक बात के स्पष्ट हो जाने की जरूरत है। भाखरा योजना में जो कुल मिला कर राजस्थान का शेअर है, उसके लिए एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा शेअर पंजाब में यूज़ न कर लें। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, क्योंकि भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड ने और भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड के गवर्नर ने भी स्पष्ट तौर से इस चीज पर फैसला दिया है रीसेन्टली, कि जो राजस्थान के शेअर हैं, वह कहीं युटीलाइज़ नहीं होगा, वह राजस्थान को ही प्राप्त होगा। इसलिए जो शेअर भाखरा योजना में राजस्थान का है, वह शेअर हमको ही प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं। ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है, इसका कम्प्लीट एश्योरेन्स, जिस लेवल पर आप चाहें, उससे मिला हुआ है। यह बात अवश्य सही है कि डिले हुई है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पंजाब में बिजली का काम डिले नहीं हुआ, राजस्थान में क्यों हुआ? राजस्थान के समक्ष कई दिक्कतें हैं, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, हमारे यहां टेक्नीकल स्टाफ की जरूरत है, जो सर्वे वगैरह करके रिपोर्ट दे सके, इसके साथ ही लेबर वगैरह की भी जरूरत है, हमने टेन्डर वगैरह इन्वाइट किए हैं, पर हमारे सामने इसके साथ ही फौरिन एक्सचेन्ज की भी डिफीकल्टी है। इन सब बातों की वजह से पेचीदगी पैदा हुई लेकिन मैं समझता हूँ कि जो समय दिया गया है कि हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, उसके बारे में हमें विश्वास रख कर चलना चाहिये कि हम उस समय काफी हद तक सफल हो सकते हैं। जहां कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्टी ही पेश हो जाय तो मैं नहीं कह सकता वरना इन चीजों की समय में पूर्ति के लिए हमें संभावना मालूम होती है।

इसके साथ साथ बिजली की चर्चा जब हमने की तो कुछ जगहों से यह बात कही गई कि शिक्षा दे रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, एक तरफ स्कूलें बढ़ाते जा रहे हैं कॉलिजेज खोल रहे हैं, इससे बेकारी इतनी बढ़ जायगी, अतः इस शिक्षा से कोई फायदा नहीं। मैं समझता हूं कि शिक्षा देने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि सभी नौकरी में लगेंगे, शिक्षा को फैलाने के बारे में प्रयत्न किया जाता है तो यह समझ कर किया जाता है कि शिक्षित लोग और अन्य धन्धों में लगेंगे।

इसी तरह डिस्पेन्सरीज़ और दूसरे बारे में सवालात उठे, पर मैं समझता हूं कि जो खास खास बातें थीं उनके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं।

अन्त में मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं नहीं जानता कि जो बातें हम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लोगों ने आपके समक्ष रखी हैं, उनसे आपको कितना संतोष हुआ होगा और कितना नहीं, क्योंकि यह अपनी अपनी दृष्टि से देखने का प्रश्न है। पर जो बातें रखी जायं, कही जायं उनके बारे में पूरी तरह विचार करके कहा जाय कि उनके कहने में काफी तथ्य हमारे पास हैं, उसमें काफी पक्कापन है, तो ज्यादा ठीक होगा क्योंकि कुल मिला कर इस सदन में हमने यह परम्परा एक दूसरे पर छींटे उछालने की रखी, जैसा कि इस बार में हुआ सारी बहस में। बड़े सवाल हैं उनके बारे में हम जिक्र करें तो इससे राजस्थान के डेवलपमेंट में लाभ मिल सकता है, इस तरह की चर्चा हो सकती थी, उसके बजाय हमारा दायरा और जगह जाकर रुक गया, तो हमारे सोचने की बात है कि हमें इस सदन को क्या स्वरूप देना है।

मेरे दिमाग में निश्चित रूप से चोट लगी है कि रात-दिन ईमानदारी से कार्य किया जाय, उसके लिये विरोधी दल के सदस्य हों या इस ओर बैठने वाले सदस्य हों, विरोधी हों तो राजनैतिक विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध प्रकट करने के लिये कहने का यह तरीका बनता है तो मैं नहीं समझता कि हम जनमत को बनाना चाहते हैं।

मैंने कहा कि हम इस मामले में प्रयत्नशील हैं कि राजस्थान में विकास हो, हमारा राजस्थान आगे बढ़े, इस प्रकार के सजेशन्स आयें जिससे हम आगे बढ़ें, वरना यहां इस तरह की बहस से, जैसा वे समझते हैं उन्हें लाभ नहीं होगा।

सर्विसेज़ और पुलिस के मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के दिल में खयाल हो गम्भीर बातों पर, पर यह वतीरा बनता है सर्विसेज़ को कन्डेम करने का वह नहीं बनना चाहिये। काम किस तरीके से किया जाता है आप जानते हैं। यह भी नहीं करें कि उनकी तनख्वाहों को इतना बढ़ा दिया जाय, बढ़ायेंगे कहां से, तो तनख्वाहों के बढ़ाने का कहते समय यह विचार करना चाहिये कि सदन के सामने यह सवाल आयेगा तो कितनी मुश्किल पेश होगी, बढ़ायेंगे कहां से इसलिये हमें चाहिये कि हम हर बातको गंभीरता से कहें। जिनको कम तनख्वाहें मिलती हैं उनके बारे में कुछ कर सकें, पर ऐसा करने की स्थिति हो, हालत हो वहां तो करने का प्रयत्न किया जा सकता है, यह तो संभव नहीं कि लोगों पर टैक्स बढ़ा कर हम और अधिक खर्च की ओर बढ़ते जायं। तो मैंने यह सब बातें इसलिये सदन के सामने रखी हैं कि जो बातें हम यहां रखते हैं यह सोच कर रखनी चाहिये कि उनसे प्लान पर क्या असर पड़ता है।

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कुछ बातें यहां पर रखीं, निश्चित रूप से रखीं, विकेन्द्रीकरण की बात रखी वह निश्चित रूप से रखी है, प्लान के बारे में निश्चित रूप से कहा है व और अंगों के बारे में निश्चित रूप से बातें कहीं, तो राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसके लिये माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं, एक राय से समर्थन करेंगे, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उनके लिये आभार प्रदर्शन करें।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यदि अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं एक दो बातों का खुलासा चाहूंगा।

Page No.105

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस पर ?

श्री भैरोंसिंह : लींबाडा केस के बारे में यह जानना चाहूंगा कि जागीरदार का कितना रुपया रोका गया, किसने रोका, एक्च्युअल पेमेंट कितना किसने किया, किस तारीख को किया ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बड़ी लम्बी बहस हो जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : केवल इन चार बातों को बता दें ।

श्री अध्यक्ष : आप अलग क्वेश्चन टेबल कर दें ।

श्री भैरोंसिंह : कितना रुपया था, किसने रोका और एक्च्युअल पेमेंट किसने कितना किस तारीख को किया, बस यही बता दें और कोई बहस नहीं की जायगी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य-मन्त्री) : मैं नहीं समझ पाया कि इसमें क्या है, रोका गया और रोकने के बाद बोर्ड ओफ रेवेन्यु ये लेटर आया कि पेमेंट कर दिया जाय और पेमेंट कर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : रोका क्यों गया, कोर्ट आफ वार्ड्स के एक्ट के माफिक ठिकाना रिलीज़ होता है तो पेमेंट किया जाना चाहिये, रोका क्यों गया ? कितनी तारीख को पेमेंट किय गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे खुशी है कि अब दूसरी तरफ दलील शुरू हो गई । इसको रोका क्यों, इसके बारे में भ्रम है तो वह और रख देना ।

मैंने साफ बतलाया कि इसलिये रोका गया कि मांजी ने मूव किया था कि मार्केट में क्रेडिट है उनका, उनको पेमेंट किया जाय । रेवेन्यु बोर्ड को रेफर किया तो रेवेन्यू बोर्ड ने मूव किया कि लीगली नहीं रोक सकते, पहले मांजी के मूव पर रोका गया और बाद में लेटर आया कि लीगली नहीं रोक सकते तो पेमेंट कर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : रुपया कितना था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे अभी ठीक याद नहीं आता, बाद में बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : पेमेंट किस तारीख को हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो रिलेवेन्ट बातें थीं वे देख कर मैंने बता दीं, और बातें हैं उनके बारे में रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से पूछ लेना ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग सवाल पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय......

श्री नाथूराम मिर्धा : भ्रष्टाचार तो नहीं रहा ।

(४. ४० म. प.)

श्री अध्यक्ष : Please do not interrupt. This private parley is not allowed.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो श्री भोलानाथजी का था, मैं फिर से पढ़ता हूं :

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

जो इसके पक्ष में हों 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

(मतदान के पश्चात्)
हां पक्ष जीता।

राजा श्री मानसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री मुरलीधर व्यास : काफी लोगों ने इसका विरोध किया है इसलिये मैं समझता हूं कि इसका विरोध ही है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.४४ पर सोमवार, दिनांक १७ फरवरी, १९५८ के ११ म. प. तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No.107

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर 633

सचिवालय में हाजरी की व्यवस्था ।

जयपुर में बढ़ती हुई गुंडा-गर्दी ।

टेलीफोन कॉल्स ।

शिक्षित बेकारों की समस्या ।

खातेदारी जमीन की उपज का वन विभाग द्वारा विक्रय ।

कन्या-पाठशाला ।

वन-विस्तार ।

प्रारम्भिक पाठशालाएँ ।

यातायात दुर्घटनायें ।

वृक्षारोपण ।

अधिकारियों द्वारा कैदियों से गृह कार्य लिया जाना ।

उद्योग संबंधी कार्यों के लिए रकम वितरण ।

विकास खंड ।

भू-स्वामी आन्दोलन ।

ग्रो मोर फूड तकाबी ।

लालसोट तहसील में पत्थर व बजरी का ठेका ।

सिंचाई कर ।

आर० ए० एस० ऑफिसर्स का वेतन ।

पाली जिले में बीज वितरण ।

मन्त्री मंडल की बैठकें ।

कृषि संबंधी औजारों का वितरण ।

मुस्लिम कर्मचारियों को शुक्रवार को एक घन्टे का अवकाश ।

कृषि उत्पादन के साधन ।

प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स की स्थापना ।

सड़क निर्माण ।

सड़क निर्माण ।

राष्ट्रीय विकास खंड ।

ओवरसियर, सुल्तानपुर, त० दीगोद ।

डाइरेक्टर जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा सांचे बनाने का ठेका ।

डाइरेक्टर, जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा छपाई के आदेश ।

उप-तहसील इन्द्रगढ़ में कृषि कार्य हेतु जमीन का अभाव ।

सड़क निर्माण ।

राज्य में चेचक फैलने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव 654

राजस्थान में चेचक की बीमारी से सम्बन्धित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई । इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री, द्वारा १७ फरवरी, १९५८ को दिया जावेगा ।

स्कम्भ

पूरक प्रश्न का त्रुटिमय उत्तर दिये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न ६४०

प्रश्न संख्या ५३ (१५ ए० टी० एम०) के उत्तर में दिनांक १२ फरवरी, १६५८ को दी गई सूचना के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह (१४) के विशेषाधिकार का प्रस्ताव तथा उनसे सम्बन्धित श्री नाथूराम मिर्धा, सहकारी विभाग, का पत्र सदन में पढ़ा गया। इस पर विशेषाधिकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई। तत्पश्चात् प्रश्न के उत्तर में दी गई सूचना को शुद्ध करने हेतु मंत्री द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति ६४५

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

१, श्री नाथूराम —१३ से १७ फरवरी, १६५८।

२. श्री रामचन्द्र—१४—२—५८ के लिये।

३. श्री श्रीराम बासोतिया—१० से १४ फरवरी १६५८।

मंत्री—मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ६४५

राजा श्री मानसिंह तथा श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा दिये गये अविश्वास के प्रस्ताव सदन के सम्मुख पढ़े गये। इन्हें प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाने के पक्ष

स्कम्भ

में ३८ सदस्य खड़े हुए जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सूचित किया गया कि इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उपरोक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की तिथि बाद में नियुक्त की जायगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद—विवाद ६४६

निम्नांकित धन्यवाद के प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद—विवाद:—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

वाद—विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२. श्री सोहनलाल भटनागर
३. श्री श्योपतसिंह
४. श्री परसराम
५. श्री रामप्रसाद लढ्ढा

सरकार की ओर से श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा, वन मंत्री, श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री एवं श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने बहस का उत्तर दिया। तत्पश्चात् धन्यवाद का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत हुआ।

सोमवार, दिनांक १७ फरवरी, १६५८ की कार्य—सूची

मांगों पर मतदान।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११६ का उत्तर देखिये)

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न स्थानों पर वनों का विस्तार हुआ और उनके सामने दी हुई राशि व्यय हुई ।

डिवीज़न	नाम	क्षेत्रफल	खर्चा
	१९५४–५५		
कोटा	कोटा	४० एकड	
बूंदी	जेथपुर और बाई पास	७० ,,	
टोंक	धानी	२५ ,,	
बारां	बारां	७५ ,,	
जैपुर	जैपुर	१० ,,	
भरतपुर	अलवर	१० ,,	
उदयपुर	बोरडी	५० ,,	
चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	५ ,,	
सिरोही	बाड़ाखेड़ा	१० ,,	
जोधपुर	व्यास की बावड़ी	५० ,,	
		३४५	१.०६२लाख
	१९५५–५६		
कोटा पांचोबीड़		५० एकड	
	चम्बल रेवाइन्स	७४ ,,	
बूंदी	मांगली	२५ ,,	
	गोबरा की राडी	२५ ,,	
	छतरगंज	२५ ,,	
	डेह	५० ,,	
	गनेशबाग	२ ,,	
टोंक	सोहेला	३५ ,,	
	भरनी	५५ ,,	
	सरवाड़	१० ,,	
	आथून बीड़	४० ,,	
	धानी बीड़	३५ ,,	
बारां	हीरापुर	५० ,,	
	लालापुरा	४० ,,	
	बीसलाई	१० ,,	
	रानी हेडा	२५ ,,	
	छबरा	५ ,,	
	बालाजी वाला सूंडा	१० ,,	
	छींपाबडौद	१० ,,	

डिवीजन	नाम	क्षेत्रफल	खर्चा
जयपुर	लक्ष्मण डूंगरी	२०	"
	टी. बी. सेनोटेरियम	१०७	"
	अमानीशाह का नला	१०	"
	काला महादेव	१०	"
	जल महल	५०	"
	जामरोली बीड़	८०	"
	मंडावरीया	३०	"
	टीकलिया	४०	"
	सीलोरा	३०	"
	रानी डूंगरी	५०	"
	खुर्द (जमवा-रामगढ़)	१५	"
	रामीया वाला	२०	"
	बीजक की पहाडी	१०	"
	बनी गूगेरा	२०	"
	बोदल	५०	"
	गीलाई सागर बांध	२०	"
	हनोटिया	३०	"
	महन्दीपुर बालाजी	२५	"
	गांधी खेतड़ी	१०	"
	बुधा	२०	"
भरतपुर	सागरपाड़ा	५	"
	खानपुरा	१००	"
	गोवर्धन	६	"
	मोजपुरा	१०	"
	बांदीपोल	६	"
	डबका	७	"
	तिजारा	७	"
	भाई खेड़ा	१२	"
	मूगोरा	१८	"
	बरोड़	२५	"
	सिरिस्का	२५	"
झालावाड़	कमोलर	२०	"
	गुरारिया	२५	"
	मुंदेड़ी	१५	"
	रीछ्या	२०	"

डिवीजन	नाम	क्षेत्रफल	खर्चा
	बीजली भरक	१०	,,
	लोटिया भीर	५	,,
	गूजरी की डूंगरी	१०	,,
	अलीगंज	१०	,,
	अरी ख	६०	,,
उदयपुर	बोरड़ी	५०	,,
	नीमचमाता	२०	,,
चित्तौड़गढ़	गंगलास	५०	,,
	सूरजपोल	२५	,,
बांसवाडा	श्यामपुरा	५०	,,
सिरोही	बाड़ा खेड़ा	१००	,,
जोधपुर	जोधपुर	५०	,,
	पाली जोड़	५०	,,
		२००६ एकड़	५.५०८ लाख

परिशिष्ट २

(कृपया ता० प्रश्न संख्या १२० का उत्तर देखिये)

LIST OF TEHSIL-WISE SCHOOLS (Primary) OPENED DURING 1955-56 IN PALI DISTRICT.

S. No.	Name of School	Place.	Tahsil
1.	Govt. Primary school,	Kulthana	Pali.
2.	-do-	Vayad	"
3.	-do-	Jaitpur.	"
4.	-do-	Panchvadriya.	"
5.	-do-	Jhintra.	"
6.	-do-	Indonka Ki Dhani	"
7.	-do-	Dhabar	"
8.	-do-	Kalali	"
9.	-do-	Bomodara.	"
10.	-do-	Kanlau.	"
11.	-do-	Shivpura.	Sojat.
12.	-do-	Dndla.	"
13.	-do-	Laidawas.	"
14.	-do-	Chorvas.	"
15.	-do-	Chandawal	"
16.	-do-	Mew.	"
17.	-do-	Chirpatiya.	Kharchi.
18.	-do-	Karadi.	"
19.	-do-	Godana.	"
20.	-do-	Thakravas.	Wali.
21.	-do-	Ludara	"
22.	-do-	Datiwara.	"
23.	-do-	Gudalas.	"
24.	-do-	Airanpura Rd.	"
25.	-do-	Sidarli.	Desuri
26.	-do-	Thalop.	"
27.	-do-	Sanwaltan.	"
28.	-do-	Bhadarlau.	"
29.	-do-	Bhuveliya.	Jaitaran.
30.	-do-	Digrana.	"
31.	-do-	Ved.	"
32.	-do-	Jajanwas.	"
33.	-do-	Lathriya.	"
34.	-do-	Kanicha.	"
35.	-do-	Pipliyankalan,	"
36.	-do-	Sevriya.	"
37.	-do-	Diwandi.	Pali

LIST OF TAHSIL-WISE PRIMARY SCHOOLS OPENED IN 1956-57 IN PALI DISTRICT.

S. No.	Name of School.	Place	Tahsil.
1.	Government Primary School,	Sonai, akha.	Pali.
2.	Government Primary School,	Chotila.	Pali.
3.	Government Primary School,	Bithu.	Pali.
4.	Government Primary School,	Godvas.	Pali.
5.	Government Primary School,	Karla.	Pali.
6.	Government Primary School,	Sodavas.	Pali.
7.	Government Primary School,	Bansor.	Kharchi.
8.	Government Primary School,	Gudabhost	Kharchi.
9.	Government Primary School,	Chokodiya.	Kharchi.
10.	Government Primary School,	Angdos.	Kharchi
11	Government Primary School,	Hingolakalan.	Kharchi
12.	Government Primary School,	Nimbi Nichli.	Kharchi
13.	Government Primary School,	Biromada.	Kharchi
14.	Government Primary School,	Badiya.	Kharchi
15.	Government Primary School,	Gudavija.	Sojat.
16.	Government Primary School,	Piplad.	Sojat.
17.	Government Primary School,	Saranvas.	Sojat.
18.	Government Primary School,	Ramsaniwala.	Sojat.
19.	Government Primary School,	Modal.	Sojat.
20.	Government Primary School,	Durasani.	Sojat.
21.	Government Primary School,	Chomanpura.	Wali.
22.	Government Primary School,	Karan.	Wali.
23.	Government Primary School,	Lalrai.	"
24.	Government Primary School,	Parikhiya.	"
25.	Government Primary School,	Amliya.	"
26.	Government Primary School,	Raimlara.	Raipur
27.	Government Primary School,	Lveha.	"
28.	Government Primary School,	Bansiya.	"
29.	Government Primary School,	Rampurakalan.	"
30.	Government Primary School,	Nimeda Khurd.	"
31.	Government Primary School,	Kotriya.	"
32.	Government Primary School,	Phulmal.	"
33.	Government Primary School,	Khinvadi.	"
34.	Government Primary School,	Kharadi.	"
35.	Government Primary School,	Punota.	Desuri.
36.	Government Primary School,	Sansri.	"
37.	Government Primary School,	Kirpa.	"
38.	Government Primary School,	Gudaprithvisingh.	"
39.	Government Primary School,	Bhagwanpura.	"

S.N.	Name of School.	Place	Tahsil.
40.	Government Primary, School,	Pratapgarh.	Desuri
41.	Government Primary School,	Kotri.	"
42.	Government Primary School,	Solriya.	"
43.	Government Primary School,	Morkha.	"
44.	Government Primary School,	Inervada.	"
45.	Government Primary School,	Mindgar.	"
46.	Government Primary School,	Gadvara.	"
47.	Government Primary School,	Devi Ka Gudda.	"
48.	Government Primary School,	Bandar.	"
49.	Government Primary School,	Duarya.	"
50.	Government Primary School,	Kalbukala	Raipur.
51.	Government Primary School,	Ratriya.	"

LIST OF PRIMARY SCHOOLS (TAHSIL-WISE) OPENED IN 1957-58 IN PALI DISTRICT.

S. No.	Name of School.	Place.	Tasil.
1.	Government Primary School,	Duri.	Pali.
2.	Government Primary School,	Hangesar	Pali.
3.	Government Primary School,	Thandiveri.	Bali.
4.	Government Primary School,	Karmal.	Sojat.
5.	Government Primary School,	Chopra.	Sojat.
6.	Government Primary School,	Bhagora.	Sojat.
7.	Government Primary School,	Hendari.	Sojat.
8.	Government Primary School,	Bagivara.	Jaitaran.
9.	Government Primary School,	Sanravas	"
10.	Government Primary School,	Biratiyakalan.	"
11.	Government Primary School,	Kolar.	Desuri.
12.	Government Primary School,	Dhingana.	Pali.
13.	Government Primary School,	Bendi.	Bali.

EXTRA SCHOOLS.

1.	Government Primary School,	Pali.
2.	Government Primary School,	Raipur.
3.	Government Primary School,	Bhundara.
4.	Government Primary School,	Sojat Rd.
5.	Government Primary School,	Bera.

परिशिष्ट ३

(कृपया ता० प्रश्न संख्या १२२ का उत्तर देखिए)

List of Plantations created during the First Five Year Plan.

Name of Forest Division	Name of District.	Tahsil	Village or locality	Acres.
		1954-55		
Kota	Kota	Ladpura	Jagpura & Deoli	40
Bundi	Bundi	Jaitpur & Byepass	Nainwa & Bundi	70
Tonk	Bhilwara	Shahpura	Bhany	25
Baran	Kota	Kishanganj	Hirapur & Lalpura	75
Jaipur	Jaipur	Amer	Lakshman Dungari	10
Bharatpur	Alwar	Alwar	Alwar	10
Udaipur	Udaipur	Girwa	Bordi	50
Chittorgarh	Chittor.	Chittor.	Chittorgarh Fort.	5
Sirohi	Sirohi	Sirohi	Wadakheda	10
Jodhpur	Jodhpur	Jodhpur	Vyas-ki-Baori	50
				345
		1955-56		
Kota	Kota	Ladpura	Jagpura (Pancho Bir)	50
			Chambal ravines.	74
Bundi	Bundi	Talera	Mangli ravines.	25
		Talera	Gobra-ki-Radi	25
		Hindoli	Chhatarganj	25
		Nainwa	Dei	50
		Bundi	Ganesh-ka-Bagh.	2
Tonk	Tonk	Tonk	Sohela	35
			Bharani	55
	Jaipur	Sarwar	Sarwar	10
	Jaipur	Sarwar	Athun Bir	40
	Bhilwara	Shahpura	Dhani	35
Baran	Kota	Kishanganj	Hirapur	50
			Lalapura	40
			Bislai	10
			Ranihera	25
			Balajiwala Sunda.	10
		Chhapura	Chhapura	5
		Chhipabarod	Chhipabrod	10
Jaipur	Jaipur	Amer	Laksman Dungari.	20
		Jaipur	T. B. Sanitorium	107
			Amnishah Nallah	10
			Kala Mahadeo	10
			Jal Mahal	50

Name of Forest Division	Name of District	Tahsil	Village or locality	Acres.
			Jamroli Bir	80
		Kishangarh	Mandavaria	30
			Tikhalia	40
			Silora	30
			Rani Dungari	50
		Jamwa Ramgarh		
Jaipur	Jaipur	Jamwa Ramgara	J. Ramgara (Khurd)	15
			Ramyawala	20
		Bairath	Bijak-ki-Pahari	15
			Googera Bani	20
	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur.	Bodel	50
		Khandar	Gilaisagar Bundh.	30
			Hanotia	30
		Toda Bhim	Menhdipur Balaji	25
	Jhunjhunu	Khetri	Gandhi	10
			Budha	20
Bharatpur	Bharatpur	Bharatpur	Khanupura	100
		Dholpur		
			Sagarpara	5
		Deeg.	Goverdhon	6
	Alwar	Rajgarh	Maujpur	10
			Bandipol	6
			Dabkan	7
		Alwar	Bhaikheda	12
			Bhugore	18
		Tijara	Tijara	7
		Bahror	Barod	25
		Thana Ghazi	Sariska	25
Jhalawar	Jhalawar	Khanpur	Kamolar Radi	20
		Pirawa	Guradia	5
		Aklera	Munderi	15
			Gujari-ki-Dungari	10
		Bakani	Rinchhwa	20
		Jhalawar	Bijlia Bharak	10
			Lothia Jhir	5
	Kota	Sironj	Aliganj	10
		Lateri	Ari Rab	60

Name of Forest Division	Name of District	Tahsil	Village or locality	Acres.
Banswara	Banswara	Banswara	Shyampura	50
Udaipur	Girwa	Girwa	Bordi	50
			Neemuchmata	20
Chittorgarh	Chittorgarh.	Asind	Ganglas	50
		Chittor..	Surajpole.	25
Sirohi	Sirohi	Sirohi	Wadakheda	100
Jodhpur	Jodhpur	Jodhpur	Vyas-ki-Baori	50
		Pali	Pali Jor	50
				2009
			Total Ist Five Year Plan.	2354

परिशिष्ट ४

Appendix A

(कृपया ता० प्रश्न संख्या १२४ का उत्तर देखिये)

पाली जिले में पिछले दो सालों में ५५–५६ व ५६–५७ में दी गई धनराशि का विवरण

क्रम संख्या	पार्टी व संस्था का नाम	उद्योग जिसके लिए धनराशि दी गई	धनराशि जो दी गई सहायता

खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी गई धनराशि

		अम्बर	तेल	साबुन	
१.	सर्वोदय केन्द्र सीमेल	१५,०.०.०	७,९६८	१३,२७५	३६,३७३ रु० =
२.	श्री गंगानारान उत्पादन सहकारी समिति लि० दौलतपुर ६,७२७	चर्म उद्योग			६,७२७ रु० =
३.	नवयुवक पानी तेल उत्पादक सहकारी समिति सोजतरोड १,९२५ रु०	तेल उद्योग			२,१२५ रु० =
४.	रूरल आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स सुमेरपुर २०० रु०	चर्म उद्योग			१२० रु०
				योग :	

२. हाथ कर्घा द्वारा दी गई धनराशिं

		टेन्डर	राशि
१.	पाली बहुधंधी को० आपरेटिव सोसाइटी	१२०	८००
२.	बाला को० आपरेटिव सोसाइटी	९०	६००
३.	भीमालिया ,,	१३५	२,८००
४.	ठाकरपाल ,,	१६५	२,२००
५.	बानावास ,,	६७॥	९००
६.	सवाड़ी ,,	१५०	२,०००
७.	नया ,,	२२७॥	२,०००
८.	मोधाना ,,	१७७॥	३,०००
९.	रनवास ,,	१९५	२,०००
१०.	धुनेला ,,	२७७॥	३,०००
११.	श्रीपाली ,,	१२७॥	१,०००
१२	भीमली ,,	१२७॥	१,०००
१३.	पीनावास ,,	६०	८००
		२,०२०	२२,२००

२६,२२०

सन् १९५६–५७ में कुछ नहीं।

Appendix B

LIST OF THE LOANEES OF PALI DISTT.

S. No.	Name of the Party.	Amount	Nature of Industries
1.	Shri Kamuddin Raza Ali, Rani	5,000/-	Tin Factory.
2.	„ Pukhraj S/O Fezmal, „	4,000/-	Handloom Factory.
3.	„ Kundanmal, Rani.	3,000/-	Fabrication Ind.
4.	„ Jasraj, Rani	5,000/-	
5.	„ Gangacharan Utpadak Sah. Samiti Ltd., Bisalpur.	10,000/-	Leather Tannery.
6.	„ Ramlal, Sojat.	7,500/-	Razors & Scissors Ind.
7.	„ Misrimal Prakash Gota Factory. Pali.	5,000/-	Gota Factory.
8.	„ Sarif Mohd, Narsingh Soap Factory. Pali.	2,500/-	Soap Factory
9.	Amritlal Cotten Ginning Factory, Sojat.	10,000/-	Ginning Factory.
10.	„ Ghisulal S/O Pukhraj Sharma (Mfg, Wood Pali).	1,000/-	Carpentry.
11.	„ Noor Mohd, S/O Alabux Pali	5,000/-	Dyeing & Printing
12.	„ Pukhraj S/O Annaraj Kotbari	10,000/-	Printing Press.

Appendix B

List or Pending applications of Pali District.

S. No.	Name of the party.	Amount	Date.
1.	Shri Tulsa S/O Ramchandra, Bagri	1,000/-	19-12-57
2.	„ Puna S/O Rataji Bagri.	1,000/-	19-12-57
3.	„ Chaina S/O Dalji „	750/-	„
4.	„ Bachna S/O Gijaji „	500/-	„
5.	„ Chhela S/O Magaji „	500/-	„
6.	„ Tara S/O Chondji „	500/-	„
7.	„ Alfu S/O Hiraji „	500/-	„
8.	„ Chuna S/O Udaji „	500/-	„
9.	„ Pukha S/O Nenaji „	500/-	„
10.	„ Bhika S/O Budhaji „	500/-	„
11.	„ Mangla S/O Gijaji „	500/-	„
12.	„ Poonaram S/O Hotram Padampura	7500/-	26-8-57
13.	„ Balaram S/O Hema Chanchori	4000/-	„
14.	„ Swaroop S/O Jethaji Mochi Desuri.	2000/-	„
15.	„ Shishodiya Lothar Utpadak Sahkari Samiti. Sojot.	2,000/-	„
16.	„ Punamchand S/O Pakheri Lohar	5,000/-	22-1-58
17.	„ Chunnilal jaga of Jataran.	1,500/-	8-2-58
18.	„ Khundala Utpadak shh. S.	3,500/-	„
19.	„ Babulal S/O Trilokchand Pali	2,000/-	„
20.	„ Ganpati Charm Utpadak S. S.	5,500/-	„
21.	„ Bagri Regran Coop.	9,000/-	10-2-58
22.	„ Mundra Charm Utpadak S. S.	10,000/-	„
(2)	KHACLIA IND VILLAGE BOARD.		
I.	Chandanwal Raidas charan. utpadak semeti Sojat		23-1-58
II.	Shri Ganesh utpadak cooperation Sojat		14-1-58

परिशिष्ट ५

(कृपया ता॰ प्रश्न संख्या १३५ का उत्तर देखिये)

TARGETS OF FOOD PRODUCTION AND ACHIEVEMENT IN 1956-57 IN RAJASTHAN.

Name of the Scheme	TERGATS. Unit.	Items	Area to be benefitted.	Additional Productionl	ACHIEVEMENTS Items	Area benefitted in lakh acres.	Additional Production.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Irrigation from works.	Lakh Acress.	—	1.320	33.000	--	0.060	1,500	
2. MINOR IRRIGATION								
(i) Construction of wells.	No.	5.000	0,150	3,750	6 881	0.206	5,150	
(ii) Deepening of wells.	No.	2,000	0,012	500	3,988	0.040	1,000	
(iii) Tube wells.	No.	Nil	--	--	7	0.001	25	
(iv) Development of village tanks	No.	100	0.010	250	64	0.006	150	
			1,492	37,500		0.313	7,825	
3. Agricultural Mechinery.								
(i) Pumping sets.	No.	80 }	0,005	125	65	0.002) }	75	
(ii) Persian wheels.		300 }			99	0.001) }		
4. LAND IMPROVMENT.			0.400	4,000		0.328	4,180	
5. SEED DISTRIBUTION AND SATURATION OF AREAS.	Lakh Md.	1.50	2.500	4,000	1.80	3.00	9.000	
6. MANORES & FERTILIERES								
(i) Ammonium Sulphate.	Tons.	3000	—	8,200	3.000	0,750	8,200	
(ii) Superphosphate.	Tons.	300	--	600	150	0.037	325	
(iii) Compost.	Lakh Tons.	0.75	--	1,800	0.80	0.266	2,426	
				10,600			10,951	
7. GENERAL IMPROVEMENT IN CULTURAL PRACTICES.	-do-		1,000	5,000		0.88	8,800	
				61,225			40,831	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६ का उत्तर देखिये)

१९५७–५८ में खोली गई पाठशालाओं के नाम

प्राइमरी स्कूल्स	तहसील
१. भने का गांव	मगरा
२. राजासर उर्फ करनीसर	लूनकरणसर
३. रामबाग	,,
४. सोमलसर	नोखा
५. बरेनोक	,,
६. जैमलसर	बीकानेर
७. नया शहर	बीकानेर
८. नत्थूसर गेट	,,
९. बिन्नानियों का चौक	,,
१०. दाउजी का मन्दिर	,,
मिडिल स्कूल्स	
१. सिंथल	बीकानेर
२. रासीसर	नोखा ।

जिन जिन स्थानों पर प्राईमरी स्कूल्स खोले जाने की मांग अब तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है ।

१. जामसर	९. सोंवा ।
२. सुरबना	१०. जेगला ।
३. मोहल्ला, फतहपुरी	११. सिनिवाला ।
४. सुरनाना	१२. घट्टू
५. नाथवाना	१३. गिराजसर
६. सेलसर	१४. खींडासर ।
७. मैनसर	१५. बीटनोक ।
८. उदासर	१६. मेलू

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या १४० का उत्तर देखिए)

CONFIDENTIAL. Copy of the letter No. F. 3 (39) DD/54, dated Jaipur. the 21 st Jan., 1955, from the Chief Secretary, (Planning and Dev, Deptt.)

Sub:—Distribution of work among Sub-Divisional Officers and Extra-Magistrates in Project areas.

&

Tehsildars & Addl. Tehsildars at the Project Level.

With the Posting of Sub-Divisional Officers as Development Officers in Community Development and National Extension Service Blocks it is felt that there should be proper and fair distribution of work between the Sub-Divisional Officer, and the Assitant Collector and Extra-Magistrate posted to relieve him of his normal duties. After careful consideration it has been decided that the Assistant Collector and Extra-Magistrate will perform the following duties:—

1. Check of Patwar work and Girdawari except in Patwar Circles specially ear-marked by the Collector for inspection by the S.D.O.
2. Disposal of all routine work in the office. No papers will ordinarily be put up to the S. D. O. direct. The Extra-Magistrate will receive the papers and shall pass on only important papers to the S. D. O.
3. Inspection of office.
4. Inspection of Tehsil and Sub-Tehsil.
5. Monthly Inspection of Jails and lock-ups.
6. Inspection of Police Stations.
7. Disposal of criminal cases including the cases under Security Sections instituted on private complaints.
8. Disposal of all revenue cases triable by an Assistant Collector.

The duties of the S. D. O. will be as follows:—

1. Inspection of selected Patwar Circles.
2. Disposal of, important papers.
3. Inspection of Tehsils or Sub-Tehsils once a year.
4. Inspection of Jails at least twice a year.
5. Inspection of Police Station at least one Police Station once a year.
6. Disposal of cases under Security Sections challaned by Police.
7. Writing of confidential reports.

In the Blocks where Tehsildars have been appointed as Development Officers, the duties of the Tehsildar and the Additional

Tehsildar which have been provided to relieve the Tehsildar of his normal duties, will be as follows:–

Duties of Additional Tehsildar:—

1. Disposal of all routine papers. Only important papers shall be passed on to the Tehsildar.
2. Inspection of Office and Inspection of patwar and Girdawar's work.
3. All case work.

Duties of the Tehsildar:--

1. Disciplinary control over the staff in the Tehsil.
2. Preparation of confidential reports.
3. Inspection of selected Patwar Circles.
4. Inspection of office once in 6 months.

The Government desire that the above instructions must be strictly adhered to.

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४३ का उत्तर देखिये)

The total 9 meetings have been held in block Desuri, 10 meetings in blocks Kharchi and 7 in Sojat Block after Jan., 1957. A statement showing the meetings held by the Collector, and other District Level Officers, in Blook Desuri, Kharchi and Sojat is given below :—

S. N.		Desgination of the officer.	Block Desuri	Block Kharchi.	Block Sojat.
1.	Distt.	Development officer, Pali.	2	2	-
2.	„	Medical & Health officer,	1	1	-
3.	„	Agriculture officer,	-	3	1
4.	„	Veterinary officer,	2	4	3
5.	„	Inspector of Schools.	-	2	-
6.	„	Industries officer.	2	1	4
7.	„	Public Relations officer.	-	-	1
8.	„	Social Education Officer.	3	5	2
9.	„	Assistant Engineer, P. W. D. Pali.	2	1	-
10.	„	Asstt. Engineer, Irrigation, Pali.	2	-	-
11.	„	Panchayat Inspector, Pali.	-	3	-
12.	„	Co-operative Inspector.	-	3	1
13.	„	Sheep & Wool Inspector	-	3	1
14.	„	Social Welfare Worker, Pali.	1	2	-
15.	„	Divisional Forest Officer, Jodhpur	1	-	-

(प्रश्न काल में न पूछे जा सकने वाले सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

अश्लील गीतों पर प्रतिबन्ध

१४७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

लोक गीतों के नाम पर अश्लील गीतों के जो रेकार्ड सार्वजनिक रूप से बजाये जाते हैं क्या सरकार उन पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर : लोक गीतों के रेकार्ड काफी समय से जनता में प्रचलित हैं किन्तु उन्हें अश्लील कहकर कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। इन गीतों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है या नहीं यह विधि विभाग द्वारा एग्ज़ामिन किया जायगा।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

१४८. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर बिल्डिंगमें स्थित सैरोलाजी, पैथोलाजी एवं रोग अनुसंधान शालाओं को जयपुर स्थानान्तरित करने के लिये सरकार ने आदेश दे दिये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त अनुसंधान शालाओं की उपयोगिता उस कालेज के विद्यार्थियों के लिये नहीं थी?

(२) क्या यह सही है कि कालेज के विद्यार्थियों के लिये राज्य सरकार को इन अनुसंधान शालाओं के हटाने पर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग हेतु एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी?

उत्तर : —

(१) हां। ये शालायें विभागीय कार्य के लिये ही है अतः विद्यार्थियों पर इन के स्थानान्तरण से कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इन शालाओं द्वारा महाविद्यालय के छात्रों को कोई उपयोगिता नहीं मिलती थी।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंध निर्माण

१४९. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिकराय तहसील स्थित कालाखो का बंध कब निर्माण किया गया था और उसमें कितनी रकम लगी थी?

(ख) इस बंध से कितनी जमीन की सिंचाई होती है।

(ग) क्या जनता की यह दरख्वास्त बराबर पेश होती रहती है कि उक्त बंध से जनता को हानि हो रही है और कोई लाभ नहीं है?

(घ) यदि हां, तो उक्त दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गई?

(उत्तर अनुपलब्ध)

सड़क-निर्माण

१५०. श्री नाथूलाल : (लालसोट) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सांगानेर रेल्वे स्टेशन के पास स्थित Scout wood land से गांधीनगर के चौराहे तक कोई सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

(२) यदि हां, तो कब तक इसका काम शुरू होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर (१) जी हां

(२) टेन्डर की स्वीकृति विचाराधीन है।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १४ फरवरी, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७३७	शीर्ष एवं प्रथम पंक्ति के मध्य में		टेलीफोन कॉल्स
,,	अन्तिम पंक्ति	११६. डा० चन्द्रकल	११६. डॉ० चन्द्रकला
७४०	१३	for the ebucated	for the educated
७४६	१-२	का भी पुनुरद्धार किया	का भी पुनुरुद्धार किया
७५०	१२	सची सदन की	सूची सदन की
,,	२४	(घ) जी सही।	(घ) जी नहीं।
७७३	१२	Muslim employecs	Muslim employees
७७४	२२	परिशिय्ट ५	परिशिष्ट ५
७८१	८	प्रतिलिपि सदन सदन की मेज	प्रतिलिपि सदन की मेज
७८२	६-१०	(श्री नाथूराम मिर्वी)-	(श्री नाथूराम मिर्धा)
७८४	६-१०	We will toke notice	We will take notice
,,	१२	श्री पी० के० चौदरो	श्री पी० के० चौधरी
७८६	२२	after the verificaticn	after the verification
७८७	अन्तिम से ५वीं व ६ठी	thing was recoived.	thing was recived.
७९०	२४	तारांकित प्रश्न	तारांकित प्रश्न
७९१	१४	to qu:stion No. 53	to question No. 13
,,	अन्तिम पंक्ति	श्री भोरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
७९३	१	श्री भेरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
७९४	२४	on thr'Treasury Benches	on the Treasury Benches
७९८	२	मैं समझता ह,	मैं समझता हूं,
८०५	१४	भ्रष्ट्राचार समाप्त होगा।	भ्रष्टाचार समाप्त होगा।
८१६	२६	यहां से डिस्स्लेस्ड किया	यहां से डिस्प्लेस्ड किया
८१८	१४	हम मज्जबूर हो जायेंगे	हम मजबूर हो जायेंगे
८२२	१३	to give any guidanance	to give any guidance
८३१	अन्तिम से ३री	उनमें समन्वाय रखा	उनमें समन्वय रखा
८३५	१५	सरकार मुगत न हो सकती हो	सरकार भुगत न सकती हो
८४१	२७	"Chief Minfster or	Chief Minister or
८४२	३०	पॉवर ओफ एटोर्नी	पॉवर ऑफ एटोर्नी
८४८	१५	Power of Attorney Hol'ers	Power of Attorney Holders

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८५२	अन्तिम से ७वीं	टाइम बाड के विषय	टाइम बार्ड के विषय
८६३	२१	concludes, the ebate.	Concludes the debate.
८६४	४	में सदन के	मैं सदन के
,,	अन्तिमसे ५वीं	देखते हुए चाल	देखते हुए चालू
८६५	१४	कुछ रचनत्मक सुझाव	कुछ रचनात्मक सुझाव
,,	अन्तिम पंक्ति	ने चाल रखा	ने चालू रखा
८६७	,,	चारकोल, बम्ब	चारकोल, बम्बू
८८०	२२	कुछ फेक्ट्स और	कुछ फेक्ट्स और
८८६	अन्तिम पंक्ति	यह नहीं कहा का सकता	यह नहीं कहा जा सकता
८६०	,,	यहां के ज	यहां के जो
९१८	अन्तिम से ३	सिक्कों आदि के	सड़कों आदि के
९२१	,, ,, ३	Cross disucssion, I am just explin.	Cross discussion. I am just explain
९२५	अन्तिम से२री	मामला सुप्रीव कोर्ट	मामला सुप्रीम कोर्ट
९२६	अन्तिम से ३री	आने की वजप से	आने की वजह से
९२७	२	प्लानिंग के रिसोसेज़ के लिए	प्लानिंग के रिसोर्सेज़ के लिए
९२९	३	तब फेक्ट्रज़ी का	तब फेक्ट्रीज़ का
९३०	१६	उसके बाद में कपासन गया,	उसके बाद मैं कपासन गया,
९३४	७	सैकड़ों बषा से	सैकड़ों बर्षों से
,,	२८	तो में समझता हूँ	तो मैं समझता हूं
९३५	११	न्यादा अच्छा होगा।	ज्यादा अच्छा होगा।
९४१	अन्तिम से५वीं	किय गया ?	किया गया ?
९६०	शीर्ष पंक्ति	Appendix B	Appendix C